राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का २६वां दिवस [संख्या १७

शुक्रवार, दिनांक २१ नवम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ७ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

सांचोर विकास खंड की बैठकें

६७६. **श्री तनसिंह** (श्री लक्ष्मीचन्द की अनुपस्थिति में) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

जिला जालौर के सांचौर विकास खंड की बैठकें १. जनवरी, सन् १९५८ से आज तक कब कब हुई और उसकी कौन कौन सी बैठक में जिलाधीश ने भाग लिया ?

उप सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री सम्पतराम) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री मूलचन्द डागा : विकास खण्ड की बैठकों में कलेक्टर्स का उपस्थित रहना आवश्यक है क्या ?

श्री सम्पतराम : जहां तक संभव होता है कलेक्टर्स वहां पहुँचने की कोशिश करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आबू के सम्मेलन में क्या इस बात का निर्णय हुआ था कि विकास खण्डों की बैठकों में जनसेवी लोगों को सभापति पद पर आसीन किया जाय ?

श्री सम्पतराम : इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ था।

श्री मूलचन्द डागा : क्या आप विकास खण्डों की बैठकों में सभापति-पद पर जनसेवी लोगों को आसीन करना चाहते हैं या राजकीय व्यक्तियों को रखना चाहते हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): जनसेवी लोगों को पदासीन करने का मतलब यह तो नहीं है कि जिलाधीश वहां जावें ही नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने यह प्रश्न पूछा था कि विकास खण्डों की बैठकों में सभापति पद पर जनसेवी लोगों को पदासीन करने का निर्णय लिया गया था या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां तक ब्लॉक कमेटीज़ हैं, उनके लिए कोशिश यह

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

की जा रही है कि उनमें जो सरपंच हैं, उनमें से चेयरमैन बनाने की पम्परा डाली जाय, वहां जो निर्णय लेने की बात कही जाती है, वह District Development committees के बारे में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, उनमें नॉन ऑफिशियल की परम्परा डालने की कोशिश की है।

श्री तनसिंह : कलेक्टर ने बहुत कम बैठकें अटेंड की हैं, इस सिलसिले में क्या सरकार ने विरोध-पत्र लिखा है ?

श्री सम्पतराम : इसका कारण यह था कि उन तारीखों को कलेक्टर किसी दूसरे काम में व्यस्त था।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

देवली में बिजली की व्यवस्था

६७७. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या विद्युत् मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि देवली कस्बे में बिजली का पॉवर हाउस लगा हुआ है ? यदि हां, तो अब उक्त पावर हाउस किसके अधिकार में है ?

(२) इसमें कितने इंजन हैं और यह कितने किलोवाट बिजली दे सकते हैं ?

(३) क्या यह सही है कि बनास से देवली की ओर कस्बे में पानी की व्यवस्था के लिए बनास के पास इंजन और पाइप लगे हुए हैं?

(४) अगर हां, तो क्या वहां बिजली की व्यवस्था ठीक है ?

(५) अगर नहीं, तो क्यों ?

विद्युत मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां। यह पॉवर हाउस सेन्ट्रल पी० डब्ल्यु० डी० के अधिकार में है।

(२) इसमें चार इन्जन हैं, जिनमें एक ५ किलोवाट, दूसरा ५० किलोवाट और बाकी के दो ३२ किलोवाट के हैं। इनकी डिरेटेड केपेसिटी कितनी होगी, यह इनकी मरम्मत होने पर कहा जा सकेगा।

(३) (४) (५) इनका विद्युत विभाग से सम्बन्ध नहीं है, इसलिये सार्वजनिक निर्माण मंत्री से पूछा जाय।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह सेन्ट्रल पी० डब्ल्यु० डी० के अधीन कब तक रहेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : जब तक अपन को दे न दें।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या आपने रिक्वेस्ट की है कि यह पॉवर हाउस दे दिया जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : अपन ने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने मन्जूर भी किया है। लेकिन जो बिल्डिंग है, उसकी कीमत पर झगड़ा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : बिल्डिंग को बहुत अर्सा हो गया। जब वहां कैदी आये थे, तब यह बनाई थी। भारत स्वतन्त्र हुआ, उसके बाद से पॉवर हाउस बन्द है। यह इतना बड़ा पॉवर हाउस है कि केकड़ी तक बिजली दे सकता है।

श्री रामकिशोर व्यास : यह सही है, लेकिन यह राजस्थान गवर्नमेंट की सम्पत्ति नहीं

(श्री रामकिशोर व्यास)

है। सम्पत्ति केन्द्रीय सरकार की है, वह दे दे, इसके लिए कार्यवाही की है। मशीन वगैरह देने के लिए तो इत्तफाक कर लिया है,लेकिन बिल्डिंग की बात है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : छोटा सा सवाल है, यह जल्दी होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

जैसलमेर-आगरा सड़क

६७८. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Public works Minister be pleased to state:-

Has the State any scheme or proposal for constructing a road, connecting Jaisalmer with Agra ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : नहीं, आगरा जैसलमेर सड़क से जुड़ा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

छीपा-बड़ोद के शरणार्थियों को निवास हेतु जमीन

६७६. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या छीपाबड़ोद, जिला कोटा के पंजाबी शरणार्थियों ने मुख्य मंत्री के समक्ष उनके निवास के लिए आबादी में स्थित खेत को पुनर्ग्रहीत करने की प्रार्थना की थी ?

(२) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री ने उक्त स्थान शीघ्र ही उन्हें दिलवाने का विश्वास दिलाया था ? यदि हां, तो उक्त स्थान उन्हें कब तक मिल जावेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) :

(१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब आप वहाँ पधारे थे, उन्हें क्या यह विश्वास नहीं दिलाया था कि जमीन मिल जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं (२) में इसका उत्तर दे चुका हूँ ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि उन लोगों का झगड़ा बहुत समय से चल रहा था ? क्या सरकार उचित समझती है कि शरणार्थियों को बसने के लिए जमीन दी जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कार्यवाही बहुत दिनों से चल रही है, यह सत्य है उनको दूसरी जगह जमीन देने के लिए कलेक्टर ने सिफारिश की है,जो विचाराधीन है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि उन लोगों को वहां बसाया जा रहा है, जहां मार्केटिंग फेसिलिटीज नहीं है ? वे वहां रहना नहीं चाहते ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ये डिटेल्स मेरी जानकारी के अन्दर नहीं है कि वह जमीन मार्केटिंग सेन्टर्स से कितनी दूर है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि वहां के व्यापारी, जिनकी किराये की दूकानें बनी थीं,वे भारी किराया लेते थे,और जब रेंट कन्ट्रोल एक्ट नहीं लागू हुआ था, उन्होंने

Page No.4

(श्री दयाकृष्ण विजय)

दूकानें बनाने का विचार किया था और सरकार को सप्लाई किया था लेकिन कलेक्टर साहब ने उतनी जमीन नहीं दी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: यह बात नहीं है। जिस जगह पर शरणार्थी जगह चाहते थे वह काश्तकारों की जमीन है, वेल्यूएबल है, उस जगह से काश्तकारों को बेदखल किया जाता तो उनको दूसरी जगह बसाना मुश्किल हो जाता।

श्री दयाकृष्ण विजय : बहुत से किसानों की जमीन नहीं है, एक किसान की माफी की जमीन है, रिज्यूम हो चुकी है। ऐसी जमीन के सम्बन्ध में एतराज है, उस जमीन के आस पास आबादी बढ़ी हुई है, इसलिए वे लोग वहां जमीन चाहते हैं, तो देने में क्या हर्ज है ?

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

सर्किट हाउस, डाक बंगलों व रेस्ट हाउस का किराया

६८० **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में सर्किट हाउस, डाक बंगले, रेस्ट हाउस कहां कहां हैं ?

(ख) उनका किराया किस हिसाब से वसूल किया जाता है और किस किस में बाकी है ?

(ग) मंत्रियों, गजेटेड ऑफिसरों व एम. एल.एज. से किस दर से किराया वसूल किया जाता है ?

(घ) इन पर किस का सुपरवीजन रहता है ?

(ङ) यह किराया किस नियम के अनुसार सरकार वसूल करती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) डाक बंगले व रेस्ट हाउस जो इस विभाग के अधीन हैं, उनकी सूची संलग्न है। सर्किट हाउस कमिश्नर के अधीन है।

(ख) भवन व पथ, निर्माण विभाग के अधीन डाक बंगलों व रेस्ट हाउसों का किराया राज्य आज्ञा सं० एफ. १।११८। पी. डब्ल्यू० ५० दिनांक २३-११-५० के अनुसार वसूल किया जाता है, जो हर डाक बंगले पर उपलब्ध है। इनका किराया श्रीमती आई. शेखर, प्रिन्सिपल, राज्यकीय माध्यमिक ऊच्च विद्यालय, उदयपुर व एस. डी. ओ., किशनगढ़ में बकाया है।

(ग) राज्य कार्य हेतु आने वाले मंत्रियों व गजेटेड ऑफिसरों से कोई किराया नहीं लिया जाता है, केवल पानी, बिजली व सफाई खर्च लिया जाता है। व्यक्तिगत कार्य हेतु ठहरने पर राज्य आज्ञानुसार किराया वसूल किया जाता है।

(घ) इन पर निर्माण विभाग, भवन व पथ के अधिशासी सहायक अभियन्ताओं व ओवरसियरों का सुपरविजन रहता है।

(ङ) इसका उत्तर खंड (ख) में दे दिया गया है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने ग

Page No.5

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

में उत्तर दिया है । मैंने सवाल किया था कि मंत्रियों, गजेटेड ऑफिसरों व एम. एल. एज़ से किस दर से किराया वसूल किया जाता है ? आपने लिखा है कि राज-कार्य हेतु आनेवाले मंत्रियों, गजेटेड ऑफिसरों से कोई किराया नहीं लिया जाता है । केवल पानी, बिजली व सफाई खर्च लिया जाता है । इसको साफ कर दें कि इसमें एम. एल. एज़. इन्क्लूडेड हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एम. एल. एज़. इन्क्लूडेड नहीं हैं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्यों नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा: क्यों नहीं, यह तो कोई आर्ग्युमेंट का विषय नहीं है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या वे राज-कार्य के लिए मीटिंग वगैरह अटेन्ड करने नहीं जाते हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): अगर वे सरकारी कार्य के लिए जायं तो उनको यह सुविधा दी गई है ।

प्रश्न संख्या ६८१

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६८२

श्री पी० के० चौधरी ।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

दौसा-रामगढ़-पचवारा मोटर रूट

६८३. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या जो मोटर दौसा से राहुवास होती हुई रामगढ़-पचवारा को जाती है, क्या उसे लालसोट आकर वापिस रामगढ और रामगढ से लालसोट होती हुई दौसा जाने की मंजूरी देने का सरकार विचार रखती है ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

डीडवाना में हिन्दुस्तानी मदरसे को ग्रान्ट-इन-एड

६८४. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि डीडवाना में हिन्दुस्तानी मदरसा नाम के स्कूल को सरकार द्वारा ग्रान्ट-इन-एड मिलती है ?

(ख) यदि हां, तो किस किस वर्ष में कितनी कितनी एड दी गई तथा कुल खर्चा कितना कितना बताया गया ?

(ग) क्या ग्रान्ट-इन-एड मंजूर करने के लिये इस स्कूल के अकाउन्ट्स का ऑडिट कराया गया है ? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा तथा उसकी क्या रिपोर्ट आई ?

(घ) पिछले ५ वर्षों में किस किस निरीक्षक ने इसका निरीक्षण किया है ?

(ङ) इस स्कूल में पिछले ५ वर्षों में किस किस वर्ष में कितने कितने छात्र तथा कौन कौन अध्यापक रहे हैं ?

(श्री भैरोंसिंह)

(च) यह ग्रान्ट-इन-एड किस व्यक्ति को मिलती है ?

(छ) ग्रान्ट-इन-एड के लिये पेश किये गये हिसाब की तसदीक किस किस वर्ष में किस किस अधिकारी द्वारा की गई है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई) : (क) जी हां।

(ख) सन्	कुल खर्चा	एड
१९५३-५४	२२९८ रु०	६०० रु०
१९५४-५५	३५८६ रु०	१०८६ रु०
१९५५-५६	४४४५ रु०	११३७ रु०
१९५६-५७	६११३ रु०	२६९५ रु०
१९५७-५८	५२९५ रु०	३६७३ रु०

श्री भैरोंसिंह : इसका उत्तर आ गया है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जवाब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : दूसरों की सूचना के लिये पढ़ दिया जाय।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उन्हें संतोष हो गया है।

(ग) जी हां। सन् १९५४-५५ व ५६ में शिक्षा निरीक्षक, नागौर के अकाउन्टस लेखक द्वारा तथा सन् १९५७ में उपाध्यक्ष, जोधपुर के अकाउन्टेन्ट द्वारा हिसाब जांच कर जो खर्च वाजिब होता था, उस पर सिफारिश की गई व गैर वाजिब खर्चे को अस्वीकृत कर दिया गया।

(घ) सन् १९५४-५५ के सब डिप्टी इन्सपेक्टर नागौर ने तथा १९५७-५८ से सब डिप्टी इन्सपेक्टर, डीडवाना ने किया।

(ङ) इसकी सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(च) संस्था के मंत्री को मिलती है।

(छ) १९५३-५४ में निरीक्षक, जोधपुर द्वारा
१९५४-५५ में निरीक्षक, नागौर द्वारा
१९५५-५६ में निरीक्षक, नागौर द्वारा
१९५६-५७ में निरीक्षक, नागौर द्वारा
१९५७-५८ में निरीक्षक, नागौर द्वारा

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

कपास उत्पादन क्षेत्र

६८५. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में कपास उत्पादन के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं ?

(२) इन क्षेत्रों में पिछले पांच वर्षों में, प्रति वर्ष कितनी कितनी कपास की गांठों का उत्पादन हुआ ? तुलनात्मक दृष्टि से इन क्षेत्रों की पैदावार की तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या सरकार इन उत्पादन क्षेत्रों की पैदावार के आधार पर, इन क्षेत्रों में वस्त्र उत्पादन केन्द्र खोलना चाहती है ?

(श्री रामचन्द्र)

(४) यदि हां, तो कब तक ?

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम सारण) :

(१) राजस्थान में कपास उत्पादन के निम्नलिखित पांच मुख्य क्षेत्र हैं :

१. उदयपुर, २. गंगानगर, ३. टोंक जयपुर, ४. झालावाड़, ५. बांसवाड़ा, डूंगरपुर ।

(२) पहले पांच वर्षों में उपरोक्त ५ क्षेत्रों में कपास की गांठों के उत्पादन की तालिका संलग्न है ।

(३) यह उद्योग व रसद विभाग से सम्बन्ध रखता है ।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इन उत्पादन क्षेत्रों की पैदावार के आधार पर इन क्षेत्रों में वस्त्र उत्पादन केन्द्र खोलना चाहती है । मेरा प्रश्न यह है कि मैं इस विषय में सरकार की नीति को जानना चाहता हूं । आपका कृषि विभाग और रसद विभाग सरकार के अंग हैं । अगर रसद विभाग का डाइरेक्ट आपसे कन्सर्न नहीं है, तो भी रसद विभाग से मालूम करके मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिलना चाहिये । मेरा प्रश्न कपास के बारे में है और कपास का सम्बन्ध आपसे है । यह अलग अलग चीज नहीं है, चाहे सरकार के लिहाज़ से अलग हो और उसका दो विभागों से सम्बन्ध हो । आपको चाहिए था कि इसका उत्तर रसद विभाग से, सप्लाई विभाग से प्राप्त करके मुझे दिलाते....

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : 'वस्त्र उत्पादन' से क्या मतलब है, यह समझ में नहीं आया ?

श्री रामचन्द्र : कॉटन मिल्स, क्लॉथ मिल्स; और क्या मतलब है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां तक वस्त्र उत्पादन से आपका मतलब मिल्स से है, मिल्स खोलने के लिए जहां पर उद्योगपति एप्लाई करें, वहां के लिए उनको लाइसेन्स मिलता है, वे वहां खोल सकते हैं । सरकार उनको बाध्य नहीं कर सकती कि वे मिल्स वहां खोलें ।

श्री श्रीभानसिंह : जहां कॉटेज इन्डस्ट्रिज़ खुल सकती हैं, वहां खोलने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कॉटेज़ इन्डस्ट्रिज़ को प्रोत्साहन दे रहे हैं ।

श्री श्रीभानसिंह : प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें लोन दें और स्पिन्डल सप्लाइ करें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके लिए पूरा बोर्ड स्थापित किया हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

राजस्थान नहर के उद्घाटन पर व्यय

६८६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान नहर के उद्घाटन के अवसर पर सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय से सम्बन्धित कार्यों के लिए कितनी कितनी धन राशि स्वीकृत की गई थी व कितनी खर्च हुई ?

(श्री भैरोंसिंह)

(२) इस रकम में से मोटे रूप में किन मदों में कितना कितना खर्च हुआ ?

(३) क्या यह सही है कि अभी तक इसका पूरा हिसाब पेश नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? और नहीं तो कब पेश किया गया ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) राजस्थान नहर के उद्घाटन के अवसर पर सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय को संबन्धित कार्यों के लिए ३० हजार की स्वीकृति दी गई। उसमें से अब तक २८,२६० रु० का भुगतान किया जा चुका है । इस रकम में से २५,०७६ रु० उन पत्रों को विशेष विज्ञापन देने पर खर्च किये गये, जिन्होंने इस अवसर पर अपने विशेषांक निकाले थे, अथवा इस सम्बन्ध में विशेष लेखों का प्रकाशन किया था।

(२) जैसा ऊपर बताया गया है २५,०७६ में से पत्रों के विज्ञापन देने में, एक हजार रुपया इस अवसर पर निकाले गए। एक पत्र की दो हजार प्रतियां खरीदने पर तथा २१८१ रुपये इन पत्रकारों के आवागमन तथा सत्कार पर खर्च हुए, जो इस अवसर पर उपस्थित थे।

(३) यह सही है कि अभी इसका पूरा हिसाब पेश नहीं किया गया है। इसका मुख्य कारण है कि इस अवसर पर किये गये कुछ खर्च की विगत अभी तक प्राप्त नहीं की जा सकी है।

श्री पी० के० चौधरी : यह जो २५,००० पत्रों को दिया है, किन किन पत्रों को दिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : एडवर्टाइज़मेंट दिया है।

श्री पी० के० चौधरी : कौन से पत्रों को दिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कई हैं।

श्री भैरोंसिंह : कौन कौन से पत्र हैं ? बता दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टाइम्स, स्टेट्समैन....

श्री भैरोंसिंह : फीगर्स बताइये।

श्री रामकिशोर व्यास :

हिन्दुस्तान	२११६ रुपये
हिन्दुस्तान टाइम्स	३०७० ,,
	२२४० ,,
टाइम्स ऑफ इण्डिया	३३६० ,,
नवयुग	१७०० ,,
आयोजन	१७०० ,,

श्री भैरोंसिंह : राष्ट्रदूत और लोकवाणी को !

श्री रामकिशोर व्यास : इन्होंने विशेषांक निकाला नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : क्या उनको विशेषांक निकालने के लिए ऑफर किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : उन्होंने सूचना नहीं दी कि वे विशेषांक निकालना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : कितनी कीमत के कितने कितने विज्ञापन किन किन पत्रों को देना है, यह किसने तय किया था ?

Page No.9

श्री रामकिशोर व्यास : Head of the Department.

श्री भैरोंसिंह : तो क्या हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट ने सूची बनाई थी कि अमुक अमुक पत्रों को विज्ञापन देने हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह उनके अधिकार की बात है।

श्री भैरोंसिंह : तो उन्होंने सूची बनाई कि नहीं, यही मैं पूछ रहा हूं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने लिस्ट बनाई कि नहीं, आम तौर पर लिस्ट बना कर ही देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट के हाथ में है कि जिन पत्रों का एक सा सर्कुलेशन हो, उनमें से कुछ पत्रों को छोड़ दिया जाय और उनमें से कुछ पत्रों को लाभ पहुँचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट दे ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी शिकायत सरकार के पास नहीं आई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सारे अकाउन्ट्स जान बूझ कर नहीं भेजे गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : २८ हजार और कुछ का तो दिया है।

श्री भैरोंसिंह : बाकी का क्यों नहीं दिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : विगत आनी बाकी है। किसी के वाउचर्स आने बाकी हैं, कुछ की रिसीट्स आनी बाकी हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या बिना रसीदों के ही सरकार का पैसा खर्च किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं ऐसी बात नहीं है, डिटेल्स नहीं आई हैं। रिसीट्स को चैक करना पड़ता है, वाउचर्स को चैक करना पड़ता है, और उनमें खामी हो तो वापिस देना पड़ता है।

श्री पी० के० चौधरी : उद्घाटन के अवसर पर, एडवर्टाइजमेंट पर ३० हजार में से २५ हजार खर्च किया, तो इतना खर्चा करने का सरकार का क्या मकसद था; राजस्थान में पोपुलराइज करना या देहली में पोपुलराइज करना ?

श्री रामकिशोर व्यास : सभी को जानकारी कराना।

श्री पी० के० चौधरी : राजस्थान निवासियों को या दिल्ली निवासियों को ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऑल इण्डिया सर्कुलेशन का ज्यादा मकसद था।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

गवर्नमेंट हाई स्कूल, लालसोट में अध्यापक

६८७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, लालसोट में स्वीकृत बजट के अनुसार विषयवार क्वालिफाइड अध्यापक हैं ?

(२) जब बजट में स्थान निश्चित है, तो क्यों नहीं उसी ग्रेड के विषयवार अध्यापक वहां रखे जाते हैं ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) बजट के अन्दर किसी स्कूल

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

के न तो अध्यापकों की संख्या दी हुई होती है और न उनकी क्वालिफिकेशन दी हुई होती है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

कोटपूतली-बहरोड़ रोड

६८८. **श्री रामकरणसिंह** (कोट पुतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या कोटपुतली से बहरोड़ रोड बनने की योजना थी ? यदि हां, तो वह रोड क्यों नहीं बनाई गई ?

(२) सरकार अब कोटपुतली से डाबला रोड का २ मील का टुकड़ा कब तक बनाने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) कार्य योजनानुसार होगा।

(२) अभी कोई विचार नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सतवन्त कौर।

करनपुर ब्लॉक के मिल्क टैस्टर का गुम हो जाना

६८६. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर) : क्या विस्तार सेवा खण्ड मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि करनपुर ब्लॉक में सन् १६५५ में एक मिल्क टैस्टर खरीदा गया था तथा अब वह गुम है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप विकास मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ६६०

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय।

कोटा-बारां रोड व बारां-शाहाबाद रोड की पुलियां

६६१. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

जब सरकार काली सिन्ध (कोटा-बारां रोड) व पार्वती (बारां-शाहाबाद रोड) की नीची पुलियाओं को, जो बरसात में कई दिनों तक पानी से डूबी रहती हैं, ऊंचा कराने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार ने कोटा जिले में ऐसी कोई योजना ले रखी है कि इन कामों को पहले करना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोटा जिले में नहीं, सारे राजस्थान में ले रखा है। जितने फंड्स हैं, उनका अलॉटमेंट हो चुका है।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह किस दृष्टिकोण को रख कर निर्णय लिया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अलग अलग इलाकों की जरूरतों और उन कार्यों की Priority आदि को देख कर।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या काली सिन्ध और पार्वती पर बांध बनाने की जनता ने मांग नहीं की है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जनता ने तो बहुत सी मांगें की हैं, पर उतना पैसा है नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

महाराजा किशगनढ़ मिल्स के बन्द हो जाने से बेकार मजदूरों के लिए दूसरे उद्योग

६६२. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा :** (किशनगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार ने किशनगढ़ की महाराजा किशनगढ़ मिल्स के बन्द हो जाने से बेकार हुए मजदूरों के लिए कोई दूसरे उद्योग-धन्धे चालू किए हैं ?

(२) अगर नहीं, तो क्या सरकार वहां कोई दूसरे उद्योग धन्धे खोलने की योजना बनाने का इरादा रखती है ?

उप-उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जी नहीं।

(२) ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : तो क्या २००० मजदूर बेकार ही रहेंगे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अफसोस तो आपको भी है और मुझे भी है; पर आपका और मेरा बस नहीं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या इनकी बेकारी को मिटाने की सरकार कोई तरकीब सोच रही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मजदूरों को रोजी मिले, इस विषय में हम चिन्तित हैं। पर जब तक दूसरा मिल या यही मिल ठीक होकर काम न करें, तब तक मजबूरी है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या लिक्वि-डेटर इसे फिर से लीज़ करेंगे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह मामला लिक्विडेटर के अधिकार का है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या लिक्विडेटर ने इसे लीज पर देने का निश्चय कर लिया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : अगर लीज पर दे, तो क्या सरकार लेने को तैयार है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने अर्ज किया कि सरकार के पास इस तरह की सूचना नहीं है कि लीज़ पर देने को तैयार हैं, फिर कैसे कुछ भी कहा जा सकता है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : अगर इस तरह की सूचना सरकार के पास आये, तो सरकार लीज़ पर लेने को तैयार है कि नहीं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो hypothetical question है, जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता।

डॉ० बहादुरसिंह : राजस्थान सरकार ने इस मिल को कितना कर्ज दिया है ?

Page No.12

श्री रिखबचन्द धारीवाल : राज्य सरकार की तरफ से कोई कर्ज की रकम नहीं दी गई है, अलबत्ता मिल मैनेजमेंट में सरकार की कुछ रकम बाकी है।

श्री भैरोंसिंह : कितनी रकम बाकी है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो अलग सवाल है, ऑफ हैंड कैसे कह सकता हूँ।

श्री श्रीभानसिंह : सरकार की रकम लोन की बाकी है या और किसी किस्म की ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): यह दूसरा प्रश्न है। मजदूरों को काम देने के लिए उद्योग खोलने का प्रश्न किया गया है। वहां किशनगढ़ मिल में क्या बाकी है, किसका बाकी है, यह इससे सम्बन्ध नहीं रखता।

श्री भैरोंसिंह : अभी माननीय उपमंत्री ने उत्तर दिया था कि कोई रकम बाकी नहीं है....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने यह कहा था कि लोन के रूप में कोई रकम दी हो और वह बाकी हो, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे लेबर के चार्जेज़ हैं और दूसरे हैं, वे बाकी हैं।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह है कि किशनगढ़ मिल को कोई लोन दिया गया था या नहीं !

श्री अध्यक्ष : लेबर चार्जेज़ चुकाने के लिए लोन दिया था।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां, वह दिया है।

श्री अध्यक्ष : इसी का पूछ रहे हैं।

श्री रामचन्द्र।

भ्रष्टाचार विरोधी परिषदों की स्थापना

६६४. **श्री रामचन्द्र** (डग) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार जिला स्तर भ्रष्टाचार विरोधी परिषदें स्थापित करने का विचार रखती है ?

(२) यदि हां, तो यह परिषदें कब तक स्थापित हो जावेंगी ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां।

(२) इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, आशा है ऐसी परिषदें शीघ्र ही स्थापित हो जायेंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी।

पशुओं की उन्नति

६६४. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या मन्त्री कृषि विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या पशु उन्नति के क्षेत्र में सरकार अच्छे सांड वितरण की अपेक्षा कृत्रिम गर्भाधान पर ही विशेष जोर दे रही है ?

(२) यदि हां, तो क्या प्रकृति से विपरीत इस प्रक्रिया से लम्बे समय के बाद पशुओं की क्षमता पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा ?

(३) पशु-पालकों को चारा उत्पादन में क्या क्या सुविधायें सरकार ने दे रखी हैं ?

(४) चारागाह निर्माण एवं उनकी उन्नति के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं ?

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम) : (१) जी नहीं, अच्छे सांडों के वितरण को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कृत्रिम गर्भाधान को।

(३) पशु-पालकों को चारा उत्पादन में सुविधाएं देने सम्बन्धी कोई योजना उक्त विभाग के समक्ष नहीं है।

(४) इस विभाग द्वारा ऐसी एक योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार से सलाह ली जा रही है।

श्री ज्ञानचन्द मोदी: क्या कृत्रिम गर्भाधान से पशु पैदा होते हैं, उनके स्वास्थ्य में दूसरे पशुओं के मुकाबिले फर्क नहीं रहता ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : गांधीजी तो इसके विपरीत थे।

श्री अध्यक्ष : गांधी जी तो कई बातों के विपरीत थे।

श्री दौलतराम : गांधी जी विपरीत थे कि नहीं, पर विशेषज्ञों की राय है कि इनमें कोई फर्क नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : आपका क्या अनुभव है ?

श्री दौलतराम : मेरा अनुभव विशेषज्ञों के अनुकूल है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कृत्रिम गर्भाधान से जो बैल पैदा हुए हैं, वे अच्छे सांडों से पैदा हुए बैलों से भी अच्छे पैदा हुए हैं और कई फॉर्मों पर वे उनसे ज्यादा अच्छा काम करने वाले साबित हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

दरबार इन्टर कॉलेज, किशनगढ़

६६५. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (१) क्या दरबार इन्टर कालेज, किशनगढ़ को डिग्री कॉलेज बनाने की योजना है।

(२) अगर हां, तो क्या आने वाले सत्र तक इसे डिग्री कॉलेज बना दिया जावेगा।

उप **शिक्षा मंत्री** (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) इस प्रश्न पर अन्य इन्टर कॉलेजों के साथ निर्णय लिया जायेगा।

(२) मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री **पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : यह निर्णय कब तक लिया जावेगा ?

श्री पूनमचन्द : १९६१ तक।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल।

बोंली-जिस्टाना सड़क

६६६. **श्री रिद्धिचन्द पालीवाल** (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिला सवाई माधोपुर की बोंली से जिस्टाना जाने वाली सड़क में कोडपाई से जिस्टाना सड़क का ठेका कब तक हुआ और कब तक सम्पूर्ण किया जाने का समय नियत था।

(२) क्या यह सही है कि सड़क नियत समय पर तैयार नहीं हुई ?

Page No.14

(श्री रिद्धिचन्द पालीवाल)

(३) यदि हां, तो ठेकेदार के विरूद्ध सड़क न बनाने पर क्या एक्शन लिया गया तथा अब कब तक सड़क सम्पूर्ण हो जायेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथराम मिर्धा) : १६-११-५५ तक।

(२) जी हां।

(३) नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। कार्य संपूर्ण हो चुका है, केवल माइल और फर्लांग के पत्थर लगाने बाकी रहे हैं।

श्री पृथ्वीराज : कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। दो साल हो गये हैं। चौमासे में आने जाने में बहुत तकलीफ होती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी समझ में नहीं आया, आप फिर से कहें।

श्री अध्यक्ष : बहुत असुविधा हो रही है आने जाने में।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि सिर्फ माइल के पत्थर और फर्लांग के पत्थर और लगाने रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : पत्थर भी नहीं लग रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस सड़क का आपने प्रश्न पूछा है, उसका जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६६७

श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह

मोती कटला, हाई स्कूल द्वारा फर्नीचर की खरीद

६६८. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १६५६-५७, ५७-५८, में मोती कटला हाई स्कूल, जयपुर में क्या क्या, कितना कितना और किस किस मूल्य का फर्नीचर खरीदा गया ?

(२) क्या इस खरीद में टेन्डर्स आम-न्त्रित किये गये थे ?

(३) क्या यह सही है कि लगभग २००पाटे लकड़ी के खरीदे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और किस जगह से ?

(४) यह खरीद किस अधिकारी द्वारा की गयी है ?

(५) यह पाटे कौन सी लकड़ी के बने हुए है, तथा क्या यह सही है कि इन पाटों की कीमत बाजार भाव से ज्यादा दी गयी है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई): (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां।

(३) १०१ जनरल सप्लाई स्टोर्स, जयपुर, से जिल्दसाजी, सिलाई एवं बढ़ईगीरी की कक्षा के छात्रों की सुविधापूर्वक कार्य करने के लिये।

(४) स्कूल के प्रधान अध्यापक द्वारा।

(५) आम की लकड़ी के स्वीकृत टेन्डर के अनुसार कीमत दी गई।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार को यह

(श्री भैरोंसिंह)

मालूम है कि इतने पाटों की आवश्यकता नहीं थी, मगर फिर भी खरीदे गये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : यदि छात्रों के लिये पाटे खरीदे गये, तो छात्रों की संख्या कम है और पाटों की संख्या ज्यादा है, क्या यह सच है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सच नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इसके लिये एन्टीकरप्शन में शिकायत हुई है और एन्टीकरप्शन विभाग सारे फर्नीचर की खरीद की जांच कर रहा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कुछ फर्नीचर खरीदा गया, उसके बारे में जांच हो रही है, कोई अनियमितता नहीं हुई है।

श्री भैरोंसिंह : आपने अभी कहा कि कोई अनियमितता नहीं हुई है, तो फिर लोएस्ट टेन्डर था, उसको स्वीकार किया गया ! क्या यह सही है कि लोएस्ट टेन्डर को स्वीकार नहीं किया गया और ज्यादा के टेन्डर को स्वीकार किया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह आपने पाटों के बारे में प्रश्न पूछा है, उसके लिये मैंने आपको बता दिया और इन्क्वायरी फर्नीचर के बारे में हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस लकड़ी के पाटे टेन्डर के अनुसार आने चाहिये थे, नहीं आये हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह भी, उस एन्टीकरप्शन में जो इन्क्वायरी हो रही है उसमें शामिल है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सारी अनावश्यक रूप से खरीद हुई, इसके लिये बजट में सैंक्शन्ड अमाउन्ट...

प्रश्न संख्या ६६६

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

श्री गज्या पटेल।

मानपुर-सिकराय सड़क

७००. **श्री गज्या पटेल** (दौसा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर रोड के मानपुर स्टेशन से सिकराय तक जाने वाली पक्की सड़क को डामर रोड बनाया जाने का ठेका आज से २ वर्ष पूर्व ही दिया जा चुका था ?

(२) यदि हां, तो वह सड़क आज तक तैयार क्यों नहीं हुई है, और अब कब तक तैयार हो जाने की आशा है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं, सन् १९५८ में।

(२) कार्य चालू है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री ज्ञानचन्द मोदी।

माइनिंग विभाग की ठेकेदार के जिम्मे बकाया रकम

७०१. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या मन्त्री, खनिज विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) गिरधारीलाल ठेकेदार, नीम का थाना में माइनिंग विभाग की कितनी रकम और कब से बाकी है ?

(२) क्या यह सत्य है कि इस बकाया रकम के अधिक होने के कारण इसने अपने बेटे मनोहरलाल के नाम से ठेके लेना शुरू कर दिया ?

(३) क्या मनोहरलाल के नाम से भी माइनिंग विभाग की रकम बाकी है ? यदि हां, तो कितनी व कौन कौनसी खानों की रकम कब से बाकी है ?

(४) क्या इस व्यक्ति ने भी ज्यादा रकम बकाया होने के कारण अपने बेटे जयरामदास के नाम से ठेके लेना प्रारम्भ कर दिया ?

(५) क्या इसमें भी माइनिंग विभाग की रकम बकाया है ? यदि हां, तो कितनी व किन खानों की ?

उप मंत्री, खनिज विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसलिये इसका जवाब अगली टर्न पर दिया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष : कब तक आ जावेगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अगली टर्न पर ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

बांध मंडावरी में आ गये मकानों व जमीन का मुआवजा

७०२. **श्री गज्या पटेल** (दौसा) : क्या आबपाशी मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि तहसील सिकराय में बांध मन्डावरी के मध्य में जो मकानात व भूमि ग्राम डोलीका के किसानों के आ गये हैं, उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है ?

(२) यदि हां, तो क्यों, तथा अब यह मुआवजा उनको कब तक दे दिया जावेगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) हां ।

(२) मुआवजे के तकमीने की जांच जारी है और चुकारा मंजूरी के बाद शीघ्र ही दिया जायगा ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह तालाब कब बंधा था ।

(दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिये श्री दौलतराम खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आने दें ।

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

किशनगढ़ सब डिविजन में मक्का की फसल को क्षति

७०३. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर), : क्या, कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(१) इस वर्ष किशनगढ़ सब-डिविजन के किन किन गांवों में मक्का की फसल को खरडा की बीमारी या जानवर लगने से क्षति पहुंची है ?

(२) उक्त सब डिविजन में उक्त बीमारियों के निवारण के क्या कदम उठाये गये ?

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम) : (१) कोई खरड़ा नाम की बिमारी या कीड़े मक्का की फसल में नहीं हुए। हां, इस वर्ष किशनगढ़ सब डिविजन के कुछ ग्रामों में मक्का की फसल को अधिकतम तापमान एवं अनावृष्टि के कारण कहीं कहीं क्षति पहुंची है।

(२) बीमारी ही नहीं हुई, इसलिए कोई निवारण करने के लिए उपाय करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या इस विषय की शिकायत सरकार के पास आई है ?

श्री दौलतराम : मेरे पास कोई इसकी जानकारी नहीं है।

प्रश्न संख्या ७०४

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

ग्राम कालानाडा में डकैती

७०५. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या ग्राम कालानाडा, तहसील अरांई में डकैती हुई ?

(२) यदि हां, तो उस डकैती का क्या क्या माल बरामद हुआ तथा बरामद शुदा माल किसके कब्जे में है ?

(३) उक्त माल को सम्बन्धित व्यक्तियों को लौटाने के सम्बन्ध में कितने आवेदन-पत्र पेश हुए ?

(४) अब तक सम्बन्धित व्यक्तियों को उक्त माल नहीं लौटाने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास : (१) जी हां।

(२) माल बरामद हुआ एक ओगनियां, ५ मदनिये, एक बजरबट्टी। यह इस समय एस०डी०एम० किशनगढ़ के न्यायालय में है।

(३) मिश्रीलाल महाजन ने एस० डी० एम० की अदालत में इसके लिये तीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये।

(४) सम्पत्ति उसे वापिस नही दी गई है, क्योंकि जो फैसला हुआ उस फैसले में सम्पत्ति देने की आज्ञा नहीं है। ये प्रार्थना-पत्र एस० डी० एम० किशनगढ़ के पास विचाराधीन हैं।

श्री मूलचन्द डागा : डकैती कब हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : १२ सितम्बर, १९५२ की रिपोर्ट है।

श्री मूलचन्द डागा : माल रिकवर हुआ, उसको अभी तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : फैसला हुआ, उसमें यह उल्लेख नहीं कि किसको माल दिया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : ६ साल का अर्सा हो गया है ।

श्री रामकिशोर व्यास : कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया कि किसको माल दिया जाए ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सही है कि उसमें बजरबट्टी नहीं थी, बजरबट्टू था ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट,

श्री धन्नालाल हरित ।

बारां में बुनकरों की सहकारी समितियां

७०६. **श्री धन्नालाल हरित** (छबड़ा) : क्या सहकारी मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बारां नगर में बुनकरों की कितनी सहकारी समितियां विभाग द्वारा, किस किस सन् में बनाई गईं तथा उक्त समितियों को अब तक क्या क्या सहायता दी गई ?

(२) उक्त समितियों द्वारा अब तक क्या कार्य किया गया ?

उप-सहकारी मंत्री (श्री दौलतराम सारण): (१) बारां नगर में सन् १९४६ व १९४७ में ४ व ८ क्रमशः बुनकर सहकारी समितियां बनाई गई थी। उनमें से ११ को मोमिनॉन सहकारी सभा लिमिटेड, 'बारां', जो दिनांक ७-५-४६ को पंजीबद्ध हुई थी, में सम्मिश्रण कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप अब बारां में केवल सहकारी समिति रह गई है । उक्त समितियों को दी गई सहायता का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

नाम समिति	ऋण जो दिया गया
बुनकर सहकारी सभा लि०, बारां	५५०)
जुलाहान सहकारी समिति लि० बारां	१००)

(२) मोमिनॉन सहकारी सभा लिमिटेड, बारां जो अब कार्य कर रही है, उसके द्वारा जो कार्य किया गया, उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

विवरण	प्रगति	
	पंजीयन के समय	मौजूदा
सदस्य संख्या	१६	३१४
हिस्सा पूंजी	४४	५७४७
कार्यशील पूंजी	६५१	६७२६

कच्चा माल खरीदा पंजीयन से, अब तक ८३० बंडल सूत कच्चा माल सदस्यों को दिया ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र ।

पुरातत्व दृष्टि से सुरक्षित राष्ट्रीय संपत्ति

७०७ **श्री रामचन्द्र** (डग): क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) राजस्थान में कौन कौन स्थान पुरातत्व दृष्टि से सुरक्षित राष्ट्रीय संपत्ति माने गए हैं ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या सरकार राजस्थान के किलों को भी सुरक्षित सम्पत्ति मानती है ? यदि हां, तो कौन कौन से किले सुरक्षित स्थान माने गए हैं और उनको सुरक्षित रखने का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई): (१) जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी हां । जिन किलों को सुरक्षित माना गया है, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । इनकी सुरक्षा के लिए बहुतों

Page No.19

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

पर साइट चौकीदार हैं और उनकी मरम्मत आवश्यकतानुसार समय समय पर की जाती है।

(विराम)

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

श्री रामचन्द्र : उनको सुरक्षित मानने का क्या आधार है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उसकी ऐतिहासिक इम्पोर्टेन्ट्स :

श्री रामचन्द्र : क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं कि घाघरोन का किला आहू नदी के किनारे पर बसा है और वह बहुत पुराना है और महत्वपूर्ण स्थान है और इसका अलाउद्दीन खिलजी के जमाने से बहुत महत्वपूर्ण स्थान भारत के इतिहास में रहा है और यह खीचियों की बड़ी जबर्दस्त राजधानी रही है। इसमें इस किले को भी शामिल किया जावे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसको लेने के लिए हम जांच करेंगे :

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

भरतपुर जिले में बाढ

७०८. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पिछले तीन वर्षों में भरतपुर जिले में कितनी बाढ़ आई है तथा वहां के निवासियों का कितना कितना नुकसान हुआ है ?

(२) उक्त प्रकार की बाढ़ों को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

(३) क्या सरकार पुराने बांधों की नियमित रूप से प्रतिवर्ष मरम्मत करती है ?

(४) क्या आगे सरकार बाढ़ों को रोकने के लिए कोई स्थायी योजना बनाने का विचार रखती है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) पिछले तीन वर्षों में सिर्फ १९५६ में बाढ़ आई थी। उक्त बाढ़ से भरतपुर जिले का कितना नुकसान हुआ इसका संबंध राजस्व विभाग से है।

(२) छोटे छोटे बांध बना कर नदी का पानी उनमें डालना, आवश्यक जगहों पर बड़े बांध बनाना आदि।

(३) पुराने बांधों की मरम्मत प्रतिवर्ष कराई जाती है।

(४) हां।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : छोटे छोटे कौन कौन से बांध बनाए गए ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपके प्रश्न के उत्तर में कहा है कि इन बाढ़ों को रोकने के लिए छोटे छोटे बांध बनाये जाने चाहिये।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मेरा सवाल यह था कि इस प्रकार की बाढ़ों को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाये जा रहे हैं और अब तक क्या क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : चार स्कीमें हमने सैंक्शन की हैं जिसमें खानेऊ का और चिकसाने के बांध को रेज कर रहे हैं।

Page No.20

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या केन्द्रीय सरकार की ऐसी विज्ञप्ति राजस्थान सरकार के ध्यान में आई है जिसमें यह कहा गया है कि भरतपुर में हर वर्ष असाधारण वर्षा होती रहेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो मैं नहीं कह सकता।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इस प्रकार का प्रकाशन समाचार पत्रों में हुआ है और केन्द्रीय सरकार की विज्ञप्ति है। क्या राजस्थान सरकार को भी इस बारे में सूचित किया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : राजस्थान सरकार के पास कोई ऐसी सूचना नहीं है, वर्षा ज्यादा हुई है, इसी कारण हमने कुछ बांधों को रेज करने की स्कीम बनाई है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

टौंक बस सर्विस

७०६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) टौंक बस सर्विस बन्द किए जाने के पश्चात् कितनी बसें बेकार हुई और उनको किस किस प्रकार से डिस्पोज ऑफ किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि इनमें से दो बस स्टेट गरेज डिपार्टमेंट में खुली जगह में पड़ी हुई हैं ? यदि हां, तो क्यों और कब से पड़ी हुई हैं ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) छः बसें जो टौंक बस सर्विस के पास थीं उनको निम्न प्रकार से डिस्पोज़ ऑफ किया गया :

४ बसें सिरोही मोटर सर्विस को दी गई।

२ बसें सेन्ट्रल गैरेज, जयपुर को नीलाम के लिए भेज दी गई।

(२) हां, ये बसें अप्रेल १९५६ से गैरेज़ में अन्य गाड़ियों के साथ खुले स्थान में पड़ी हुई हैं, क्योंकि ऐसा कोई शेड खाली नहीं है जिसमें उनको रखा जावे।

श्री भैरोंसिंह : यह अब तक नीलाम क्यों नहीं की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नीलाम करने की कार्यवाही जारी है, बहुत सी मोटर गाड़ियां डिवीजनल लेवल पर पड़ी थीं उनकी नीलामी की कार्यवाही चालू है। सैन्ट्रल गेरेज को नीलाम कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस प्रकार की विज्ञप्ति सर्वप्रथम कब जारी की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है, अब की जा रही है। क्योंकि नीलाम करने के लिए काफी लम्बा प्रोसीजर है, महकमों से हुक्म लेना पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : सारे प्रोसीजर का प्रथम चरण कौन सी तारीख से शुरू हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : निश्चित तारीख मैं बता नहीं सकता।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसके नीलामी के आदेश दे दिए हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : जब आपके यहां से नीलामी के आदेश दे दिए तो फिर कौन सा प्रोसीजर बाकी रह जाता है, जिसके कारण

(श्री भैरोंसिंह)

अभी तक नीलामी की कार्यवाही नहीं हो सकी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो हमने तय कर ही लिया है कि नीलाम करनी है, उसमें भी काफी कार्यवाही करनी पड़ती है लेकिन मेरी सूचना है वह भी सारी कार्यवाही कम्प्लीट कर ली गई है ।

श्री भैरोंसिंह : नीलामी की कार्यवाही के सम्बन्ध में पूछताछ करने में जो दो वर्ष का समय लग गया, क्या आप इसको उचित समझते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा - उचित तो नहीं, लेकिन फिर भी समय लग ही जाता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र ।

बालकों द्वारा जिलों का भौगोलिक अध्ययन

७१०. **श्री रामचन्द्र** (डग) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राजस्थान के शिक्षा विभाग ने बालकों को अपने जिले का भौगोलिक अध्ययन करने का कोई पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, यदि हां, तो यह अध्ययन किस कक्षा में कराया जाता है ?

(२) यदि हां, तो उसके लिए कौन सी पुस्तकें निर्धारित की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) (१) राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के बाद राजस्थान को एक इकाई समझ कर पाठ्यक्रम बनाया गया है । प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग विस्तृत विवरण के अध्ययन की कोई व्यवस्था नहीं है ।

(२) प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग पुस्तकों के रखने की राजस्थान बनने के बाद आवश्यकता नहीं समझी गई । राष्ट्रीय कृत सामाजिक अध्ययन की पुस्तक के आधार पर अपने अपने गांव, तहसील तथा जिलों का मौलिक रूप से अध्ययन कराया जाता है ।

श्री रामचंद्र : पाठ्यक्रम में एशिया और भारतवर्ष के भूगोल का तो ज्ञान करवाते हैं किन्तु उनको अपने जिले का ज्ञान करवाने के लिए क्या आप पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं समझते ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपकी राय को टेक्स्ट बुक कमेटी के सामने रखेंगे ।

श्री रामचंद्र : धन्यवाद ।

श्री मूलचंद डागा : क्या बालकों को भ्रमण द्वारा भौगोलिक ज्ञान कराने की योजना है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : बालकों की पार्टियां इधर उधर भ्रमण करने के लिए जाया करती हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह

तिलवाडा चैत्री मेला

७११. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९५८ के तिलवाड़ा चैत्री मेले (जिला बाडमेर) में सरकार को कितनी आमदनी हुई तथा जनता की सुविधा हेतु कितना खर्च हुआ ?

(श्री अनूपसिंह)

(२) आय व्यय के आंकड़े क्या है ? मदवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि बिना खन्ना कराये ही बहुत से व्यक्तियों ने अपने जानवर मैले की हद से बाहर निकाल लिये ?

(४) यदि हां तो क्या जिन सरकारी कर्मचारियों ने इसमें सहयोग दिया उनके खिलाफ कोई कार्यवारी की गई : यदि नहीं तो क्यों ?

उप कृषि मंत्री: श्री(दौलतराम-सारण): (१) तिलवाडा के चैत मेले में सरकार को कुल आय १,१२,३२३, रु० ५० नये पैसे तथा जनता की सुविधा हेतु १२,७४६ रु० २४ नये पैसे खर्च हुए।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हां, कुछ जानवर मेले की हद से बाहर निकाल लिये गये थे।

(४) इस विषय में इस दफतर में किसी विशेष कर्मचारी के खिलाफ किसी ने दरख्वास्त पेश नहीं की।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री अनूपसिंह : गत वर्ष १९५७ में १ लाख ७८ हजार के करीब आमदनी हुई थी और इस साल १ लाख १२ हजार ही हुई। यह आमदनी घटी क्यों, क्या सरकार ने इस बारे में जानकारी की ?

श्री दौलतराम (सारण): आमदनी घटने-बढ़ने का सवाल पशुओं की बिक्री पर है किसी समय ज्यादा बिक्री हो जाती है कभी कम और आजकल और भी तो मेले लगने लग गये है।

श्री बेनाराम: खाने के पैसे किस कानून के तहत लिये जाते हैं।

श्री दौलतराम (सारण) : कानून की बात तो मैं नहीं कह सकता।

श्री अनूपसिंह : क्या यह सही है कि पहले से जानवर इस दफा ज्यादा आये थे।

कृषि मंत्री श्री (नाथूराम मिर्धा) : जानवर ज्यादा आ सकते हैं लेकिन बिक्री पर आमदमी होती है बिक्री कम हुई है। बिक्री कम हुई है इसलिए आमदनी भी कम हुई है।

श्री अनूपसिंह: जो जानवर बिना खाना दिये निकाल दिये गये, क्या उसमें सरकारी कर्मचारी का हाथ था।

श्री नाथूराम मिर्धा: इसका जवाब दिया जा चुका है। किसी विशेष सरकारी कर्मचारी के सहयोग से निकाले गये हों ऐसी बात सरकार के ध्यान में नहीं है। यह जरुर हुआ हैं कि कुछ हुल्लड़बाजी जरूर हुई थी उस समय कुछ जानवर निकाल लिये गये थे।

श्री अनूपसिंह : तो यह किसकी नेगली-जेन्स से निकाले गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां लाखों की तादाद में मवेशी इकट्ठे होते हों वहां सौ पचास आदमी मिलकर गड़बड़ करें और उनसे से ४०-५० पशु निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।

श्री भीमसेन : सरकार किस कानून के तहत खाना वसूल करती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जब सरकार काश्तकारों की सहूलियत के लिये सब प्रकार का इन्तजाम करती है और उससे उनको फायदा होता है, उसमें से यदि कुछ ले लिया

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जाता है खाना-टैक्स के नाम पर तो मैं समझता हूँ कोई बेजा बात नहीं है ।

श्री अनूपसिंह : आगे से इस प्रकार की गड़बड़ न हो उसके लिये क्या प्रिकॉशन्स लेने की सोचती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रबन्ध तो काफी अच्छा किया जाता है, फिर भी गड़बड़ हो जाती है । अब ज्यादा पुलिस पोस्ट रखेंगे और ज्यादा सावधानी बरतेंगे ।

श्री अनूपसिंह : क्या इस गड़बड़ में किसी कांग्रेसी कर्मठ कार्यकर्त्ता का हाथ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा: ऐसा सरकार को पता नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री धन्नालाल हरित ।

मल्टीपरपज़ हायर सेकन्ड्री स्कूल, बारां में छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति

७१२. श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा) क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) मल्टीपर्पज हायर सेकन्डरी स्कूल, बारां में सन् ५५,५६,५७ में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे एवं उस समय में स्कूल के बजट में शिक्षकों की कितनी संख्या थी ?

(२) सन् ५७-५८ में छात्रों की कितनी संख्या थी एवं कितने शिक्षक क्यों कम किये गये ?

(३) सन् ५८-५६ में अब कितने विद्यार्थी हैं और इस वर्ष के बजट में शिक्षकों की संख्या कितनी है ?

(४) क्या विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाने के कारण उक्त स्कूल में शिक्षकों की वृद्धि की आवश्यकता सरकार महसूस करती है ?

उप शिक्षा मंत्री(श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (१) सन् १९५५-५६ में ४३२ और १९५६-५७ में ४०९ विद्यार्थी थे । बजट में शिक्षकों की संख्या दी हुई नहीं होती है ।

(२) छात्रों की संख्या ५२९ थी, शिक्षकों की संख्या कम नहीं की गई ।

(३) ५९१ विद्यार्थी हैं । जैसा ऊपर बताया गया है बजट में शिक्षकों की संख्या नही दी जाती है ।

(४) आवश्यकता महसूस की थी और इसीलिय दो शिक्षकों की संख्या बढ़ाई गई ।

श्री पुरुषोत्तमलाल : तो बजट किस आधार पर बनाया जाता है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सरकारी बजट की बातचीत हो रही है, बजट में पूरे डिपार्टमेन्ट के लिये कितना खर्चा होने वाला है उसका अनुमान लगाकर जितना कुल खर्चा पड़ता है, वह बजट में आता है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल : तो क्या मास्टरों का वेतन बजट में शामिल नहीं होता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पूरे राजस्थान का शामिल होता है ।

श्री पुरुषोत्तममलाल : क्या हर स्कूल का बजट नहीं बनता ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : डिपार्टमेन्ट के अन्दर स्कूल वाइज बजट रखा जाता है, उसका हिसाब किताब वहीं रहता है।

श्री अध्यक्ष: श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

भरतपुर शहर की गिर्द की सड़क की मरम्मत.

७१३. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) भरतपुर शहर की गिर्द की सड़क के कितने भाग की मरम्मत हुई है और कितने की नहीं हुई ?

(२) क्या सरकार अब उक्त सड़क की मरम्मत कराने का इरादा रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सिर्फ मामूली मरम्मत हुई है।

(२) जी हां।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : दूसरे भाग का उत्तर नहीं मिला।

श्री नाथूराम मिर्धा : इरादा तो सरकार रखती है, किन्तु टेन्डर्स पहले भी मांगे थे, एक दो दफा, तो टेन्डर्स आये ही नहीं। आये भी तो बहुत ऊंचे आये क्योंकि जिस भाखरी से मेटीरियल लाना पड़ता है उसका रास्ता बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से कोई टेन्डर देता नहीं और देता भी है तो बहुत ऊंचा देता है अब हमने दूसरा रूट बता दिया है। ज्यों ही रीजनेबल टेन्डर आ जायगा मरम्मत शुरूकरवा देंगे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मेरा प्रश्न तो यह है कि कितने भाग की मरम्मत हुई और कितने की नहीं हुई। ६ मील में से एक मील का टुकड़ा छोड़ दिया गया है, सात साल से।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो बनी हुई है उसकी हालत भी बहुत खराब है। उसकी कुछ रिपेयर डिपार्टमेंन्ट गेंग द्वारा कराई गई है।

एक माननीय सदस्य: सरकार ने इरादा बताया है उस इरादे की मियाद कितनी है ?

श्रीनाथूराम मिर्धा : यह तो माननीय सदस्य के समझने की बात है।

प्रश्न संख्या ७१४

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

डीग से जनूथर तक मोटर बस की व्यवस्था

७१५. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के अन्तर्गत डीग से जनूथर के लिये कई वर्षों से मोटर बस से जाने की व्यवस्था है ?

(ख) क्या सरकार के यह ध्यान में है कि इस इलाके में अभी तक कोई पक्की सड़क नहीं बनाई गई है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि वर्षा ऋतु में यह मार्ग बसों के आवागमन के लिये बेकार हो जाता है, जिससे जनता को कष्ट होता है ?

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

(घ) क्या सरकार उक्त कष्ट को दूर करने के लिये यहां शीघ्र ही कोई सड़क निकालने की योजना बनाने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) इस विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जी हां। जनूथर और डीग के बीच।

(ग) ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(घ) जी हां। डीग कुम्हेर रोड से जनूथर होकर खेरली सड़क मिलाने का।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यानी ट्रान्सपोर्ट विभाग को पता नहीं कि कहां से कहां तक जाती हैं गाड़ियां।

श्री नाथूराम मिर्धा: यह ट्रान्सपोर्ट से सम्बन्धित है, पी. डब्ल्यु. डी. से नहीं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या पी. डब्ल्यु. डी. के अन्दर ट्रान्सपोर्ट नहीं आता ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं, दोनों अलग अलग हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या मिनिस्टर भी एक नहीं हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पर राजस्थान भर में सात सौ आठ सौ रूट्स हैं। उन सबको याद रखना मेरे लिये मुश्किल है। आप विभाग से पूछते तो जानकारी दे सकता था।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

हिन्दी साहित्य समिति, भरतपुर को सरकारी सहायता

७१६. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) श्री हिन्दी साहित्य समिति, भरतपुर को दो वर्ष पूर्व कितनी सरकारी सहायता प्रदान की जाती थी ?

(ख) गत वर्ष उसको कितनी सहायता दी गई थी, तथा अब की बार उसको देने के लिये कितनी रकम स्वीकार की गई है ?

(ग) इस प्रकार की संस्थाओं को सरकार किस आधार पर सहायता देती है ?

(घ) क्या उपर्युक्त संस्था राजस्थान की किन्हीं अन्य संस्थाओं से कम महत्व रखती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त संस्था को पूर्व की भांति यथोचित सहायता देने का प्रबन्ध करेगी ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) सन् ५६-५७ में ३०००) रुपया। सन् ५७-५८ में १२१४) रुपया।

(ख) गत वर्ष १२१४) रुपया दिया गया था। इस वर्ष अभी स्वीकार नहीं की गई है।

(ग) पिछले वर्ष के खर्च के आधार पर सहायता दी जाती है।

(घ) जी नहीं। सहायता स्वीकृत खर्चे पर निर्भर है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या यह आपके दिये हुए अंकों से प्रतीत नहीं होता कि पहले आपने तीन हजार दिये और फिर १२ सौ दिये और अब कम कर दिया है ?

Page No.26

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया कि जितना स्वीकृत खर्चा होता है उसके अनुपात से सहायता की रकम मिलती है । वे खर्चा कम करेंगे तो सहायता कम मिलेगी ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या खर्चा कम हुआ है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : स्वीकृत खर्चा, कुल के लिए नहीं कहता, जो है वह शायद कम किया होगा ।

श्री श्रीभानसिंह : शायद नहीं, निश्चित कहिये ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ठीक तौर से निवेदन करता हूं कि ग्रान्ट-इन-एड के लिए स्वीकृत खर्चे में कमी आने से कम सहायता दी है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं व्यक्तिगत ज्ञान से कह सकता हूं कि वहां के खर्चे में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है । कोई खर्चा घटा नहीं है ।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : मैंने जिस तरह निवेदन किया कि जिस खर्चे को हम नियम के अनुसार ग्रान्ट-इन-एड के लिए स्वीकृत खर्चा मानते हैं, उसमें कमी हुई है ।

श्री श्रीभानसिंह : क्या जब चीफ मिनिस्टर महोदय वहां उद्घाटन के लिए गये थे तो आश्वासन देकर आये थे कि ग्रान्ट-इन-एड कन्टीन्यू रक्खेंगे ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : ग्रान्ट-इन-एड कन्टीन्यू रखेंगे इसमें दो राय नहीं है । उसमें कमी करने का प्रश्न है । ग्रान्ट-इन-एड तो आज भी कन्टीन्यूड है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : तो क्या आप सहायता कम करते जायेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं । सहायता भी कम करने का प्रश्न नहीं है । मैं निवेदन करूं कि जो सहायता दी जाती है, वह ग्रान्ट-इन-एड के रूल्स के अनुसार दी जाती है । कुछ प्रकार के खर्चों को इस ग्रान्ट-इन-देने के लिए स्वीकृत खर्चा माना है और कुछ ऐसा खर्चा होता है जिसको ग्रान्ट-इन-एड के लिए स्वीकृत खर्चा नहीं माना गया है । तो वह खर्चा बढ़ सकता है पर उससे ग्रान्ट-इन-एड पर असर नहीं होता । ग्रान्ट-इन-एड के लिये जो स्वीकृत खर्चा है वह अगर बढ़ता है तो ग्रान्ट-इन-एड भी बढ़ती है और वह अगर घटता है तो उसके अनुसार वह भी घटती है । तो इन आधारों पर सहायता घटती-बढ़ती रहती है । वह स्वीकृत खर्चा अगर गिर जाता है तो अगले वर्ष की सहायता गिर सकती है । यह सहायता डिपेन्ड करती है स्वीकृत खर्चे के घटने और बढ़ने पर ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या गये तीन सालों में ये नियम बदलते रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बदले नहीं हैं, बल्कि पहले से अधिक लिबरल हुए हैं ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जो खर्चा पहले था वही आज भी है सभी मदों में । आप चाहें तो इसकी व्यक्तिगत जानकारी स्वयं कर सकते हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इसका पता लगाना चाहता था और पता लगा भी रहा हूं। जानकारी व्यक्तिगत भी कर सकता हूं । पर मैं निवेदन करूं कि इसके लिए निश्चित नियम हैं और एक इसकी एक कमेटी है जिस के

Page No.27

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सामने निश्चित आधार हैं और उन्हीं पर उसको निर्णय करना पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री लक्ष्मीचन्द ।

राजस्थान मोटर गैरेज के ड्राइवरों को अलॉउन्स

७१७. **श्री लक्ष्मीचंद** (सांचोर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तारीख २२ दिसम्बर, सन् ५४ को फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट के ऑर्डर मे राजस्थान के मोटर गैरेज के ड्राइवरों को ट्रक चलाने के ७५ रुपये अलॉउन्स देने के आदेश जारी किये गये थे ?

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से डिविज़न के ट्रक ड्राइवरों को यह अलॉउन्स दिया गया और कौन से डिविज़न के ट्रक ड्राइवरों को नहीं दिया गया ?

(ग) क्या सरकार जिन ड्राइवरों को को यह अलॉउन्स नहीं दिया गया है उनको अब देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :
(क) नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह ।

बालोतरा में शिववाड़ी की जमीन के किराये की वसूली

७१८. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि दो साल पहले कलेक्टर, बाड़मेर ने बालोतरा में स्थित शिववाड़ी की जमीन को स्कूल के लिये एक्वायर किया था ?

(ख) क्या यह भी सही है कि शिववाड़ी की जमीन पर कुछ व्यक्ति रहते हैं व उन्होंने शिव मन्दिर के लिए कोई किराया सरकार को नहीं दिया तथा क्या उनसे पिछले वर्षों का किराया वसूल किया जावेगा ?

(ग) क्या पिछला किराया वसूल करके शिव मन्दिर की मरम्मत करवाना जमीन एक्वायर करने से पहले निश्चित हुआ था ?

(घ) क्या शिववाड़ी की जमीन पर सड़क के किनारे की दुकानों की जमीन की बिक्री करने का सरकार का इरादा है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) पुराने कागजात उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) जी नहीं ।

श्री अनूपसिंह : आपने पहले यह कहा कि कोई जमीन एक्वायर नहीं की गई है । मैं इत्तला कर दूं कि एक्वायर तो दो साल पहले कर ली गई है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दो साल पहले एक्वायर नहीं हुई, १८ साल पहले हुई ।

श्री अनूपसिंह : यह दूसरी बात है । इसके बाद रिसेन्टली कार्यवाही दो साल पहले हुई है और कार्यवाही होकर जिसकी

(श्री अनूपसिंह)

जमीन थी उसकी एवज में दूसरी जमीन सरकार ने बतलाई है और यह अरेन्जमेन्ट तय हुआ था कि यह जमीन स्कूल के लिए ले ली जावेगी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने सिर्फ एक्वीजिशन के बारे में पूछा और मैंने उसका उत्तर दिया।

श्री अनूपसिंह इसका किराया वसूल कौन करता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अभी किराया वसूल नहीं हुआ। मैंने निवेदन किया कि सरकार की ओर से।

श्री अनूपसिंह : इसका किराया क्या यों ही छोड़ देंगे ? न मन्दिर में जमा होता है, न सरकार के काम आता है, न कहीं जमा हो रहा है, न स्कूल के लिए जमा हो रहा है तो वे जो बैठे हैं वहां ट्रैसपासर की हैसियत से बैठे हैं या किस तरह से ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसके लिए कलेक्टर के यहां कार्यवाही चल रही है कि उनको उस जमीन पर से हटाया जावे।

श्री अनूपसिंह : यह कार्यवाही तीन साल से चल रही है। अब तक नहीं हटाने का क्या कारण है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : डेढ़ साल से तो मुझे मालूम है। तीन साल से भी हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम बासोतिया

झुंझुनूं में दरी, कार्पेट व निवार का कारखाना

७१६. **श्री श्रीराम बासोतिया** (नवलगढ़) : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि झुंझुनूं में दरी, कार्पेट व निवार का सेन्टर खोला गया था ?

(ख) जी क्या यह भी सच है कि उक्त सेन्टर झुंझुनूं से हटाकर सांगानेर ले जाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप उद्योग मन्त्री : (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। झुंझुनूं में दरी व निवार उत्पादन केन्द्र के लिए कच्चे माल, स्किल्ड लेबर व बने हुए माल के लिए मार्केट—इन सभी साधनों के अभाव के कारण यह केन्द्र सांगानेर ले जाया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री ज्ञानचन्द मोदी।

भाखरा नांगल योजना पर व्यय

६६०. **श्री ज्ञानचंद मोदी** (नीम का थाना) : क्या विद्युत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने अब तक भाखरा नांगल योजना में कितने रुपये खर्च किये हैं ?

(ख) इस योजना से राजस्थान को कितनी किलोवाट बिजली प्राप्त होगी ? वर्तमान समय में किस किस क्षेत्र को बिजली प्राप्त है व कौन कौन से क्षेत्रों में बिजली देने की योजना है ?

(ग) क्या नीम का थाना क्षेत्र को इस

(श्री ज्ञानचन्द मोदी)

योजना के अन्तर्गत बिजली दी जावेगी ? यदि हां, तो कितनी और कब तक ?

(घ) इतनी देरी का क्या कारण है ?

(ङ) क्या नीम का थाना क्षेत्र के आस-पास के इलाके में बिजली सप्लाई करने की मंजूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो वहां बिजली ले जाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(क) राजस्थान में उद्योग विभाग द्वारा अब तक ७५.३६ हजार रुपये खर्च हुए हैं। पंजाब सरकार द्वारा खर्च राशि के आंकड़े इस वक्त उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) करीब २२-२३ हजार किलोवाट बिजली नेक्स्ट स्टेज पूरा होने पर मिलेगी। अभी राजस्थान में किसी क्षेत्र में बिजली प्राप्त नहीं है। मई ५६ तक गंगानगर, जुलाई ५६ तक राजगढ़ में मिलने की सम्भावना है। फिलहाल पांच-छः हजार किलोवाट बिजली मिलेगी। गंगानगर, बीकानेर, झुंझुनूं व सीकर जिलों में योजनानुसार बिजली दी जावेगी।

(ग) नीम का थाना योजना में नहीं है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) बिजली की लाइन खेतड़ी तक जावेगी। इसके बाद जहां जहां लोड के अनुसार संभव होगा वहां वहां पर लाइन बिछाई जावेगी।

श्री ज्ञानचंद मोदी : जब लाइन खेतड़ी तक जावेगी तो नीम का थाना तो नजदीक ही है।

श्री रामकिशोर व्यास : लोड सर्वे कराना पड़ेगा कि कहां कहां कितना कन्ज़म्प्शन और हो सकता है।

श्री ज्ञानचंद मोदी : यह सर्वे कब तक होगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी तक तो बिजली आई ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

श्री गज्जा पटेल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रथम व द्वितीय योजना के अन्तर्गत जिलेवार व्यय

१. **श्री लालूराम टटवाड़िया** (टौंक) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस २ जिले में कितने रुपये किस किस कार्य में खर्च किये गये ?

(ख) टौंक जिले में अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई ?

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस २ कार्य के लिये किस किस जिले में कितना कितना रुपया खर्च किये जाने की योजना है ? उक्त खर्चे की जिलावाइज एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री लालूराम टटवाड़िया)

(घ) टोंक जिले में किस २ कार्य में दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितना २ खर्च किया जावेगा ?

उत्तर

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में व्यय की गई धनराशि का जिलेवार ब्योरा सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ख) टोंक जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ५२.११ लाख एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों १९५६-५७ व १९५७-५८ में ४२.६५ लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई है ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का जिलेवार बटवारा नहीं किया गया है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में किये जाने वाले कार्यों के लिये प्रति वर्ष कार्यों की आवश्यकता एवं उनको कार्यान्वित करने हेतु धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजनाएं बनाई जाती हैं तथा कार्यान्वित की जाती हैं । सन् १९५८-५९ में कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यों की सूची सदन मेज पर रख दी गई है ।

(घ) इसका उत्तर प्रश्न (ग) के उत्तर में समाविष्ट है ।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

राजस्थान में अम्बर चर्खा परिश्रमालय

२ **श्री भैरवलाल 'काला बादल'** (अकलेरा): क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कितने अम्बर परिश्रमालय चलाये जा रहे हैं और किस २ स्थान पर कितने समय से ?

(ख) अब तक प्रत्येक अम्बर परिश्रमालय को सरकार द्वारा कितनी धन राशि दी गई और इन केन्द्रों पर कितनी आमदनी और कितना खर्चा हुआ ?

उत्तर

(क) राजस्थान में अभी तक १५३ अम्बर परिश्रमालय चल रहे हैं, जिनके स्थान व संख्या की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । (जिन संस्थाओं द्वारा परिश्रमालय चलाये जा रहे हैं उन संस्थाओं का नाम भी सूची में अंकित है ।

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा किसी भी परिश्रमालय को धनराशि योजना के लिये नहीं दी गई है । अतः केन्द्रों पर आमदनी व खर्च का प्रश्न ही नहीं उठता

(कृपया परिशिष्ट ९ देखिये)

सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं को सहायता

३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर-सिटी) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

किन किन सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं को कितनी कितनी सहायता दी जाती है ? कृपया जिलेवार सूची दी जाय ?

उत्तर

सदस्य महोदय की जानकारी के लिए जिलेवार सूची संलग्न है ।

(सूची अत्यधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पशु चिकित्सालय

४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मंत्री, पशु चिकित्सा विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

राजस्थान बनने के बाद उदयपुर, डूंगरपुर बांसवाडा व भीलवाडा जिलों में पशु चिकित्सा विभाग की ओर से कहां कहां कितने चिकित्सालय चल रहे हैं तथा क्या क्या अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं ? प्रत्येक स्थान में किस प्रकार की नस्ल के कितने कितने मवेशी हैं ?

उत्तर

राजस्थान बनने के पश्चात् आज तक राजस्थान में पशु पालन विभाग द्वारा जो पशु चिकित्सालय चल रहे हैं उनकी सूची संलग्न है । राजस्थान में जो जो अन्य कार्य इस विभाग द्वारा किये जा रहे हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है :

१–पशुओं की चिकित्सा करना–इसके अन्तर्गत स्थान स्थान पर पशु-चिकित्सालय खोले गये हैं तथा खोले जा रहे हैं । हाल में सरकार की नीति केवल तहसील स्थान पर ही पशु-चिकित्सालय खोलने की है ।

२–मुर्गे-मुर्गी विकास योजना–इस योजना के अन्तर्गत विकास क्षेत्रों में रियायती दर से मुर्गे-मुर्गी पालकों को मुर्गे-मुर्गी दिये जाते हैं । हाल ही में बीकानेर में भी एक मुर्गे-मुर्गी विकास केन्द्र स्थापित किया जा रहा हैं ।

३–पशु नस्ल सुधार योजना–इस योजना के अन्तर्गत तीन नस्ल सुधार केन्द्र चल रहे हैं जो अलवर, बस्सी तथा नागोर में है । इस योजना के अन्तर्गत शीघ्र ही दो और नस्ल सुधार केन्द्र डग (जिला झालावाड़) तथा अजमेर में स्थापित किये जावेंगे ।

४–चलते फिरते अस्पताल–इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान में जिला स्थानों पर चल पशु चिकित्सालय रखे गये हैं जो गांव गांव में जाकर बीमार पशुओं की निःशुल्क सेवा करते हैं । उक्त केन्द्रों की सूची संलग्न है ।

५–चलते फिरते टीके लगाने वाले केन्द्र इस योजना के अन्तर्गत जिला स्थानों के गांवों में आने वाली पशुओं की बीमारी की रोकथाम के लिये चलते फिरते टीके लगाने वाले केन्द्र खोले गये हैं । जिनकी सूची संलग्न है । इस योजना के अन्तर्गत आने वाली बीमारी की रोकथाम के लिये टीके लगाये जाते हैं और प्रान्त के पशुओं को मौत से बचाया जाता है ।

६–पुनःस्थापन योजना–इस योजना के अन्तर्गत घुमक्कड पशु-पालकों को पुनःस्थापित किया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत बीकानेर जैसलमेर तथा बाडमेर जिलों में फिरने वाले घुमक्कड पशु-पालकों को बसाया जा रहा है । इसका कार्यालय बीकानेर में रखा गया है ।

७–ऊंट विकास योजना–इसका कार्यालय बीकानेर में है । इस योजना के अन्तर्गत ऊंटों के विकास हेतु धन के रूप में सहायता दी जाती है ।

८– शूकर विकास योजना–इस योजना के अन्तर्गत हाल ही में बस्सी (जिला जयपुर) में एक शुकर विकास केन्द्र खोला गया है । इस योजना के अन्तर्गत शूकर पालकों को रियायत दर से शूकर दिये जावेंगे ।

(श्री भीमसेन)

६—रेन्डरपेस्ट स्कीम:—इस योजना के अन्तर्गत माता की बीमारी की रोकथाम के लिये टीके लगाये जा रहे हैं । योजना का कार्य प्रारम्भ हो गया है । अभी जिला गंगानगर व चुरू जिले के गांवों में पशुओं के टीके लग रहे हैं । इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान के सारे पशुओं में टीके लगाये जायेंगे ताकि वे इस भयंकर रोग से हमेशा के लिये मुक्त हो जायें ।

१०—गोशाला विकास योजना-इस योजना के अन्तर्गत गोशालाओं का विकास करना तथा वहां की नस्लों को सुधारना तथा दूध का उत्पादन बढाना है । इस योजना के अन्तर्गत १४ गोशालाओं को राज्य कोष से सहायता दी जा रही है जिनकी सूचि संलग्न है ।

११—भेड ऊन विकास योजना—इस योजना के अन्तर्गत जगह जगह भेड विकास केन्द्र खोले गये हैं तथा तीन भेड नस्ल सुधार केन्द्र खोले गये हैं । पोकरण (जिला जोधपुर) कोडमदेसर (जिला बीकानेर)तथा दो अनुसंधानशालाओं में ऊन के विकास हेतु व भेड़ों का अनुसंधान किया जाता है ।

१२—कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र—इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान में अच्छी नस्ल के सांडों द्वारा कृत्रिम रीति से गायों तथा भैंसों को गाभिन किया जाता है । राजस्थान में जहां ये कृत्रिम केन्द्र स्थापित किये गये हैं, उनकी सूची संगलन है ।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिये)

बस चलाने के पर्मिट-जयपुर-अजमेर-कोटा रूट

५ रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५६–५७–५८ में जयपुर से अजमेर और जयपुर से देवली और कोटा के लिये बस चलाने के पर्मिट स्थायी और अस्थायी किन किन को दिये गये ?

(ख) यह पर्मिट किन आधारों पर किन किन जाति के लोगों को दिये गये ?

(ग) टोंक सिटी में से उपरोक्त स्थानों के लिये बस सर्विस चलाने के पर्मिट किन किन को दिये गये ।

उत्तर

(क) जयपुर-अजमेर रूट : इस रूट पर १९५६-५७-५८ के वर्ष में कोई स्थायी परमिट व १९५६ में कोई अस्थायी पर्मिट नहीं दिये गये हैं । सन् १९५७ व ५८ में जिनको अस्थायी पर्मिट दिये गये हैं उनकी सूची :क: संलग्न है ।

जयपुर-टोंक-देवली रूट :

१९५६-५७-५८ में इस रूट पर कोई अस्थायी पर्मिट नहीं दिये गये हैं । १९५७ में जिनको स्थायी पर्मिट दिये गये हैं उनकी सूची (ख) संलग्न है । १९५६ व ५८ में कोई स्थायी पर्मिट नहीं दिये गये हैं ।

जयपुर-कोटा रूट पर कोई पर्मिट उपरोक्त वर्षों में नहीं दिये गये हैं ।

(ख) पर्मिट देते समय मोटर व्हीकल्स एक्ट की धारा ४७ में दी हुई बातों पर गौर किया जाता है । जाति बताना सम्भव नहीं है क्योंकि आवेदन के फार्म में ऐसा कोई कालम नहीं है ।

Page No.33

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(ग) कृपया संलग्न सूची (ग) देखें।

(कृपया परिशिष्ट ११ देखिये)

भरतपुर जिले में ईंट के भट्टे

६. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Industries please state :

(1) How many Brick-Klins are there in Bharatpur District ? (Please give names of brick-klins alongwith their owners, Tehsil-wise).

(2) How much quantity or wagons of coal was allotted to each of the brick-klins or in the name of their owners separately in the years 1955, 56 and 57 ?

(3) How many brick-klins actually worked and utilised the allotted coal quota in the years 1955, 56 and 57 ? If possible please give the output of each klin individually.

(4) How many brick-klins or owners to whom coal quota was allotted did not work or manufacture bricks or work their klins during the years 1955, 56 and 57 ?

(6) What action does the Govt. intend to take against those brick-klins or individuals who got the coal quota allotted in their names but did not utilise it for the purpose for which it was allotted ?

(7) How many brick-klins have obtained the sanction of either the Govt., Collector of the District or Tehsildar of Tehsils or Municipality or the Panchayats in years 1955, 56, 57 and how many have not obtained any permission or sanction from any agency ? How much coal quota was allotted in years 1955, 56 and 57 to such unauthorised klins or owners?

उत्तर

(1) Detailed list is attached.

(2) Detailed list attached.

(3) the information is not readily available, and is under compilation from the district.

(4) A detailed list of those brick-klins which worked during the years in question is attached herewith.

(5) No such information is readily available. The same would be furnished after detailed enquiry.

(6) The question does not arise.

(7) This does not concern this Department. As far as known to this office the brick-klin owners have taken regular permission from the concerning authorities.

(कृपया परिशिष्ट १२ देखिये)

सांचोर पशु मेले में पानी का प्रबन्ध

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) इस वर्ष सांचोर पशु मेले में पानी का प्रबन्ध करने हेतु कितने रुपयों की

(श्री लक्ष्मीचन्द)

धनराशि स्वीकृत की गई तथा पानी का प्रबन्ध किस प्रकार किया गया ?

(२) पानी सप्लाई करने के लिये कितने बेरे निर्धारित किये गये थे ? क्या उनके टेन्डर मांगे गये ? यदि नहीं तो क्यों ?

(३) मशीन से पानी निकालने वाले कितने बेरे थे तथा प्रत्येक को कितने २ रूपये दिये गये ?

(४) सन् १९५७ और ५८ के पशु-मेले में कुल कितना खर्चा हुआ तथा कितने मवेशी आई ?

(५) मशीन वालों की मशीनें प्रति दिन में हर एक की कितने कितने घन्टे चली और उनको प्रति घन्टे किराया किस हिसाब से दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(६) मशीनवालों तथा बेरोंवालों को कौनसी तारीख से कौनसी तारीख तक किराया व पैसा दिया गया ?

(७) क्या यह सत्य है कि सन् १९५७ में जब जनता के हाथ में प्रबन्ध था तब एक मशीन से ही पानी निकाला गया था और उसको सिर्फ ३१६ रू० ही दिये गये थे और इस वर्ष गत वर्ष की बनिस्पत कम मवेशी आये तो भी ज्यादा पैसे दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) सांचोर पशु मेले में पानी का प्रबन्ध करने हेतु ८,३००) रु० की धनराशि मंजूर की गई थी और पानी का प्रबन्ध बेरी द्वारा किया गया था, प्याउयें लगाई गई थी और ऊंटों से व ट्रकों से भी पब्लिक को पानी पहुँचाया जाता था ।

(२) पानी सप्लाई करने हेतु ६ बेरे मुकर्रर किये गये थे और उनको गत वर्ष की रेट्स पर ही तैयार किया गया था और मेले के नजदीक यही बेरे आते हैं । अतः टेन्डर मांगने की आवश्यकता नहीं थी और न इन बेरों के अलावा दूसरे बेरे काम में आ सकते थे ।

(३) मशीन से पानी निकालने वाले उपरोक्त में से तीन बेरे थे और एक तो मशीन वक्त जरूरत चलाई जाती थी उनको २,३१५ रु० दिया गया ।

(४) सन् १९५७ की चाही गई सूचना एकत्रित की जा रही है और सन् १९५८ में कुल १२,५४२ रुपये का खर्चा हुआ और १४,०९२ मवेशी आये ।

(५) दो मशीनवालों की मशीनें चौबीस घंटे ही चलती थीं । अब भी बेरें में पानी नीचे उतर जाता था उस वक्त दो मशीनें काम करना बन्द कर देती थीं और जब वापिस पानी आता तो चालू हो जाती थीं । इनको प्रति घंटे के हिसाब से पेमेन्ट नही किया गया बल्कि वाटर कमेटी द्वारा बाद में गौर कर ३,०००) रु० मंजूर किया गया सो दे दिया गया अतः इसकी कोई सूची पेश करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(६) मशीनवालों को—

	३१	मार्च से	८ अप्रेल
	,,	,,	५ ,,
	१	,,	६ ,,
बेरोंवालों को	२१	,,	६ ,,
बेरे ५ वालों को	२-४-५८	,,	६-४-५८ तक

Page No.35

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(७) गत वर्ष जनता के हाथ पानी का प्रबन्ध था । यह नहीं कहा जा सकता कि जनता ने कितना रुपया खर्चा किया । इस वर्ष सरकार द्वारा पानी हेतु ३,०००) रु० खर्चे गये । यह रकमवाटर कमेटी द्वारा तय हुई ।

जिला जालोर में मेड़ बन्दी

८. श्री लक्ष्मीचन्द : (सांचोर) क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

जिला जालोर में मेड़बंदी का कार्य किस किस गांव में शुरू किया गया है और कितने कितने बीघों में मेड़बंदी हो चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें :

उत्तर

जिला जालोर में मेडबंदी का कार्य जिन जिन गांवों में किया गया है उसकी सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट १३ देखिये)

प्रथम एवं द्वितीय योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण एवं विस्तार

९. श्री सज्जनसिंह (बूंदी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(क) प्रत्येक जिले में सड़कों का माईलेज:–

अ. टार (ब) पक्की (मेटल्ड) तथा (स) फेयर वेदर के हिसाब से क्या है ?

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना में नई बनने वाली जिलेवार (अ) टारड (ब) मेटल्ड तथा (स) फेयर वेदर सड़कों का माईलेज क्या है ?

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिलेवार तथा वर्षवार नई बनने वाली (अ) टारड, (ब) मेटल्ड, तथा (स) फेयर वेदर सड़कों का माईलेज क्या रखा गया है ?

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजनानुसार अब तक जिलेवार कितनी कितनी माईल सड़कें नई बन चुकी हैं ?

उत्तर

(क), (ख), (ग), एवं (घ)– सूची प्रस्तुत है ।

(कृपया परिशिष्ट १४ देखिये)

जिला भरतपुर में बस चलाने के परमिट

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) भरतपुर जिले में धौलपुर उपजिले को छोड़कर राजस्थान बनने से चालू वर्ष तक किन २ व्यक्तियों को या कोऑपरेटिव सोसाइटीज को किन २ रूट्स पर बस सर्विस चलाने के परमिट्स दिये गये ?

(ख) किन रूट्स पर बसेज चालू हैं और किन रूट्स पर नहीं ? बसेज चालू न करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(क) सूची-पत्र संलग्न है ।

(ख) सभी मार्गों पर बसें चालू हैं ।

(कृपया परिशिष्ट १५ देखिए)

Page No.36

ट्रैक्टर खरीदने हेतु तकावी

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Agriculture please to state :

(1) To how many people Taqavi for tractors was given since the formation of Rajasthan, 1949 to 1957 ? Please give their names and amounts tehsil-wise in Bharatpur District.

(2) How much land does each tractor owner, who took taqavi, possess ?

(3) How many of them contributed their share of the tractor taqavi ?

(4) Of what make of tractors did each of them purchase ? price of the tractors and its implements may please be given separately. Which Officer certified the possession of the tractors and its accessories with the owners ?

(5) How many have paid their due instalments and on how many the instalments are still due ? Please give against the name of each defaulters the action, if any, taken.

(6) How many have sold their tractors and in which years and whether this was done with or without permission.

उत्तर

(1) The loan for tractors in Bharatpur District was granted to 68 parties. Their details are given in enclosed statement.

(2) Given in the statement.

(3) 61 parties. Details are given in the enclosed statement.

(4) This has been mentioned in column 8, 9, 10, 11 of the statement enclosed.

(5) Mentioned in the statement.

(6) None of then have sold their tractors.

(कृपया परिशिष्ट १६ देखिये)

टेक्ट्रर, बैल इत्यादि खरीद के लिये ऋण

१२. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): (क) क्या यह सही है कि कृषि विभाग से खेती की उपज के लिये सन् १६५४, ५५, ५६, ५७, ५८, में जिलेवार आलात काश्तकारी यानी ट्रैक्टर, बैल इत्यादि खरीद के लिये धन राशि दी गई थी ? अगर हां, तो कितनी कितनी और किन किनको ?

(ख) उसमें से अब तक कितनी वसूली हो चुकी और किन किन पर कितनी कितनी है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ग) क्या सरकार ने इस बात की भी जांच कराई है कि धनराशि जिस कार्य के लिये दी गई थी उस ही संबंध में खर्च की गई ? क्या जांच की रिपोर्ट सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

उत्तर

(उत्तर अनुपलब्ध)

प्रथम पंच वर्षीय योजना काल में वृक्षारोपण

१३. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या मंत्री, वन विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(क) राजस्थान में प्रथम पंच वर्षीय योजना में डिविजन, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और ग्राम-वाइज, कहां कहां नये पौधे और जंगल लगाये गये ?

(ख) इन पौधों के लगाने में कितना कितना सरफा हुआ और अब कितने कितने पौधे डिस्ट्रिक्ट, तहसील व ग्रामवाइज जीवित हैं ?

(ग) क्या इन पौधों की और रकम खर्च की जांच हो चुकी है ? अगर हां, तो किन किन ऑफिसर द्वारा ?

उत्तर

(क) सूची संलग्न हैं।

(ख) व्यय उपरोक्त सूची में अंकित है। विस्तृत गणना नहीं की गई है। इस कारण यह बताना असभंव है कि कितने पौधे जीवित हैं।

(ग) जी हां। इस विषय पर वन अधिकारियों व संरक्षकों एवं मुख्य वन संरक्षक ने पौधों और खर्चे की जांच की हैं।

(कृपया परिशिष्ट १७ देखिये)

सब-इन्सपेक्टर्स ट्रेनिंग के लिए इन्टव्यू

१४. **श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) :** क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि २ व ३ मार्च सन् ५८ को सब-इन्सपेक्टर्स की ट्रेनिंग में भेजने के लिये इन्टव्यूज एवं परीक्षा हुई थी ? यदि हां, तो उसमें कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था तथा कितने व्यक्ति सिलेक्ट किये गये। सिलेक्टड व्यक्तियों के नाम तथा योग्यता क्या है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(ख) उपरोक्त सिलेक्टेड व्यक्तियों में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भी थाने में काम नहीं किया ?

(ग) क्या यह सही है कि कितने ही ऐसे व्यक्ति है जो परीक्षा में फेल हो चुके थे, किन्तु उन्हें पर्सनल इन्टव्यू का अवसर देकर सिलेक्ट किया गया है ? यदि हां, तो उनके नाम क्या २ हैं ?

उत्तर

(क) जी हां। दिनांक २ और ३ मार्च, १९५८ को थानेदार प्रशिक्षण कोर्स में भेजने हेतु परीक्षा हुई। इसमें कुल ४२८ व्यक्तियों ने भाग लिया और उनके नाम और योग्यता इस प्रकार है :

१. प्रेमनाथ, हैड कॉन्स्टेबिल		मैट्रिक
२. नरपतसिंह, हैड	,,	मैट्रिक
३. हरिसिंह, हैड	,,	मैट्रिक
४ राममूर्ति		अ. एस.आई इन्टर
५. रतनलाल, हैड कॉन्स्टेबिल		इन्टर
६. महेशचन्द्र, हैड	,,	बी. ए.
७. हृदयनाथ, हैड	,,	मैट्रिक
८. भीमसिंह आफी, एस. आई.		बी ए. एल. एल.बी.

(ख) यह आवश्यक नहीं है कि थाने में काम करने वाले को ही थानेदार के पद पर चुना जाय।

(ग) जी नहीं। विधि यह है कि साक्षात्कार लिखित परीक्षा के पश्चात् होता है। दोनों के गुण जोड़ कर अधिक गुण प्राप्त करने वाले को चुना जाता है।

बिजलीघरों में इन्जन व टर्बाइन्स

१५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) अप्रैल सन् १९४९ तक राज्य के प्रत्येक बिजलीघर व पॉवर हाउस में कितने इंजन व टर्बाइन्स थे तथा प्रत्येक की क्षमता (उत्पादन) क्या थी, तथा उस वक्त उनकी क्या हालत थी ?

(ख) उपरोक्त समय के बाद आज तक उपरोक्त थानों में कितनी कितनी क्षमता की मशीनरी, कितनी लागत की लगाई गई ?

(ग) इस समय प्रत्येक बिजली घर व पॉवर हाउस की उत्पादन क्षमता क्या है ?

उत्तर

(उत्तर अनुपलब्ध)

राजस्थान नहर योजना में जमीन का वितरण

१६. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान नहर योजना में आने वाले गांवों में जमीन वितरण हेतु सरकार ने क्या तैयारी कर रखी है ? क्या यह सही है कि सूरतगढ़ तहसील के काफी गांवों में पंजाब से आने वाले काश्तकारों को जमीन दी जा रही है ?

(ख) संवत् २०१४–१५ से उक्त क्षेत्र के किन किन गांवों में, कहां कहां के रहने वाले किन किन काश्तकारों को, कितनी २ जमीन काश्त पर दी गई है ?

उत्तर

(क) राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में स्थायी रूप से भूमि आवंटन करने हेतु नियम बनाये जा रहे हैं और उनका प्रारूप सरकार के विचाराधीन है।

जी नहीं।

(ख) बीकानेर जिले में जो भूमि वितरण की गई, उसकी सूची मेज पर रख दी गई है।

गंगानगर जिले में सम्वत् २०१४ में २,४८, ०७४ बीघा जमीन आरजी काश्तकार पर वितरित की गई। सम्वत् २०१५ में रकबा नियमानुसार वितरित किया जा रहा है, कार्य पूरा होने पर कुल जमीन का क्षेत्रफल बताया जा सकेगा।

जमीन सैकड़ों, हजारों कृषकों को दी गई है। उसकी तालिका तैयार करने में काफी समय लगेगा।

(कृपया परिशिष्ट १८ देखिये)

११. ५९ म० पू०

श्री उपाध्यक्ष महोदय के मतदान में भाग लेने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : कल एक माननीय सदस्य ने माननीय उपाध्यक्ष के मतदान के विषय में एक आपत्ति उठाई थी। उसका निर्णय अगले सप्ताह दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : अगले सत्र में।

श्री अध्यक्ष : Next week.

१२ मध्यान्ह

दैनिक पत्र 'नवयुग' में प्रकाशित समाचार-सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अब एक विशेषाधिकार का प्रश्न है—नवयुग के सम्बन्ध में । श्री श्रीमानसिंह

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : इसमें इन्टरिम अरेंजमेन्ट तो हो जावे । मान लीजिये अभी फिर मतदान हो जावे तो उनको मतदान की अनुमति होगी या नहीं । रूलिंग का डिसीज़न तो अगले सप्ताह में हो जावेगा, पर इन्टरिम डिसीज़न हो जावे, ताकि वे इस बीच में मौका पड़ जावे तो मतदान कर सकते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मत वे दे सकते हैं ।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष, एक प्रिविलेज का सवाल पिछले बजट सैशन में एक आर्टिकल के जरिये 'नवयुग डेली' ने इस सदन के माननीय सदस्य श्री टीकारामजी पालीवाल के संबंध में, यानी जो उन्होंने भाषण दिया था उसके बारे में, कुछ टीका-टिप्पणी की थी, उठा था । उस आर्टिकल को पढ़ने से ऐसा जाहिर होता है कि उस आर्टिकल में माननीय सदस्य श्री टीकाराम पालीवाल के ही आचरण की ही टीका-टिप्पणी नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ माननीय अध्यक्ष की ओर भी इशारा था । तो इन दोनों चीजों को देखते हुए यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या इस सदन के कुछ प्रिविलेजेज़ हैं और किस तरह से इस सदन के माननीय सदस्य अपने जो कर्तव्य या रेस्पोन्सिबिलिटी हैं, उनको फ्रीली या बिना किसी फियर ऑफ इन्टिमिडेशन या जो अननेसेसरी क्रिटिसिज्म होता है, फ्रीली अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज as a representative of the people करते हैं । तो यह जरूरी है कि जो सदन की प्रिविलेजेज़ हैं, उनको सेफ गार्ड करना पड़ेगा । इसके साथ साथ एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि जनतन्त्र में प्रेस को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है । चूंकि इतनी महत्वपूर्ण चीजें इसमें इन्वोल्व्ड हैं, यह देखते हुए जो माननीय अध्यक्ष का निर्णय हुआ था कि इसमें Prima Facie इस आर्टिकल से ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेज़ है, यह सब देखते हुए मैं ज्यादा इस पर न कह कर, क्योंकि पिछले सत्र में काफी इस पर बहस हो गई थी, मैं माननीय अध्यक्ष से यह चाहूंगा कि मुझे मोशन करने की इजाजत दी जाय, जिससे इसको प्रिविलेज कमेटी में रेफर कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : आप इस मोशन को पढ़ दीजिये ।

श्री श्रीमानसिंह : मोशन कौन सा ?

श्री अध्यक्ष : जिसको आप पेश करने की इजाजत चाहते हैं ।

श्री श्रीमानसिंह : That the motion of privilege against the y be refferred to the Committee of privileges.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि······ This is actually the motion which will follow.

श्री श्रीमानसिंह : Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष : First you should ask leave of the House to introduce that motion. I will read the relevant rule Under Rule 58. 'The Speaker, if he gives consent under the Rule56 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the

(श्री अध्यक्ष)

questions and before the list of business is entered upon, call the member concerned, who shall rise in his place, and while asking for leave to raise the question of privilege make a short statement relevant thereto."

श्री श्रीभानसिंह : I beg leave to move my motion.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : Now you can move that it be referred to the Privileges Committee.

श्री श्रीभानसिंह : I move that the motion against the Navyug daily be referred to the Committee of Privileges.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, जब यह लीव मिल गई हैं, उसके बाद में प्रिविलेज मोशन लीडर ऑफ दी हाउस की तरफ से मूव होना चाहिये। रूल नं० ५६में यह स्पष्ट है,"59-Reference to Committee of Privilege.....If leave under Rule 58 is granted, the question shall be referred to a Committee of Privilege on a motion made by the Leader of the House and, in his absence, by the member who has raised the question of privilege." मैं समझता हूँ कि मुख्य मंत्रीजी जो सदन के नेता हैं और यहां मौजूद हैं। जब कन्सेन्ट अध्यक्ष महोदय की तरफ से मिल गई, तो सदन के नेता की तरफ से ही यह मोशन मूव होना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : The Hon'ble Member has already moved and I think there is no necessity of again moving it.

कई माननीय सदस्य : जब आप मौजूद हैं, तो मूव तो आप ही कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : The Hon'ble Member can move the motion.

श्री तनसिंह : (बाड़मेर) अध्यक्ष महोदय, मूव तो वे कर सकते हैं। लेकिन जब लीडर ऑफ दी हाऊस मौजूद हैं और नियम इस प्रकार के हैं कि जब एक बार प्रिविलेज मोशन एडमिट हो जाता है और उसको मूव लीडर ऑफ दी हाऊस की तरफ से किया जाता है, यदि वे सदन में उपस्थित हों और न हों, तो वैसी स्थिति में वह माननीय सदस्य जिसने मोशन रखा है, उसके द्वारा किया जा सकता है। यह एक स्वस्थ परम्परा है। अगर वे उपस्थित नहीं होते, तो माननीय सदस्य तो करते ही, लेकिन जब वे उपस्थित हैं तो उन्हें इसको मूव करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सदन के मानानीय नेता कह चुके हैं कि वे मूव नहीं करना चाहते, इसलिये माननीय सदस्य ही इसको मूव कर दें।

कई माननीय सदस्य : उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। ऐसा कह दें तो दूसरी बात है।

श्री भैरोंसिंह : उनके चाहने नहीं चाहने का प्रश्न नहीं है । यह तो नियम की बात है ।

श्री पी० के० चौधरी : Sir, he does not say that he does not want to move. And when we request him ...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्ष, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं मूव नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है । यदि सदन इससे सहमत हो तो मूव करने का प्रश्न नहीं आता । पहले ही माननीय सदस्यों ने मोशन कर दिया है, मैं एतराज नहीं करता और यदि वे मूव कर दें तो वैधानिक एतराज नहीं है ।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, इसमें एतराज है । नियमों का ठीक तरह से पालन होना चाहिये । मुख्य मंत्रीजी को एतराज न हो, लेकिन हमें एतराज होना चाहिये । हम एतराज करते हैं और इसलिए हमारे एतराज को मद्देनजर रखते हुए आप ही मूव करें । आपका एतराज करना इसमें डाइरेक्टली कन्सर्ड नहीं है । एतराज करें या नहीं, इसका सवाल नहीं है । यदि आप मूव करना चाहें तो कर दें और नहीं करना चाहें तो बात दूसरी है ।

श्री अध्यक्ष : यदि माननीय सदस्य करें, तब भी नियमों के अनुसार इसमें कोई आपत्ति नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, नियमों के अन्दर स्पष्ट है कि सदन के नेता ही मूव करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में जिन्होंने प्रस्ताव रखा है, वे कर सकते हैं । मुख्य मंत्रीजी नहीं करना चाहते, लेकिन वे सदन को छोड़ कर चले जावेंगे तो वे मूव कर देंगे । जब वे सदन में मौजूद हैं तो उनको करना चाहिये । रूल्स बिल्कुल साफ हैं । यदि रूल्स की मंशा यह होती कि सदन के नेता चाहें तो उनको इजाजत दें if that would have been conditional, subject to his approval...तब तो माननीय सदस्य मूव कर सकते थे । रूल्स में साफ लिखा है कि लीडर ऑफ दी हाउस मूव करेंगे और यदि लीडर ऑफ दी हाउस अनुपस्थित होंगे, तो वे माननीय सदस्य मूव करेंगे जिन्होंने प्रस्ताव रखा है । इसलिये यदि किसी कारणवश माननीय मुख्य मंत्रीजी नवयुग के खिलाफ मोशन मूव नहीं करना चाहते, वे सदन से अनुपस्थित हो जांय, दूसरे कर देंगे ।

(हँसी)

श्री अध्यक्ष: एब्सेन्स का मतलब फिजिकली एब्सेन्स से नहीं है ।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : वे तो फिजिकली और मेंटली प्रेजेन्ट हैं ।

(हँसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मोशन रखा है, उसको मेरी तरफ से मूव किया हुआ समझ लीजिए ।

(हँसी)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय सदन के नेता ने रखा है, उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया

(विपक्ष की ओर से करतलध्वनि)

Page No.42

(श्री अध्यक्ष)

१२.८ म० प०

नाथद्वारा के महंत से जेवरात इत्यादि पुलिस द्वारा कब्जे में लेने विषयक स्थगन का प्रस्ताव

सदन के समक्ष एक स्थगन प्रस्ताव आया था, नाथद्वारा के महन्त श्री के विषय में। उनके कुछ जेवरात इत्यादि सामान पुलिस ने अपने तहवील में लिया है। उसके सम्बन्ध में बयान देने के लिये सदन को इत्तला दी थी। माननीय गृह मन्त्रीजी उस विषय में एक बयान देंगे।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, गत १६ नवम्बर को श्री आई. जी. पी. को यह सूचना प्राप्त होने पर कि नाथद्वारा के तिलकायत महाराज श्री गोविन्दलालजी गांधीनगर, टोलियों के गार्डन में ठहरे हुए हैं तथा पुरुषोत्तम बिहारी मंदिर का कुछ माल बेचने दिल्ली जा रहे हैं। डी० आई० जी० पी० जयपुर ने एडिश्नल एस० पी०, श्री सुन्दरलाल त्रिवेदी को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए तैयार कर दिया। तदनुसार श्री त्रिवेदी और उनके अफसरों ने आमेर में तिलकायतजी महाराज की तीन मोटरों की तलाशी ली और उनकी तहवील में लाखों रुपये के जेवरात आदि लिए। इन मोटरों में नाथद्वारा के तिलकायतजी महाराज एवं अन्य कुछ व्यक्ति मौजूद थे। तिलकायतजी महाराज अपने दो प्रतिनिधियों को जयपुर में माल के साथ छोड़ कर दिल्ली चले गये हैं। जवाहरात का अब तक का मूल्यांकन ७॥ लाख रुपया है। छानबीन जारी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of information, Sir, क्या यह सही है कि जब आमेर में तलाशी ली गई थी, उस समय उनके पास ८ सन्दूक मिले थे, जिनमें से तीन उन्हीं को वापिस लौटा दिये ?

श्री अध्यक्ष : He is asking for some additional information. If that is available with you.

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो तलाशी एडिश्नल डिप्टी एस० पी० द्वारा लिवाई, तो मेरा यह डेफिनेट एसर्शन है कि वहां पर ८ सन्दूक मिले थे और उनमें से ३ सन्दूक उनको लौटा दिये। उनके लौटाने का क्या कारण था ? उनको तीन लौटाये, क्या यह सही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : उनके कपड़े वगैरह हों तो ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : But three bags were returned to him, this you admit ?

श्री अध्यक्ष : इस बयान पर तो कोई बहस नहीं होगी....

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सूचना मांग रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : इसी विषय में एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आया हुआ है, जो हमारे विचाराधीन है। अगर उसे प्रस्तुत करने की इजाजत दी गई, तो माननीय सदस्य उसके बारे में और सूचना उस समय पूछ सकते हैं।

Page No.43

१२. १२ म० प०

राजस्थान भू-धारण (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १९५८

(अग्रेतर खण्डश: विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ १० श्री मूलचन्द डागा। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करूंगा कि जो (फोर्थ अमेन्डमेन्ट) बिल है, इस पर एक घन्टे तक विचार किया जायेगा। जैसी कि हमने पहले कार्यसूची बनाई थी, उसके अनुसार कल ही यह समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ माननीय सदस्य इस पर ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे, इसलिए आज के लिए भी इसको रख दिया गया है। अत: मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए आज केवल एक घन्टा निर्धारित किया गया है इसको पास करने के लिए, इसलिए जो माननीय सदस्य बोलें वे इस बात को ध्यान में रखते हुए बोलें, ताकि एक घन्टे के अन्दर हम इस बिल को पास कर सकें। उसके बाद में राजस्थान टिनेन्सी (फिफ्थ अमेन्डमेन्ट) बिल लिया जायेगा।

श्री मूलचंद डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेन्सी (फोर्थ अमेन्डमेन्ट) बिल के क्लॉज़ में जो वर्ड्स थे, उसमें मेरा संशोधन था "accompanied with a writting attested by two literate witnesses and verified by the Tehsildar having jurisdiction', ये वर्डस सब्स्टिट्यूट किये जायें। इस प्रस्ताव की जो मंशा सरेण्डर के मामले में थी कि जिन काश्तकारों ने अपनी जमींन को सरेण्डर कर दिया है सेक्शन ५५ और ५६ के अन्दर और सरेण्डर करने के मामले में जो कार्यवाही दूसरे व्यक्तियों की गवाही डालकर की जाती है, उसमें यह संशोधन पेश किया कि जब कि चुनाव प्रणाली ने हमारे ग्रामीण जीवन को इतना कलुषित कर दिया है कि वहां पर भी भ्रष्टाचार फैल चुका है। तो उन गांवों में जहां पंचायतों के चुनाव पार्टीबाजी के आधार पर होते हैं, वहां के सरपंचों में सम्प्रदायवाद है उन पंचों में सब प्रकार की खराबियां होती हैं और गांवों में खिंचाव के कारण कई बार इस प्रकार के लिखित दस्तावेज होते हैं और उन पर वे लोग हस्ताक्षर कर देते हैं। गांवों के लोग अशिक्षित होते हैं। उनको अभी तक इतना विकास नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा है कि उनकी अटेस्टिंग विटनैसेज के लिए लिट्रेट यानी पढ़े–लिखे व्यक्ति होने चाहिए और फिर उसका वैरीफिकेशन तहसीलदार के द्वारा होना चाहिए। इस बात को राजस्व मंत्री ने, जब वह बिल पेश किया, उन्होंने अपने बयान में साफ कहा था कि अगर उचित समझें तो तहसीलदार के बारे में रद्दोबदल कर देंगे। जैसा माननीय अध्यक्ष महोदय ने समय निर्धारित किया है उसको ध्यान में रखते हुए कहता हूँ कि आजकल चुनाव होने के बाद गांवों के अन्दर, हर गांव के अन्दर छोटी छोटी जातियों से जमीनें छीनी जाती हैं। इसके कारण उनमें जो तहरीक लिखी जाती हैं, उन पर कई बार दस्तखत और साख फर्जी होती है। इसलिए मैंने जो अपना संशोधन पेश किया है कि 'accompanied with a writting attested by two literate witnesses and verified by the tehsildar having jurisdiction शायद माननीय मंत्री महोदय यह एतराज उठायेंगे कि तहसीलदार के वैरीफिकेशन के लिए काश्तकारों को परेशानी होगी। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि खुद राजस्व मंत्री महोदय ने बताया हैं कि तहसील पंचायत के द्वारा भी उसका अटेस्टेशन हो सकता है, तो जो व्यक्ति तहसील पंचायत के पास जा सकता है, वह व्यक्ति आसानी से अटेस्टेशन के लिए तहसीलदार के पास भी जा सकता

Page No.44

(श्री मूलचन्द डागा)

है। तो मेरा यह सुझाव है कि आजकल की स्थिति को देखते हुए और ग्राम पंचायतों की जो आजकल की स्थिति है, उसको मद्देनजर रखते हुए, मैंने इस बिल मे जो संशोधन रख कर रद्दोबदल की है, उसके बारे में मुझे विश्वास है कि राजस्व मंत्री महोदय इसको स्वीकार कर लेंगे। इसके कारण उन अशिक्षित लोगों को सुविधा होगी और इसके कारण तहसीलदार के पास जाकर आसानी से यह काम करा सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे आज्ञा हो, तो जो मेरा दूसरा संशोधन क्लॉज १० पर है, उसे भी मूव कर दूँ।

श्री अध्यक्ष : जी हां, मूव कर सकते हैं।

श्री मूलचंद डागा : अगर इस सारे राजस्थान टिनेन्सी (फोर्थ अमेन्डमेन्ट) बिल में कोई अच्छा संशोधन है, जो महत्वपूर्ण हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, काश्तकारों को राहत दिला सकता है, तो मेरे ख्याल से यही है जो माननीय श्री सोहनलालजी ने पेश किया है। अगर इस बिल में कोई जानदार संशोधन और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संशोधन हो सकता है, तो वह यही है। मैं समझता हूं माननीय मंत्री महोदय जिस उद्देश्य से इस बिल को लाना चाहते हैं और क्लॉज़ ५५ के अन्दर जो कमी थी, यह संशोधन उस कमी को पूरी करता है और वह यह था : 'Any tenant who has surrendered his holding otherwise than in the manner laid down in sub-section (1) may, within three years from the date of commencement of this Act and on payment of a court fee of 25 Naye Paise, apply to the Assistant Collector having jurisdiction, praying for the restoration of his holding so surrendered जिन लोगों ने अपनी ताकत के बल पर, बन्दूक की नोक के बल पर, प्यार में जहर पिलाकर, धोखा देकर, अन्ड्यू इन्फ्लुएन्स के द्वारा उस नासमझ किसान का फायदा उठाकर किसी रूप में किसी ने जमीन ले ली है, उसका समर्पण मान लिया गया है तो वह तीन साल की जो उन्होंने मियाद रखी है इसके लिए एक सवाल उठता है। जब १५ अक्टूबर, ५५ में यह एक्ट लागू हुआ और तीन साल की मियाद रखी, तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि संशोधनकर्त्ता कोई वकील हैं। इसलिये उनको हर जगह तीन साल की ही मियाद याद रह गई। इसमें असल में चार साल की मियाद होनी चाहिये। क्योंकि ५५ के बाद यह ५८ के अन्दर अब बिल आया है, इसलिए मैंने तीन साल की जगह चार साल रख दिया है। चार साल का जो मैंने संशोधन रखा है, वह वाजिब है और मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इसको मानेंगे अन्यथा इस संशोधन की महत्ता कम हो जाती है। इस हालत में यह जो संशोधन है इसका समर्थन करते हुए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो संशोधन में संशोधन है, उसको स्वीकार किया जाये। इस बिल में जो जोर और गला फाड़कर किसानों के नाम पर दुहाई दी है, उसके लिए उम्मीद है माननीय राजस्व मंत्री महोदय, इसका जो मैंने संशोधन रखा है, समर्थन करेंगे, क्योंकि ५५ में कई काश्तकारों ने अपनी जमीन को सरेण्डर नहीं करके किसी रूप में उनसे जमीन ली गई, उनको वापिस दिलाने का अधिकार अगर छीना नहीं और जमीनें दी हैं, तब तो सवाल नहीं है। तो यह जो संशोधन ५५ में पेश किया है और तीन साल की जगह चार साल रखा है, इन दोनों संशोधनों के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे इन दोनों संशो–

(श्री मूलचन्द डागा)

धनों को तहसीलदार के द्वारा वेरीफिकेशन का और तीन साल की जगह चार साल करने के जो ये दो संशोधन रखे हैं मेरा ख्याल है इसका कोई विरोध नहीं करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल सराडा-सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस संशोधित बिल के क्लॉज ५५ में तीन संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे उनका समर्थन आज पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी किया :

श्री मूलचन्द डागा ओन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर, आप संशोधन एक पर बोलेंगे या तीनों पर बोलेंगे जो संशोधन ५५ का है उस पर ही बोलने का आपको अधिकार है ।

श्री भैरोंसिंह मैं ५५ के संशोधन पर ही बोल रहा हूँ । तीनों संशोधन मूव किये गये हैं ।

(श्री मूलचन्द डागा के खड़े होने पर) आप सराडा सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा आप ५५ पर ही कहेंगे । You confine to it.

श्री भैरोंसिंह : आप कागजात देख लिया करें बोलने से पहले तो मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि आज और कल जिस भाषा में इस संशोधन को रखा गया है, उस भाषा के द्वारा इस बात की चेष्टा की गई है कि यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिए गए तो काश्तकारों का जबरदस्त हित होगा ।

जहां तक सराडा सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य का पहला संशोधन है जिसके द्वारा उन्होंने इस व्यवस्था की मांग की है कि धारा ५५ में इस बात का संशोधन किया जाय कि जहां तक अटेस्टेशन की कार्यवाही सरपंच या तहसील पंचायत या नगरपालिका के द्वारा कराये जाने की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के स्थान पर तहसीलदार के द्वारा यदि अटेस्टेशन की कार्यवाही करेंगे तो वह ज्यादा उचित होगा मैं उनके इस संशोधन को कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार करने के पक्ष में हूँ । उन्होंने यह अवश्य कहा है कि आज पंचायतों का कार्य जिस प्रकार से चल रहा है उनसे इस बात की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि जमीन के सरेन्डर करने के मत्वहपूर्ण मामलों में पंचायतों के कार्यकर्ता दलगत भावना से या पार्टी-बाजी से इन्फ्लेएन्स्ड नहीं हों, और उस स्थिति में ऐसा एप्रिहेन्शन हो सकता है कि कहीं गलत अटेस्टेशन की कार्यवाही न हो जाय । उस भावना की मैं कद्र करता हूं, और मैंने इस संबंध में पहले भी सदन में कहा था । लेकिन केवल तहसीलदार के द्वारा अटेस्टेशन की कार्यवाही हो, मैं उसको कुछ अंशो में उचित नहीं समझता । उन्होंने प्लानिग कमीशन की दुहाई दी थी और यह कहा था कि प्लानिंग कमिशन ने तहसीलदार के द्वारा अटेस्टेशन कराये जाने की व्यवस्था का उल्लेख किया है । मैं माननीय अध्यक्ष, प्लानिंग कमिशन कि रिपोर्ट का उद्धरण तो बाद में दूंगा लेकिन पहले उन्हें बता देता हूं कि प्लानिग कमीशन में केवल रेवेन्यु ऑथोरिटीज से अटेस्टेशन हो इस बात की चेष्टा की गई और इसलिए रेवेन्यु ऑथोरिटीज कौन कौन हैं, इसके बारे में हमें विचार करना पड़ेगा । वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि तहसीलदार के द्वारा अटे-स्टेशन हो, लेकिन आजकल कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि तहसीलदार तहसील में नहीं मिलता है और अन्य कामों के अन्दर अपने

Page No.46

(श्री भैरोंसिंह)

क्षेत्र में घूमते हुए मिलते हैं । यदि नायब तहसीलदार और तहसीलदार इन दोनों को इस बात का अधिकार दें अटेस्टेशन की कार्यवाही का तो मैं समझता हूँ कि अटेस्टेशन की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आने की शंका हो सकती हैं, वह नहीं रहेगीं । इसलिए यह उचित होगा कि तहसीलदार को भी अधिकार दे दें और नायब तहसीलदार को भी अधिकार दे दें, वह भी एक प्रकार से मजिस्ट्रेट की संज्ञा में कई स्थानों पर आते हैं । इस प्रकार के संशोधन को मैं समझता हूँ सराडा सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य स्वीकार कर लेंगे । वह काश्तकारों के हित में होगा और जो सरेन्डर करना चाहते हैं वे सहूलियत से अटेस्टेशन की कार्यवाही को करवा सकते है । अब उनका दूसरा प्रश्न है ।

"the words and shall be deemed always to have been substituted at the end".

माननीय अध्यक्ष, यह एक इस प्रकार की व्यवस्था है जिस व्यवस्था का इस सदन में बार बार विरोध हुआ है । कभी भी जब किसी कानून को हम लागू करते हैं तो उसको लागू करें, जिस तारीख से कानून बना है या जिस तारीख से आगे हम कनून को लागू करना चाहते हैं, मगर हम वह व्यवस्था नहीं रखते हैं और उस कानून को पिछले तीन वर्ष से लागू करने की चेष्टा करते हैं । टैक्सों के मामले में सरकार के द्वारा बार बार यह संकेत किया जाता है कि यह आर्थिक प्रश्न है और जिन लोगों से हमें टैक्स लेना है उनसे गलती से नहीं ले सके थे, इसलिए उनसे पिछला टैक्स भी वसूल करते हैं । वह बात कुछ अंशों में समझ में आती है । लेकिन यहां यह प्रश्न है अधिकार का, यह प्रश्न है खेती करने वालों के हक का । जिन लोगों ने जमीन पर अधिकार प्राप्त करके, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के मातहत खातेदारी हक हासिल करके उसके बाद में जोतने की कार्यवाही प्रारम्भ की है मैं समझता हूं यदि हमने "and shall be deemed always to have been inserted" इस प्रकार की भावना को स्वीकार किया तो इसका मतलब यह हुआ कि १५ अक्टूबर, १६५५, जिस दिन से राजस्थान टिनेन्सी एक्ट राजस्थान के अन्दर लागू हुआ था उस दिन से लेकर अभी तक जितने भी सरेन्डर के केसेज़ हुए हैं वे सारे केसेज़ रीओपन होंगें । जहां तक प्लानिंग कमीशन की मन्शा है, सन् १६५६ में प्लानिंग कमीशन की जो ड्रॉफ्ट रिपोर्ट पेश हुई है, यानी जिसमें प्लानिंग कमीशन ने जो मोटे मोटे सिद्धान्त स्वीकार किये हैं उन सिद्धान्तों के अन्दर इस बात का संकेत किया गया है कि ५६ से पहले, सेकन्ड फाइव इयर प्लान लागू हुआ, उससे पहले इस प्रकार की कुछ शिकायतें आई हैं, इस प्रकार की कुछ अफवाह प्लानिंग कमीशन के पास पहुंची है कि पिछले तीन वर्षों के अन्दर काश्तकारों की काफी बेदखलियां हुई हैं । सरेन्डर के बहाने से बेदखलियां होकर लोगों से जमीन पर कब्जा किया गया है । वे सारे सरेन्डर्स बोनाफाइडी नहीं हैं । हो सकता कि दबाव में आकर या यन्य तरीकों से काश्तकारों से जमीन छुड़वाई गई है और उस पर अधिकार प्रात कर लिया है, और उस पर अधिकार प्राप्त करने के बाद यदि किसी काश्तकार ने कोशिश की है तो यह कह कर कि काश्तकार ने जान-बूझ कर जमीन को सरेन्डर किया था और सरेन्डर करने के बाद उन्होंने अधिकार प्राप्त किया था यह बात है सन् १६५६ के ३ वर्ष पहले के लिए । प्लानिंग कमीशन ने स्पष्ट रूप से इस बात

Page No.47

(श्री भैरोंसिंह)

का निर्देशन दिया था कि आज से तीन वर्ष पहले की इस प्रकार की कार्यवाहियों से से काश्तकारों को रिलीफ मिल जाय, इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। उस संबंध में मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूं कि उस समय कुछ सदस्यों ने इस बात की मांग की थी कि पिछली कार्यवाहियों के संबंध में कानून बनाना चहिए, लेकिन उस समय सरकार चुप रही। हमने १५ अक्टूबर १९५५ को कानून बनाकर, सरेन्डर करने की व्यवस्था कायम करके, उसके बाद सरेन्डर की जो कार्यवाहियां हुई हैं उनको उचित माना है। आज एक संशोधन लाकर सारी कार्यवाहियों को अनुचित मानें और उन केसेज़ को रीओपन करायें तो इसका मतलब यह होता है कि जिन्होंने सरेन्डर किया है और जिन लोगों के पक्ष में सरेन्डर हुआ है उनके बीच में संघर्ष आरम्भ हो जाय और काश्तकार तहसीलों और अदालतों में जाकर मुकद्दमेबाजी करें। यदि यही आपकी मन्शा है काश्तकारों के हित करने की, कि उनको मुकद्दमेबाजी में फंसायें, काश्तकारों के दिमाग में इन-सिक्योंरिटी पैदा करें इस प्रकार से कि आज अधिकार एक कानून के अन्तर्गत प्राप्त हुए हैं तो न मालूम आगे चल कर किसी संशोधन के द्वारा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करके सब चीजों को रद्द किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति काश्तकारों के लिए मैं कहता हूं निश्चित रूप से घातक सिद्ध होगी, और काश्तकारों में सिक्योरिटी आफ टेन्योर नहीं रहेगा। काश्तकार यह महसूस करने को बाध्य होगा कि मेरी जमीन किसी भी समय जा सकती है।

अब यह कहा गया है कि सन् १९५५ के बाद यानी ५५ से लेकर ५८ तक जितनी भी सरेन्डर की कार्यवाही हुई है, हमने एक व्यवस्था दी है, राजस्थान की विधान सभा ने एक कानून बनाया है, और कानून बनाकर सरपंच को अधिकार दिया है, नगरपालिका को अधिकार दिया है, तहसील पंचायत को अधिकार दिया है, गांव के हैडमेन को अधिकार दिया है कि उसके द्वारा अटेस्टेशन की कार्यवाही कराई जाय। लेकिन अब प्रश्न यह आता है कि जो कुछ अटेस्टेशन कर दिया है, बोनाफाइड intention से कर दिया है। उनको जो अधिकार दिये थे उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए कर दिया है आज यह कहें कि उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया होगा, अटेस्टेशन की कार्यवाही ठीक नहीं की होगी, जो डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्युशन्स हैं उन डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूश्स की कार्यवाहियों को एक तहसीलदार के द्वारा रद्द कराई जाय, मैं समझता हूं इस बात को स्वीकार करने के लिए सदन तैयार नहीं होगा।

आगे के लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं और पिछले अनुभव से लाभ उठा सकते हैं। और उसके अनुसार संशोधन कर सकते हैं। आज यदि इस प्रकार की आवश्यकता है कि पंचायतों द्वारा अटेस्टेशन की कार्यवाही ठीक तरह से नहीं होती है तो तहसीलदारो को अधिकार दे दें, लेकिन पहले आपने तहसील-दारों को अधिकार नहीं दिये और अब सरेण्डर की कार्यवाही को रीओपन करावेंगे तो यह समस्या पैदा होती है कि तहसीलदारों को अधिकार नहीं था, इसलिए सरपंचों से अटेस्टेशन करवा कर सरेण्डर कर दिया और बाद में एक आदमी जमीन पर काबिज हो गया और इसमें ६ साल का समय निकल गया, तीन वर्ष टिनेन्सी एक्ट के पास होने से पहले और तीन वर्ष उसके पास होने के बाद इन ६ वर्षों में उसने उस जमीन पर काफी

Page No.48

(श्री भैरोंसिंह)

इन्वेस्टमेन्ट कर दिया, डेवलपमेन्ट कर दिया, आज राजस्थान सरकार जगह जगह तकावी दे रही है, किसी ने बारानी जमीन ली और उसके लिए तकावी लेकर कुआं खुदवाया और और तरह से भी तरक्की की, लेकिन सरकार चाहती है कि तहसीलदारों से अटेस्टेशन नहीं करवाने के कारण उस आदमी का इस जमीन पर अधिकार नहीं रहता है तो इसका मतलब यह होगा कि जो डेवलपमेन्ट उसने किया उस सबको राजस्थान सरकार एक मामूली संशोधन द्वारा छीनना चाहती है। मान लीजिये हमने भ्रम से पंचायतों को अटेस्टेशन का अधिकार दिया और उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया। जिन्होंने इस पर अधिकार हासिल किया उनको डिसपजेस करने का अधिकार इस विधान सभा को है, लेकिन न्याय यह नहीं कहता है कि इस तरह से करें।

बार बार यह कहा जाता है कि जागीरदारों को फायदा होगा। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि जागीरदारों ने तलवार की नोक पर अधिकार कर लिया था। लेकिन यदि उनमें तलवार के नोक पर अधिकार करने की शक्ति होती तो आज आप उनको कानून से बाध्य नहीं कर सकते थे। इस प्रकार की स्थिति चली गई। इस प्रकार की स्थिति न पहले कभी थी और न अब है। टिनेन्सी एक्ट के पास होने के बाद जिन्होंने अधिकार प्राप्त किया है वह कानून के अन्तर्गत है और उसके पहले जिन्होंने अधिकार प्राप्त किया था उनको टिनेन्सी एक्ट ने मान्यता दी है। जिन्होंने कानून के ज़रिये मान्यता दी गई है उनके लिए यह कहना कि यह कार्यवाही गलत हुई है, उचित नहीं है आप यदि उन पर कुठाराघात करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो राजस्व मन्त्री जी यह निश्चित रूप से समझें कि गांव गांव में झगड़े पैदा होंगे और जिन्होंने अपनी जमीन पर डेवलपमेन्ट किया है उनकी कीमत बढ़ी है उनमें से हर एक आदमी कोर्ट में जायगा। तहसीलदार कहेंगे कि पंचों और सरपंचों ने जो अटेस्टेशन किया है वह गलत है और वह आदमी भी कह देगा कि मैंने जमीन राजी खुशी नहीं छोड़ी, दबाव में आकर छोड़ी तो इससे संघर्ष पैदा होगा और मुकदमाबाजी होगी और काश्तकारों की कमाई खत्म हो जायगी और जो कुछ भी डेवलपमेन्ट जमीन पर किया गया है वह सब खत्म हो जायगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि जहां तक पहला संशोधन है उसमें मेरे संशोधन को मानते हुए उसे स्वीकार किया जाय और बाकी के जो दो संशोधन हैं उन्हें स्वीकार करने की बात नहीं है।

एक बात मैं अन्त में और कहूँगा कि जो संशोधन पेश किया गया है वह आउट ऑफ स्कोप है, इस प्रकार का संशोधन यदि मैं पेश करता तो राजस्व मन्त्री जी कह देते कि यह आउट ऑफ स्कोप है, लेकिन क्योंकि यह संशोधन उनके स्पोक्समैन

१२.२३ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

के द्वारा पेश किया गया है इसलिये वे नहीं कहेंगे कि यह आउट ऑफ स्कोप है। इस बिल के स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में लिखा है : "On of the important amendments proposed to be made is in sections 55 and 56 of the Act relating to surrenders. There is reason to believe that surrenders are often obtained from cultivators by unlawful means. It is, therefore, considered

Page No.49

(श्री भैरोंसिंह)

necessary to provide that no surrender shall be deemed to be valid unless evidenced by a duly attested writing." इसका मतलब यह है कि इसके स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स के अनुसार कभी यह मंशा नहीं है कि जितनी भी पिछली कार्यवाही हुई है उस सबके सम्बन्ध में कोई कानून बनाना हो। हमें कानून बनाना है आगे के लिए, इसलिये आगे की व्यवस्था को लेकर संशोधन प्रस्तुत करना है और यदि पिछली कार्यवाही को इफेक्ट करने वाला कोई संशोधन पेश किया जाय तो वह इस स्टेटमेन्ट के विपरीत है और विपरीत होने के नाते उसे हाउस में कन्सीडर नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में मैं पहली बात तो माननीय सदस्यों से कहूंगा कि आउट ऑफ स्कोप है इसलिये यह रिजेक्ट होना चाहिये और यदि रिजेक्ट नहीं होता है तो जिन्होंने इसे पेश किया है उनसे कहूंगा कि यह काश्तकारों के हित के खिलाफ है। यदि इस प्रकार की व्यवस्था हुई तो जिन्होंने या जिन नेताओं ने भीलवाड़ा में जमीन ले ली है, बाप ने भी ले ली है, बेटे ने भी ले ली है और भाई ने भी कब्जा कर लिया है ऐसे बड़े बड़े नेता जनहित से प्रेरित होकर लेते हैं उनके मामले में तो तहसीलदार दबाव में आकर अटेस्टेशन कर देगा लेकिन बाकी के लोगों का तो न तहसीलदार पर दबाव होगा और न अटेस्टेशन होगा इसलिये उनका इससे हित नहीं होगा। इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि श्री सोहनलालजी के संशोधन के पहले भाग का समर्थन किया जाय और बाकी का जो पार्ट आउट ऑफ स्कोप है उसका विरोध किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, इस क्लॉज़ पर तीन अमेन्डमेन्टस सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य के हैं जो उन्होंने पेश किये हैं। मैंने बहुत गौर से माननीय सदस्य जो श्रीमाधोपुर से आये हैं उनके भाषण को सुना। इस अमेन्डमेन्ट पर जो सरेन्डर को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के बारे में सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया उसके बारे में उन्होंने जो कुछ, कहा उसे गौर से सुना। उन्होंने आज भी और कल भी कहा था और सन् ५६ में जो डिबेट हुई थी उसके बारे में भी कल और आज आपने रेफरेन्स दिया। बहुत कुछ किसानों के हित की दृष्टि से सोचने के लिये आपने कल भी अपने व्यूज एडवान्स किये और आज भी जिस तरह का विरोध किया और जिन शब्दों में किया, वह वाकई मामूली समझ के आदमी के लिये समझना मुश्किल है। उनकी लौजिक और उनके आर्ग्युमेंट को समझना मुश्किल है उन्होंने जो सिद्धान्त की बात कही उसका फार रीचिंग इफेक्ट हो सकता है। हो सकता है कि इससे लिटीगेशन बढ़ेगा, काश्तकार, लेंड होलडर्स टिनेन्ट्स, सब टिनेन्ट्स जिन्होंने पंचायतों से सरेन्डर का अटेस्टेशन करवाया है जो उन्होंने अनड्यू इन्फ्ल्यूएन्स के कारण मिसरिप्रेजेन्टेशन के कारण या फ्रॉड के कारण हासिल किया है उसकी बिना पर यदि उनके केस को रीओपन किया जाय, चैलेन्ज किया जाय तो इससे लिटीगेशन बढ़ेगा इसमें दो राय नहीं है। लिटीगेशन बढ़ सकता है लेकिन वाकई फ्रॉड और मिसरिप्रेन्टेशन के कारण उसको इफेक्ट करके जिसने जमीन पर कब्जा किया है उनको इजेक्ट करने के लिये क्या ऐसे केसेज़ को रीओपन करना इक्विटी और जस्टिस नहीं होगी उन लोगों के साथ जिनके साथ बुरा व्यवहार किया है। दूसरी तरफ यह हो सकता है कि काफी पुराने मामले हो गये और यह भी ठीक है कि बहुत से

Page No.50

(श्री भैरोंसिंह)

काश्तकार सैटल्ड हो गये होंगे और उन्होंने उस जमीन पर इन्वेस्टमेन्ट भी किया होगा और इम्प्रूवमेन्ट भी किया होगा और पोजिशन भी बदल गई होगी इसलिये रीओपन करना उनके हित में नहीं होगा, लिटीगेशन लेने की दलील दोनों हो सकती हैं। प्लानिंग कमीशन के लिये कहा गया कि उनकी मंशा नहीं है, यह सही तौर से प्लानिंग कमीशन की मंशा को नहीं समझ सके हैं। आज भी उनकी मंशा है कि सरेन्डर के केसेज़ को रीओपन करने का मौका दिया जाना चाहिये। इससे किस तरह के लोगों पर असर पड़ेगा यह दूसरी बात है, लेकिन प्लानिंग कमीशन की नीति साफ है। उनको री-ओपन करने का मौका देना चाहिये यदि in the disguise of surrender कब्जा किया है तो उनको मौका दिया जाना चाहिये। सरकार के पास पूरी इन्फोरमेशन नहीं है कि इस तरह के सरेन्डर्स काफी हुए हैं या नहीं और काफी काश्तरों को इजेक्ट किया गया है या नहीं, इसलिये इस तरह के अमेन्डमेन्ट की आवश्यकता नहीं है। in the disguise of surender कब्जा हुआ है तो मैं माननीय सदस्य की राय से इत्तफाक नही करता।

श्री भैरोंसिंह : आपने इत्तफाक करके मंजूर कर लिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): मगर इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि माननीय सदस्य जो सलूम्बर से आने वाले हैं, उन्होंने जो अमेंडमेंट दिये है, जिसमें से सरेन्डर के इस अमेंडमेंट को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से राइट देना चाहते हैं यानी किसान ने जो जमीन सरेन्डर की है वह उस दिन से वापिस ले सके। मैं समझता हूं कि वे इसको इस स्टेज पर तो विथड्रॉ कर लेंगे। बाद में अगर ऐसी नौबत आई और हमारे पास इस प्रकार की इन्फोर्मेशन आई कि जो इजेक्टमेंट हुए हैं उनका काश्तकारों पर ज्यादा असर पड़ा है ....

श्री भीमसेन : प्लानिंग कमीशन को इत्तला कैसे पहुंच गई?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्लानिंग कमीशन ने नीति निर्धारित की है, लोकल कन्डीशन्स को देख कर अॅडाप्ट करना पड़ेगा विथ सर्टन चैंजेज़। प्लानिंग कमीशन ने नहीं कहा कि इसे ऐसे ही एडॉप्ट किया जाय। स्टेट में जो चैंजेज़ हुए हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि इस तरह के इजेक्ट हुए हैं, उससे किसान बेदखल हुए हैं, उनकी एक से ज्यादा संख्या है या नहीं। प्लानिंग कमीशन यह नहीं कह सकता और न उसने ऐसा कहा। प्लानिंग कमीशन सिर्फ पोलिसी बता सकता है कि इस तरह लॉ बनाना चाहिए जो इजक्टमेंट हुए हैं उनके लिए लॉ बनाने चाहिए और उसका किसान को राइट देना चाहिए। अब यह देखना पड़ेगा कि किस तरह से इजेक्टमेंट किया गया है, रोंगफुल्ली किया गया है, और सरेन्डर का नाम रख दिया है, मगर जैसा मैंने आपको अर्ज किया इस प्रकार की इन्फोर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं है और फिर एक आध मामला हो, यह कोई बड़ी प्रोबलम नहीं है कि उसको ओपन करें। यदि वजह है कि मैं माननीय सदस्य से, जिन्होंने यह अमेंडमेंट दिया है, प्रार्थना करूंगा कि वे अमेंडमेंट को विथड्रॉ कर लें।

दूसरा अमेंडमेंट पेश किया है कि पंच, सरपंच, तहसील पंचायत के पंच, इनके बजाय तहसीलदार को पॉवर दे दी जाय कि वह सरेन्डर को अटेस्ट किया करे। ऐसा ही एक अमेंडमेंट पाली से आने वाले माननीय

Page No.51

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सदस्य का अमेंडमेंट है, मैं समझता हूं वह ज्यादा कॉम्प्लीकेटेड है कि दो इल्लिट्रेट पर्सन अटेस्टेशन करके फिर वेरीफिकेशन करायें। मैं नहीं समझ सका कि अटेस्टेशन और वेरीफिकेशन में क्या डिस्टिंक्शन है। तहसीलदार एक रेवेन्यू का ऑफिसर है जिसके पास दो आदमी अटेस्ट करने जायेंगे कि शनाख्त ले लीजिये, that goes without saying. दो दो आदमियों की शनाख्त लेंगे कि फलां आदमी फलां गांव का रहने वाला है। इसकी रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो अमेंडमेंट सलूम्बर से आने वाले सदस्य का है, उसे मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन उन्होंने जो पंच, सरपंच आदि के बारे में दलबन्दी की दलील दी है, उसे मैं नहीं मानता हूँ। आज हमारे राजस्थान में पंचायतें बहुत एफीशियेन्टली वर्क कर रही हैं। हो सकता है कि गलती कहीं कहीं हो, लेकिन यह नहीं कह सकते कि पंचायतें काम ठीक तरह से नहीं कर रही हैं। नया कॉन्स्टीट्युशन है, हम डेमोक्रेसी का एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं। अगर कहीं कहीं पंचायत गलती कर देती हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि पंचायतों का काम एफीशियेन्ट नहीं है, या नियम और कायदों के मुताबिक काम नहीं करती हैं। हम सरेन्डर के मसले को बहुत बड़ा मसला समझते हैं और बड़ा मसला इसलिए समझते हैं कि यह काश्तकारों की जमीन के मुतल्लिक सवाल है। इसलिए मैं समझता हूँ कि तहसीलदार को यह अधिकार दिया जाय कि सरेन्डर को वह अटेस्ट करे, यह ज्यादा मुनासिब है। इसलिए सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य का यह अमेंडमेंट मैं स्वीकार करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : What about Naib Tehsildars ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I am just telling you about Naib Tehsildars. This amendment in clause 10 (No. 5 in List No. 3) "After the words 'by the' in the fifth line, the words 'Tehsildar having jurisdiction' be substituted for the words 'Sarpanch...... having jurisdiction," I accept this, No. 5 (ii) I do not accept.

Similarly for amendment No. 6 in clause 10. I request him to withdraw. So also for the amendment No. 13 in Clause 10, because that is covered by the acceptance of amendment No. 5 of Shri Sohan Lal.

माननीय सदस्य बड़े कौन हैं, जो श्री माधोपुर से आने वाले हैं, वे जानना चाहते हैं What about Naib Tehsildars ? जिस समय इस सदन में लैंड रेवेन्यु एक्ट बना था, उस समय वे उपस्थित थे। उन्होंने इस बात को महसूस किया होता कि उसमें कहीं नायब तहसीलदार की पॉवर की डेफीनेशन नहीं है। मैंने कल भी अर्ज किया था और आज भी कहता हूँ, यह ठीक है कि वे मेहनत करते हैं लेकिन जब कानूनी मसलों में फंस जाते हैं, इस चक्कर में फंस कर वे अपने आपको ऐसी पोजीशन में डाल देते हैं कि उन्हें कोई रास्ता मिलता नहीं है। जहां तहसीलदार की पॉवर डिफाइन्ड है, वहां नायब तहसीलदार की पॉवर्स क्या होंगी, यह वे समझ लें। इसको अलग से डिफाइन करने की या दुबारा रखने की आवश्यकता नहीं है और किस तरह से पॉवर डेलीगेट की जाती है, वह लैंड रेवेन्यु में दर्ज है। इसलिये कानूनी मसलों में, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि ज्यादा अन्दर घुसने की कोशिश न करें, क्योंकि उसमें फंसने के बाद दिक्कत उनके सामने आ जाती है।

Page No.52

(श्री दामोदरलाल व्यास)

यह हर वक्त होता है। इसलिए जो सलूम्बर से आने वाले सदस्य ने नम्बर १ अमेंडमेंट रखा है, उसको मैं स्वीकार करता हूं। बाकी अमेंडमेन्ट्स के लिए माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने अमेंडमेंट्स विथड्रॉ कर लें।

श्री सभापति : श्री शिवनाथसिंह।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापति महोदय......

श्रीदामोदरलाल व्यास : एक मिनट। एक अमेंडमेंट माननीय सदस्य, जो उदयपुर वाटी से आने वाले हैं, ने पेश किया था वह इस बात का था कि ऐसे एरियाज़ के अन्दर जहां पंचायत नहीं हैं, वहां म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन को पॉवर्स दी जायं। मगर चूंकि हमने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है कि अब सरेन्डर तहसीलदार करेगा, पंचायत के पंच या सरपंच के पास यह अधिकार नहीं रहने चाहिए, इसलिए इस अमेंडमेंट को स्वीकार नहीं करता कि म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन को पॉवर रहे। हम चाहते हैं कि सरेन्डर अटेस्ट आम तौर से तहसीलदार किया करे और उसी के पास पेश हुआ करें। मैं इसको रखना उचित समझता हूं क्योंकि यह किसानों के हक में होगा और जो आये दिन शिकायत होती है, उनका मौका नहीं रहेगा कि कोई सरेन्डर नाजायज दबाव से पंच या सरपंच ने कर दिया है, कभी कभी पार्टीबाजी के लिहाज से भी एलीगेशन हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि सरेन्डर के मामले में वह सेंकिटिटी अटेच करे जो वह डिजर्व करता है। हम चाहते हैं, यह पॉवर्स एक्स-क्ल्युसिवली गवर्नमेंट के ऑफिसर के पास रहें और वही एक्सरसाइज करें। इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इसको विथड्रा करें।

श्री शिवनाथसिंह : सभापति महोदय, जिस विचार से मैंने संशोधन रखा था, उसको प्रिन्सिपल रूप से राजस्व मंत्री ने मान लिया है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि इस अमेंडमेट को विथड्रॉ करने की पर्मिशन दी जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री शिवनाथसिंह जी ने जो अमेंडमेंट रखा है, उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई

श्री शिवनाथसिंह : I withdraw my amendment

श्री सोहनलाल भटनागर : (सलूम्बर) माननीय सभापति महोदय, मेरा संशोधन नम्बर एक राजस्व मंत्रीजी ने स्वीकार कर लिया और नम्बर दो और छः अमेंडमेंट्स को नामंजूर किया है। इनको नामंजूर करते हुए मुझे खुशी है कि राजस्व मंत्रीजी ने जो सिद्धान्त था प्लानिंग कमीशन का, उसको माना है लेकिन एक्सीडेन्स ऐसे नहीं माने है, इसलिए नामंजूर करते हैं। इसलिए मुझे मजबूरन अमेंडमेंट विथडॉ करने पड़ेगे। मुझे इन दो अमेंडमेंटस को विथड्रॉ करने की स्वीकृति प्रदान की जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज १० में जो संशोधन नम्बर १ जो श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है, उनको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १० में संशोधन नम्बर दो और छः को जो श्री सोहनलाल भटनागर ने रखे हैं,उनको स्वीकार किया जाय sorry वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय

(स्वीकृत)

ंशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं अपने संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, मेरा एक संशोधन था । मैं कहना चाहता हूं कि आपने अटेस्टेशन और वेरीफिकेशन के बारे में कहा है । जो इम्मूवेबल प्रोपर्टी होती हैं...

श्री सभापति : do you withdraw your amendment ? आप अपना संशोधन वापिस ले रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना एक संशोधन...

श्री सभापति : एक संशोधन है आपका

श्री मूलचन्द डागा : जी हां ।

श्री सभापति : उसको वापिस ले रहे हैं ? समय निश्चित किया जा चुका है ।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

श्री दामोदरलाल व्यास : There are two amendments, sir. In clause No. 10. there are two amendments.

श्री मूलचन्द डागा : जिन्होंने अपना संशोधन बड़े जोर से रखा था, उन्होंने वापिस ले लिया । मैंने तो उसका समर्थन किया था ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मूलचन्द डागा ने रखा है, उसको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि संशोधन क्लॉज १० को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज १० विधेयक अंग बना ।

श्री सभापति : क्लॉज ११ श्री शिवनाथ सिंह ।

श्री शिवनाथसिंह : मैं मूव नहीं करना चाहता । मेरा जो संशोधन था, वह क्लॉज १० के संशोधन से सम्बन्धित था । वह विथड्रॉ हो गया, इसलिये इस अमेंडमेंट को मूव नहीं करना चाहता ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ११ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ १२, श्री सोहनलाल भटनागर ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय सभापति महोदय, क्लॉज़ १२ में मेरे दो संशोधन हैं। नीचे वाला है सब क्लॉज़ ३, वह तो मैं मूव नहीं करना चाहता। पहले वाला है उसमें तीन साल के बजाय ४ साल कर दिये जांय। यह नया शिड्यूल जोड़ रहे हैं कि खातेदारी अधिकारों के लिए कोई सूट फाइल करेगा; उसके लिये ३ साल की मयाद रखी है। वह तीन साल की मयाद पर्याप्त नहीं है, खत्म हो गई है। अब तक डिक्लेरेशन नहीं कर सके हैं और किसान बहुत असमंजस में है कि एक तरफ तो टिनेन्सी एक्ट में यह रखा है कि सरकार को राइट्स खुद ऑटोमेटिकली दे देने चाहिये और दूसरी तरफ यह तीन साल की मियाद रखी है। इसलिए मेरा संशोधन है कि तीन के स्थान चार साल कर दिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, यहां क्लॉज १२ के शिड्यूल में ३५ 'ए' इन्सेर्ट किया गया है, यह कोई नया नहीं है, माननीय सदस्य को गलतफहमी हो गई है कि नया प्रॉविजन किया जा रहा है तीन साल का।

सैक्शन १५ में पहले से यह प्रॉविजन है। शिड्यूल में पहले दर्ज नहीं किया था, १५ में यह दर्ज किया जा चुका है, इसको शिड्यूल में इन्सर्ट करना रह गया था, उसी खामी को पूरा किया जा रहा है। यह राइट तो पहले ही दिया जा चुका था, उनको यह राइट एक्सर्साइज करने का मौका दे दिया गया था। माननीय सदस्य को गलतफहमी हो गई है, वे यह समझ रहे हैं कि यह नया किया जा रहा है। माननीय सदस्य की सूचना के लिये मैं पढ़ कर अर्ज कर देना चाहता हूं....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : वे शिड्यूल में फिर भी ३ के बजाय ४ साल करना चाहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि माननीय सदस्य को जरा इजाजत दे दी जाय कि वे यह बतायें कि क्यों ४ साल कराना चाहते हैं ? He says that there is already a provision in the section, then I would like to know what are his reasons to get it extended to four years. If really some people have suffered a hardship because of this provision of three years, I will have no hesitation in accepting it and extending to four years. He should tell the reasons.

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय सभापति महोदय, क्योंकि माननीय मंत्रीजी के पास संशोधन नहीं था, ठीक तरह से नहीं देखा। मैं कभी भ्रान्ति में नहीं था, मैंने स्पष्ट तौर पर निवेदन किया था कि ये सब क्लॉजेज (२) और (३) बाद में जोड़े हैं :

"Inserted 'and shall be deemed always to have been inserted' published in Rajasthan Gazatte of 12-1-1957." १२-१-५७ को डेढ़-पौने दो साल बाद जोड़ा गया था, उसमें है : 'any person referred to in sub-section (2) may, withen three years from the date of the commencement of this Act and on payment of a court fee of four annas, apply to the Assistant Collector having jurisdiction praying for a declaration that he aquired khatedari rights under sub-section (1) in the land held by him.' तो इससे साफ है कि तीन साल की मियाद दी थी कि तीन साल में डिक्लेरेशन कर दें।

(श्री सोहनलाल भटनागर)

१५ की भाषा देखते हैं तो इससे जाहिर होता है कि ये राइट्स उसके ऑटोमेटिकली हो गये हैं, पर लोअर कोर्टस के अन्दर इस प्रकार की भ्रान्ति हो गई है कि उनको डिक्लेरेशन करना चाहिये। ऑटोमेटिकली उसको खातेदारी मिल जानी चाहिये, पर नीचे की अदालतें कहतीं हैं कि जब तक डिक्लेरेशन नहीं कराये तब तक खातेदारी राइट्स देने की वे तैयार नहीं हैं। टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के बाद में यह जो तीन साल की मियाद लाई गई है वह पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैंने विचार कर यह संशोधन रखा है कि तीन साल के स्थान पर चार साल रखे जायं। ताकि उनको पर्याप्त समय मिल जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास: माननीय सदस्य की इस बात को सुनने के बाद तो मैं और निश्चय पर पहुंचा हूं कि यह टाइम नहीं बढ़ाना चाहिये। जनवरी ५७ में यह प्रोविजन बढ़ाया गया, 'ग्रो मोर फूड' के सिलसिले में और दूसरे सिलसिले में कुछ जमीनें अलॉट कीं, उन कन्डीशन्स को उन्होंने ब्रीच किया, काश्त तक नहीं की, जो क्रोप काश्त करनी चाहिये थी वह नहीं की और उन जमीनों को बेच दिया। सिर्फ इसलिये कि टिनेन्सी एक्ट का फायदा उठायें, बेच दिया। उन लोगों को डेढ साल से ज्यादा का टाइम दे दिया है, उन्होंने सब कन्डीशन्स फुलफिल की हैं तो वे डिक्लेरेशन दें, समय काफी है। मैं माननीय सदस्य को बताऊंगा कि यह हार्ड हिट नहीं है, मुफ्त में जमीनें लीं, कन्डिशन्स की पाबन्दी नहीं की, उनको काफी समय मिल गया, उनको और टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। वह प्रोविजन १९५७ में एड किया गया था, मुफ्त में अलॉटमेंट हुआ और अच्छी कीमत पर उन जमीनों को बेच दिया, 'ग्रो मोर फूड' कैम्पेन में मदद करने के बजाय, काश्त करके पैदावार बढ़ाने के बजाय पड़त रखीं और अच्छी अच्छी रकमें लेकर वे जमीनों को बेच दी। उनको डेढ़ साल का समय दिया जा चुका है और एक्स्टेन्ड करने की जब आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपना यह संशोधन वापिस ले लें।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : मेरे इस संशोधन से मकसद नहीं था कि ग्रोमोर फूड के सिलसिले में जमीनें हासिल की हैं, उनको खातेदारी राइट्स प्राप्त कराने के लिये मियाद बढ़ाई जाय लेकिन there are other things like..... 'subject to such condition' 'in pursuance of non, statutory orders' etc. etc.

इसके मातहत कई केसेज थे पर इस प्रॉविजन की वजह से जिनको ऑटोमेटिकली खातेदारी राइट्स मिलने चाहिये, वह उनको अदालतें नहीं दे रही हैं, तो उनके लिये मियाद बढ़ायें।

मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय आगे इस पर विचार अवश्य करेंगे। इसलिये मैं सदन से विथड्रॉ करने की इजाजत चाहता हूं।

१ म० प०

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज १२ में जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(विराम)

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई

Page No.56

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज १२ को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज १२ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, प्रिएम्बल आदि स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रिएम्बल आदि विधेयक के अंग बने।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान टिनेन्सी (फोर्थ अमेंडमेंट) बिल को पारित किया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (फोर्थ अमेंडमेंट) बिल को को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

१. ३. म० प०

राजस्थान भू-धारण (पांचवा संशोधन) विधेयक, १९५८

(प्रवर समिति को)

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान टिनेन्सी (फिफ्थ अमेंडमेंट) बिल को विचारार्थ लिया जावे।

श्री सभापति : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री सोहनलाल भटनागर : इस पर मेरा एक छोटा सा संशोधन है।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैंने भी संशोधन रखा है।

श्री सोहनलाल भटनागर : पहला मेरा है, the first is mine.

श्री सभापति : First may be yours, but I have allowed Shri D. K. Vijay to move his motion to refer it to Select Committee.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) माननीय सभापति महोदय, राजस्थान टिनेन्सी (फिफ्थ-अमेंडमेंट) बिल हमारे सामने विचारार्थ है और इसमें मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे। मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक की १९ से ४३ धाराओं को प्रभावित किया गया है और इसके लिए जो धाराएं सम्बन्धित हैं उनके विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धारा १९ ऐसी है कि जिसके अन्दर खातेदारी राइटस शिकमी काश्तकारों को भी देने का प्रावधान है। धारा १९ में पहले भी अधिकार थे, लेकिन अब १९ से ४३ तक किस तरह से उनको कम्पेन्सेशन दिया जावेगा और खातेदारी के अधिकार विकसित होंगे, यह बताया गया है। धारा ४३ में मोर्गेज का प्रावधान है कि वह किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से उसका निर्णय होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर १९ से लेकर ४३ तक करीब २५ : २६ धाराएं हैं। इससे राजस्थान का काश्तकार समाज प्रभावित होगा इसलिये इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। हम इस प्रकार के कानून बनावें जिससे काश्तकारों के साथ रियायत हो।

(श्री दयाकृष्ण विजय)

काश्तकार खेतों में दिन भर मेहनत करते हैं मगर यहां पर हम उन अधिकारों को उनको देते है जो उसके मालिक हैं मगर हमको उसके बजाय उन काश्तकारों को देने चाहिये जो खुदकाश्त करते है । मालिकों को कितना कम्पेन्सेशन आता है और उनको हमने और भी अधिकार दिये हैं । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बहुत ही कॉम्पलीकेटेड प्रश्न है । इसलिये मैं समझता हूं कि अगर इस अमेन्डमेंट को बगैर सिलेक्ट कमेटी में भेजे ही पास कर देते हैं, तो उन लोगों के साथ हम न्याय नहीं करेंगे । मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसी धारा १९ है उसमें नई धारा प्रतिस्थापित की गई है । पुरानी को बिल्कुल हटा दिया है और उसके स्थान पर नया क्लॉज लाये हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप नई धारा लाना चाहते हैं और पुरानी को नहीं रखते, तो ऐसी हालत में हमें जल्दी में कोई कानून पास नहीं करना चाहिये और सारी धाराओं पर विचार करना चाहिये । १९वीं धारा के अलावा २०वीं धारा है उसके स्थान में नई धारा का प्रतिस्थापन किया है । इसी तरह से आपने २१ और २२ धाराओं को हटा दिया है । उसी तरह से २३ धारा में भी २३ धारा के स्थान पर नया क्लॉज प्रतिस्थापित किया गया है । धारा २८ और २९ को लोप किया गया है । ३० धारा का संशोधन करते हुए निम्नलिखित नई धारा एड की गई है, इसी तरह से २९ को हटा कर ३६ 'ए' लाई गई है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि १९ से ४३तक की धाराओं में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है । इसमें एक धारा यह भी रखी गई है कि जितने भी पुराने केसेज़ होंगे उनको दाखिल दफ्तर कर दिये जावेंगे । इसके अलावा १० गुणा पहले कम्पेन्सेशन था उसको २० गुणा मिलेगा ? अब लोगों को इससे दुगुना लगान देना पड़ेगा जब कि पहले उन लोगों को १० गुणा देते थे और १० गुणा लेकर जिन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिये थे । राजस्थान में ८० प्रतिशत काश्तकार हैं और मैं यह कहूंगा कि ऐसे काश्तकार ज्यादा हैं जो दूसरों की जमीन पर काश्त करते थे और उनको हम खातेदारी राइट्स देना चाहते हैं । राजस्थान में खुदकाश्त ज्यादा थी । जागीरदारी समाप्त हुई उसके बाद नौकर चाकर उनके थे जो दूसरे लोगों का काम कर देते थे । आज हम उन लोगों को जो जमीन पर काश्त करने वाले थे। राइट्स देना चाहते हैं तो हमें किसी प्रकार से भी जल्दी में कानून नहीं बनाना चाहिये । इसके अलावा कम्पेन्सेशन का जो प्रावधान है वह बहुत जटिल है । जहां तक मेरा ख्याल है एनुअल रेन्ट कितना दिया जावेगा, अभी तक इसका तय नहीं हुआ है । जब तक एनुअल रेन्ट तय नहीं हो जाए तो मैं नहीं समझ पाया कि इस धारा का क्या मकसद होगा । हम मूल रूप से,सारे काश्तकारी कानून हैं उसमें परिवर्तन ला रहे हैं । हम यहां पर १९ से ४३ धाराओं को बदल रहे हैं । तो इन सब पर विचार करने के पूर्व इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, आपकी इजाजत हो तो मैं पहले कुछ इसको एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि किसी तरह की गलतफहमी न रहे ।

श्री सभापति : ऐसी कोई गलतफहमी नहीं रहेगी ।

श्री सोहनलाल भटनागर : (सलूम्बर) सभापति महोदय, मैं श्री दयाकृष्ण विजय ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, यदि इस

(श्री सोहनलाल भटनागर)

सदन में कोई महत्वपूर्ण विधेयक आया है तो यह है और यह हमारे राजस्थान के हजारों-लाखों किसानों की जो आशाएं और आकांक्षाएं हैं उसको पूर्ति करता है, फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ कमियां रह जाती हैं, जिनके कारण इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना बहुत आवश्यक है। ऐसा मैं मानता हूं कि भूमि सुधार का जो इतिहास है उसके अन्दर हम यह नया पृष्ट जोडेंगे। जितनी कमियां हमारे सामने सिलेक्ट कमेटी में आवेंगी वे सब दूर हो जावेंगी इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना ज्यादा अच्छा होगा। सबसे पहली बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल में एक बहुत बड़ी बात पहले वाले एक्ट में यह थी, यद्यपि १९ के मातहत जितने शिकमी काश्तकार थे, वे असिस्टेन्ट कलेक्टर के पास दर्ख्वास्त कर अपने खातेदार के अधिकार प्राप्त कर सकते थे। शिकमी काश्तकारों पर यह लाजमी रखा था कि वे रिपोर्ट करें, मगर हम सभी जानते है कि इसका प्रचार बहुत कम हुआ और बहुत कम शिकमी काश्तकारों ने दर्ख्वास्तें दीं। यहां तक कि ५ प्रतिशत लोगों ने भी दर्ख्वास्तें नहीं दीं। जिस कारण से प्लानिंग कमिश्नर ने कहा कि शिकमी काश्तकारों को डाइरेक्टली खातेदार बना देना चाहिये क्योंकि वे ऐसा कर नहीं सकते हैं, इसलिये सबसे बड़ा प्रोविजन रखा है वह क्लॉज १९ में है वह इसीलिये रखा है। इसमें एक चीज रखी है जो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तो नया सैक्शन जो आप बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन पहले जिस दिन से काश्तकारी कानून राइज हुआ उस वक्त से प्रावधान है, उसके लिए रिटोरपेक्टिव इफेक्ट रखने जा रहे हैं।

दूसरी कमी यह है कि १९वें क्लॉज में दो चीजें रखी हैं, from a date to be notified by the state government जब सिद्धान्ततया यह मान लेते हैं कि सब टिनेन्ट को खातेदारी राइट्स दे देने चाहिए और जिस दिन से वह राइज हुआ उस दिन से मिल जाना चाहिये तो इसके लिए आवश्यकता नहीं होती कि अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाय। राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम बिल के अन्तर्गत भी विशेष तौर से तारीखें मुकर्रर की थीं और अलग अगल जागीरों के लिये अलग अलग तारीखें मुकर्रर की थीं, यह प्रावधान था उसमें। इसलिए इस एक्ट में और उस एक्ट में भिन्नता है। कितना सैटलमेंन्ट हुआ और कितना मुआवजा मिलना चाहिये, ये सारी चीजें देखनी थीं और ये सारी चीजें भी इसमें देखनी हैं। इसके लिए अलग अलग तारीखें मुकर्रर करने से देरी हो सकती है और उससे किसानों का अहित हो सकता है, इसलिए इसमें एक बड़ी कमी यह रह गई है कि इसमें तारिख रखना आवश्यक नहीं है। तारीख से रखने वाले सब क्लॉजेज है उनमें भी यही बात है।

१९ का जो सब-क्लॉज ५ है उसमें भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैं मानता हूँ कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के दफा ८८ के मातहत ये अधिकार दिये हैं कि काश्तकार यह डिक्लेरेशन कर दे कि वह किस तरह का काश्तकार है। लेकिन इस बिल में सब क्लॉज ५ रखा है इससे भ्रान्ति हो सकती है। बिना डिक्लेरेशन कराये अधिकार नहीं मिल सकेगा। भाषा इसकी स्पष्ट है। माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट निवेदन कर देना चाहता हूँ कि राजस्थान में भूमि सुधार तीव्र गति से हुए हैं। जिस गति से सुधार हुए हैं,

(श्री सोहनलाल भटनागर)

वर्तमान जो इसको एग्जीक्यूट करने वाली मशीनरी है हमारी, वह उनको अमल में पूरी तरह से नहीं ला सकी है, जिससे शिकमी काश्तकारों और मुजाहिरों ने उसका फायदा नहीं लिया है, लेकिन यह कहना भी ठीक होगा कि मशीनरी ठीक नहीं थी, इसलिए जो लाभ हो सकते थे वे नहीं हो सके । इसलिए यहां से इस सब क्लॉज को हटाना जरूरी होगा कि बिना डिक्लेरेशन किये खातेदारी राइट्स नही दिये जावेंगे ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात कम्पेन्सेशन के लिए है । इसमें यह प्रावधान रखा गया है कि जो लॉ फूल्ली रेन्ट होगा उससे बीस गुना मुआवजा दिया जावेगा । पहले वाले प्रोविजन्स में और अभी के प्रोविजन्स में क्या भिन्नता है यह देखना जरूरी होगा । पहले वाले प्रोविजन्स में काफी मुआवजा रखा हुआ है, पहले वालों में नहरी जमीन का मार्किट रेन्ट रखा हुआ था और अन्य का २० गुना रेन्ट रखा हुआ था प्रोसिजर काफी कॉम्प्लीकेटेड था । मुआवजा देने का प्रश्न था । सब ही माननीय सदस्यों को विदित होगा कि २६ जिले राजस्थान में हैं । आज तक कई जिलों में मुआवजे की दरें ही मुकर्रर नहीं हो पायीं हैं जब कि ३।। वर्ष राजस्थान टिनेन्सी एक्ट को राइज हुए हो गये । आज तक कितनी ही दरख्वास्तें अदालतों में पड़ी हुई हैं जिन जिलों में दरें कायम भी हो गई हैं उनको देखें तो हमें दुख होता है कि जिस दृष्टिकोण से काश्तकारों और मुजाहिरों को फायदा कानून में दे रखा है उनको वह फायदा नहीं हुआ । इतनी बड़ी दरें रखी थीं कि जो आज के बाजार भाव से १।। दुगुनी है । मैं आपको उदयपुर क्षेत्र के लिए ही निवेदन करूंगा कि जो आज ३००) एकड़ में मिल सकती है वही ६००) और १२००) रखा है । इसका कारण यही था कि मशीनरी काबिल नहीं थी । शिकमी काश्तकारों को और मुजाहिरों को किस तरह लाभ होना चाहिये और उनको देना चाहिये कानून के अनुसार, यह देखना चाहिये था । मैं मानता हूँ कि पहले से इसको काफी नम्र किया गया है लेकिन लॉफुल्ली रेन्ट की जो बात रखी है उससे गड़बड़ी हो सकती है । लॉफुल्ली के दो प्रावधान हैं । एक तो सेन्क्शन्ड रेन्ट से दुगुनी रकम ले सकते हैं । उसका मतलब हुआ कि सैन्क्शन्ड ४) है तो दुगुनी ८) रुपया तक एक शिकमी काश्तकार से ले सकते है उसका बीस गुना १६०) हुआ ४०) गुना सेन्क्शन्ड रेन्ट से हो जाता है । दूसरा काइन्ड रेन्ट के लिए गड़बड़ी होगी । कई जगह काइन्ड रेन्ट से लिया जाता है और उसमें लिखा हुआ है कि १।६ भाग से ज्यादा नहीं ले सकते हैं । इसमें केल्कुलेशन में गड़बड़ी होगी । १।६ कितने पर लगता था, कितना होता था और अब कितना है । कीमतें उसकी फलक्चुएटिंग थीं । इसलिये ऐसा प्रावधान रखने से गड़बड़ी हो सकती है । जिस व्यवस्था के लिए यह विधेयक लाया गया है उसकी पूर्ति ठीक तरह से नहीं हो सकेगी, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि लैंड रेवेन्यु का होना जरूरी है ।

इसके साथ ही साथ इसमें बहुत अच्छी चीजें भी हैं । इन्स्टालमेन्ट के लिए कहा गया है कि पहले कम्पेन्सेशन के ५ इन्स्टालमेन्टस थे तो अब उसको बढा कर १० कर दिया गया है ।

मुख्य बात जो मैंने की वह यह की कि सब-टिनेन्ट को खातेदार ऑटोमैटिकली बना दिया जाय, कम्पन्सेशन की सख्ती कम की गई फिर भी एसी बातें इसमें रह जाती है कि यह सिलेक्ट कमेटी में नहीं जायगा तो जो सब

Page No.60

(श्री सोहनलाल भटनागर)

टिनेन्ट और मुजाहिरों को लाभ देना है उसकी पूर्ति ठीक तरह से नहीं होगी।

श्री गिरधारीलाल : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी....

श्री सभापति : प्रस्ताव तो मूव हो चुका है।

श्री गिरधारीलाल : मेरा भी प्रस्ताव है।

श्री सभापति : That has been moved आप उसको मूव हुआ मान लें फिर बोलिये।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी(फिफथ-अमेन्टमेन्ट) बिल है उसको सिलेक्ट कमेटी में रेफर किया जाय उसके पक्ष में बोल रहा हूँ।

सभापति महोदय, जहां तक टिनेन्सी एक्ट की धारा १६ में यह व्यवस्था थी कि जो शिकमी काश्तकरों हैं उनको खातेदार किस तरह से बनाया जाय। उसका प्रोसिजर काफी टेढा था। उसको सरकार ने काफी सरल बनाया है यह खुशी की बात है। लेकिन इसके साथ साथ इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में रेफर करने के लिए इसलिये कह रहा हूं कि वास्तव में इसके साथ में एक शब्द और जोड़ दिया है वह है मुआवजा। इस मुआवजा शब्द से मेरा कुछ मतभेद है। सिद्धान्ततः इसको मैं ठीक नहीं समझता। सभापति महोदय, हम जानते हैं कि राजस्थान के अन्दर जमीन काफी है और यहां की आबादी कम है लेकिन फिर भी यहां के जागीरदारों ने और अन्य कुछ लोगों ने काफी जमीन अपने कब्जे में की और उस जमीन पर काश्त करते थे दूसरे लोगां और उन लोगों का, उनके खातेदारी राइट्स रहते हुए भी, जागीरदारों द्वारा शोषण होता था। यह हम मानकर चलेंगे कि जिन लोगों के पास जमीन जायदाद थी या तो वे जागीरदार थे या गांव के सेठ-साहूकार थे या गांवों के कोई साधनसम्पन्न व्यक्ति थे। उनसे जमीन की काश्त नहीं हुई उन्होने भूमिहीन काश्तकारों को वह जमीन दे दी और उन काश्तकारों ने उनको जोता और इसीलिए वे हुए हैं भूमिहीन किसान उनको खातेदारी राइट्स नहीं मिले। लेकिन अब जब उनको जमीन के खातेदारी राइट्स देने का प्रश्न आता है तब हम कहते हैं कि उन लोगों को मुआवजा दिया जाय। सभापति महोदय, हमने एक सिद्धान्त माना हैं और वह है समाजवादी समाज की रचना। उस सिद्धान्त के अन्तर्गत हमें यह देखना है कि गरीब व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा किस तरह फायदा पहुंच सकता है। गरीब व्यक्ति राजस्थान के अन्दर, बहुत हैं इनकी कोई कमी नहीं है। उनमें से भी ज्यादातर हरिजन है और भी अन्य जाति के लोग भी हैं। वे उन लोगों की जमीन को जोतते हैं जिन्होंने अपने नाम से किसी जमाने में जमीन करवा ली। उन भूमिहीन किसानों से उनको किसी प्रकार से भी मुआवजा नहीं दिलवाना चाहिये। अगर आपको मुआवजा देना ही है तो पडौसी अगर गरीब है समाज का जिससे कोई फायदा नहीं, स्टेट का फायदा नहीं, राष्ट्र का फायदा नहीं, उससे हम सब का नुकसान है, उसको दीजिये उस गरीब को फायदा पहुंचाने का काम है राष्ट्र का। स्टेट को चाहिये कि जिन जागीरदारों और राजाओं को मुआवजा दिया जाय उन लोगों से लेकर जिन लोगों के पास पैसा नही यह कदापि उचित नहीं है। आजादी मिले हुए काफी अरसा हो गया लेकिन आज तक भी किसानों की हालत उसी प्रकार की बनी हुई है आज भी उनके पास अर्थ नहीं मिलेगा जिनके बच्चे अर्थाभाव के कारण पढ़ नही

(श्री गिरधारीलाल)

पाये जिनके पास खाने के लिये दाना नहीं, उन लोगों से आप कह रहे है कि आप उनको बीस गुनां मुआवजा दो तभी आपको खातेदारी राइट प्राप्त हो सकते है यह कदापि उचित नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि इस एक्ट के अन्दर एक चीज का प्रोविजन नहीं है । मान लीजिये कोई किसान एक जगह खेती करता है उसको वहां खातेदारी हक प्राप्ति के लिये बीस गुना मुआवजा देना पड़ेगा । हो सकता है, वह किसान खातेदार न बनना चाहता हो, हो सकता है वहां पर उसको बीस गुना अधिक पैसा देने से कोई लाभ न हो और उतने ही पैसे में वह दूसरी जगह की जमीन लेकर अच्छी जमीन हासिल कर सकता है तो इस प्रकार का प्रोविजन इसमें नहीं है । लेकिन आज किन्हीं परिस्थितियोंवश एक व्यक्ति काश्त करता है । उसके लिये बीस गुना मुआवजा रखा है वह काफी है । इससे हजारों रूपया लग सकता है वह उतने ही रूपयों में दूसरी जगह जमीन खरीद सकता है । इस प्रकार का प्रावधान इसमें नहीं है, इसलिये भी यह बिल अधूरा है ।

इसी प्रकार और भी खामियां हैं जिनकी ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस एक्ट की धारा ३ में जो मूल एक्ट की धारा १९ है उसमें एक नई धारा जोडी है उसकी तहत, हमने खातेदारी राइट, स्कीम काश्तकारों को देना स्वीकार कर लिया लेकिन हमने शर्त यह रखी है टिनेंसी एक्ट की धारा १८० है और धारा १९ के तहत खातेदारी राइट मिलते हैं, उसके साथ शर्त थी । धारा १८० के तहत जितनी जमीन तय कर दें उससे ज्यादा जमीन पर किसान को खातेदारी राइट नहीं मिल सकते इसमें यह प्रोविजन जोड़ा है आज दिन जिस शिकमी काश्तकार के पास ५०० बीघा जमीन है उसमें धारा १८० के तहत उसको केवल १५० बीघा पर ही खातेदारी राइट मिलेगा, उससे ज्यादा पर नहीं हालांकि उसके पास पांच सौ बीघा जमीन है । इसलिये मिनीमम जो शब्द रखा गया है वह उचित नहीं है । जिस व्यक्ति ने काफी अरसे से काश्त की है उस जमीन पर उसने काफी खर्च किया है उसके बावजूद भी आप उसको पूरी जमीन पर खातेदारी राइट नहीं दे रहे । यह उचित नहीं है ।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कभी कभी हमारे राजस्व मन्त्री महोदय जागीरदारों के पक्ष में ज्यादा हो जाते हैं, हालांकि उनकी नीति मैं समझता हूं वैसी नहीं है । एक जमाना था जब राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बना था १९५५ के अन्दर, उस वक्त राजस्थान टिनेन्सी एक्ट द्वारा किसानों को राइट्स दिये थे । अब समय ऐसा आ रहा है कि धीरे धीरे उन राइट्स को छीना जा रहा है अमेन्डमेन्ट्स के द्वारा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, these amendments have been passed, and this is irrelevant. कोई रिलेवेन्सी नही है ।

श्री गिरधारीलाल (जारी रखते हुए) : मैं इसी पर बोल रहा हूं आप इतने चमक क्यों रहे हैं ? आज भी मैं मानता हूं किसानों का प्रतिनिधित्व सरकार में है, आज भी किसानों के प्रतिनिधित्व का असर सरकार पर है, फिर भी किसानों के खिलाफ कानून बनाये जा रहे हैं । अप्रत्यक्ष रूप से मैं यह मानता हूँ कि किसानों की जड़ को खोदा जा रहा है, इससे आगे जाकर किसानों को दुविधा का सामना करना पड़ेगा ।

(श्री गिरधारीलाल)

सभापति महोदय, इसके आगे जहां धारा १६ (ए) है उसमें आपने कहा कि मूल एक्ट की धारा ४६ के अनुसार जिन जागीरदारों ने अपने बच्चों के नाम, विधवाओं के नाम या रिटायर्ड फौजियों के नाम जमीन कर रखी है उन पर किसी भी प्रकार से खातेदारी राइट्स नहीं मिल सकेंगे। सभापति महोदय, आज हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है उसको अगर किसी प्रकार से अपने जमीन पर हक प्राप्त करना है उसको डर है कि कहीं सीलिंग कायम हो जायगा जिसके लिए संविधान के अन्दर और कानून के अन्दर यह सुविधा है कि बच्चे, विधवा, या फौजी जो व्यक्ति हैं उनको हम प्रायोरिटी देंगे और इस नाम पर जिन जागीरदारों ने अनुचित फायदा उठाया, बहुत से जागीरदारों ने अपने नाबालिग लड़कों के नाम से जमीन करवा रखी है, कइयों ने अपनी माताओं के नाम से करवा ली है, उनकी जमीन पर काश्त करता है, उन किसानों को खातेदारी राइट नहीं रहे हैं यह उचित नहीं है। मान लीजिये कोई जमीन किसी बच्चे के नाम से या किसी विधवा के नाम से लिखी हुई है, उसके बच्चा है या नहीं, उचित या अनुचित तरीके से लिखवा ली है, उस जमीन पर किसी काश्तकार ने काश्त की है, ऐसी सूरत में आप उसे कह रहे हैं कि तुम्हें खातेदारी राइट नहीं है, यह उचित नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमें कानून में ऐसी व्यवस्था करनी है, जिससे उनको भी खातेदारी राइट मिल सकें।

इसी प्रकार का क्लॉज़ ४ भी है जो मूल एक्ट की धारा २० के स्थान पर नई धारा जोड़ी है। उसमें प्रोविज़न रखा है सरकार टाइम बढ़ाती रहेगी किसान मुआवजे के लिए दर्ख्वास्त देते रहेंगे और सरकार समय दे या उसको दो साल के लिये बढ़ा सकते हैं। सभापति महोदय, मैं सोचता हूँ इस प्रकार का प्रोविज़न रखना किसानों के हित में नहीं है। सरकार को चाहिये कि जल्दी से जल्दी १५-२० दिन के भीतर खातेदारी के लिए किसान अदालत में जाकर दर्ख्वास्त दे। उसमें कानूनी अड़चन आ सकती है, उससे कई लोग अनुचित प्रकार से फायदा उठा सकते हैं। इस प्रकार का प्रोविज़न रखा है जो गरीब के हाथ में न होकर उन लोगों के हाथ में दे रहे हैं जिन्होंने जायज़-नाजायज़ तरह से जमीन पर कब्जा करके काश्तकारों का शोषण किया है।

सभापति महोदय, क्लॉज़ ६ जो है उसमें आपने जो मुआवजा देने के लिए रखा है वह बीस गुना रखा है। सभापति महोदय, पहले मुआवजे का प्रोविज़न था वह दस गुना था अब हमने इसमें बीस गुना का रखा है।

इसमें हमें एक बात यह ध्यान में रखनी चाहिये कि हम कानून कायदे समाज के लिए बना रहे हैं। समाज की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, उनको फायदा पहुँचाने की दृष्टि से कानून बना रहे हैं। हमें वैसे कानून नहीं बनाने चाहिये जिसके कारण उन लोगों को दिक्कत हो, जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से खराब है। इसमें जो बीस गुना मुआवजा देने का प्रावधान रखा है वह बहुत ज्यादा है। आपने इसमें जो कुछ शब्द लिखे हैं उनका अर्थ मैं समझ नहीं सका हूँ।

टिनेन्सी एक्ट में प्रोविज़न ऐसा है कि खातेदार किसान अपने शिकमी काश्तकार से ढाई गुना तक लगान, जो उस समय सरकार की ओर से नियत है, ले सकता था और आपने लिखा है :

"Khatedari rights shall be. twenty times the annual rent lawfully payable

(श्री गिरधारीलाल)

to him immediately before the commencement......"

यह 'Lawfully payable to him'... इसका मतलब यह तो नहीं कि अगर ढाई देते थे तो ५० पर्सेन्ट हुआ इसका मतलब। गुना आपने बीस कहां रक्खा ? बीस गुना न होकर ५० गुना रक्खा। इससे किसान का अहितहो गा। इससे तो खातेदारी राइट न देना उचित है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय कृपया इसको थोड़ा साफ करेंगे।

सभापति महोदय, मैं सदन का ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता क्योंकि जो खामियाँ थीं इस बिल में वे मैंने सामने रक्खीं। मुझे आशा तो नहीं कि रेवेन्यु मिनिस्टर साहब इसको मानेंगे पर फिर भी मेरा यह फर्ज हो जाता है कि जो कानून में खामियां हैं वे बताऊँ और सरकार का फर्ज है कि ईमानदारी के साथ में जो कानून की खामियाँ रही हैं उनको दूर करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): सभापति महोदय, जो यह पंचम संशोधन प्रस्तुत किया गया है इसका राजस्थान में कृषक की जो स्थिति है उसकी दृष्टि से और जो रेवेन्यु रिफॉर्म्स इस राज्य में हुए हैं उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कई मित्रों नेयहां पर इस संशोधन को लेकर विचार प्रस्तुत किये हैं। उनके बावजूद मेरा ऐसा मत है कि इस संशोधन से राजस्थान में जो बहुत ही प्रगतिशील कदम लिये जाने वाले हैं उनकी ओर ध्यान नहीं गया है।

राजस्थान के नव राज्य और उद्देश्य की स्थापना के बाद में और विशेषकर कृषक के हित में उसके अधिकारों की विवेचना की दृष्टि से यदि राजस्थान में प्रगतिशील कदम हमारे सामने विधायकों द्वारा उठाया गया है तो मैं मानता हूँ पहला तो टिनेन्सी एक्ट था और उसके बाद में दूसरा कदम यह आया है।

यह संशोधन आने वाली हवाओं का सूचक भी है। यह हमारा अन्तिम लक्ष्य नहीं है लेकिन यह हमारी आने वाली कृषक क्रान्ति की पूर्णाहुति का सूचक है और छोटी-मोटी बातें जो मेरे मित्रों ने कहीं, मैं उनको छोड़ देता हूँ। पर इसका जो सामयिक महत्व है उस ओर, सभापति महोदय, आपकी स्वीकृति से मैं मित्रों का ध्यान खींचना चाहता हूँ।

सारे संशोधन में जो मुद्दे की बात कही गई है यह है कि खातेदारी अधिकार कृषक को बिना उसके द्वारा, बिना आज की भारी-भरकम और जटिल कानूनी व्यवस्थाओं से गुजरे दिये जारहे हैं। यदि यह विधेयक पारित कर दिया गया तो राजस्थान के सभी टिनेन्ट्स को उनके जायज़ खातेदारी अधिकार अपने आप मिल जावेंगे। अब तक यह अधिकार प्राप्त करने की जो भारी-भरकम और दुरूह प्रक्रिया रही है उसके कारण आप चाहें और कृषक चाहे, तो भी आसानी से अपने खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता था, उसको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। पर अब इस संशोधन से, बिना कोई दिक्कत उठाये किसान आसानी से अपने खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि आज यह स्थिति हो हो गई है कि बिना मांगे उन कृषकों के हकों को राज्य के द्वारा मन्जूर किया जावेगा। जितने शिकमी काश्तकार हैं और जो इस प्रकार की

(श्री जनार्दनराय नागर)

परिस्थितियों में हैं कि उनको खातेदारी अधिकार मिलने चाहियें, उनको राज्य वे अधिकार अपने आप दे देगा।

मैं समझता हूं कि यह संशोधन इस बात का सूचक है कि राज्य ने यह महसूस किया है कि कृषक का जो एक दुरूह प्रक्रिया में पड़ा हुआ अधिकार था, जो धीरे धीरे उत्पन्न होता चला जा रहा था उसको सम्पूर्ण रूप से, परिणाम रूप से कृषक को सौंप दे, तो मैं मानता हूं कि इसको इस दृष्टि से देखना चाहिये।

अन्य मित्रों ने और जो छोटी-मोटी बातें इस बारे में सुझाई हैं उनमें दृष्टिकोण का और विचारों का मतभेद हो सकता है। जैसे मुआवजे की बात कही। मैं स्वयं महसूस करता हूं कि बीस गुणा मुआवज़ा अधिक है। पर कितना होना चाहिये इस पर विचार तो प्रवर समिति में अच्छी तरह कर लिया जा सकता है। इस संशोधन से जो सबसे बड़ी बात हुई है वह तो यह है कि जो शिकमी काश्तकार था, उप कृषक था, जिसको बड़ी मुश्किल पड़ रही थी अपने अधिकार मनवाने में, उस अधिकार को राज्य ने इस संशोधन द्वारा सम्पूर्ण रूप से स्वयमेव मान लिया है। मैं समझता हूं, इसके लिये राज्य सरकार अभिनन्दन की पात्र है।

तीन-चार बातें हमारे मित्रों द्वारा रखी गई हैं। एक तो यह शंका प्रकट की गई है कि कुछ लोगों को इस विधेयक से काफी मुआवज़ा मिल जावेगा और जिनको पहले ही मुआवजा मिला हुआ है उनको अधिक दिलवाने का प्रपंच मालूम होता है। इस प्रकार की आशंका असमीचीन है। इस बिल को पूरा पढ़ लिया जावेगा तो स्पष्ट हो जावेगा कि जिस जागीरदार वर्ग के लिये समझा जा रहा है उस वर्ग से इसका अर्थ नहीं है, क्योंकि उस वर्ग का और उस प्रथा का उन्मूलन हो चुका है। उनको मुआवज़ा दुबारा या अधिक दिलाने के उद्देश्य से यह लाया गया है। यदि यह मतलब हम इसका निकालते हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार के इरादों के प्रति और इस विधेयक के प्रति हम कतई न्याय नहीं करेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब हम सीलिंग के निकट पहुँच रहे हैं और वह दिन दूर नहीं है जब हम सीलिंग पर विचार करते हुए पाये जावेंगे। ऐसी अवस्था में अधिक मुआवज़ा देने के प्रपंच की आशंका करने लग जावें तो इसका मतलब इस प्रावधान के इरादे को नहीं समझना ही है। यह अलग बात है कि हम वास्तविकता की ओर से आंख बन्द करके केवल राजनैतिक भाषा में इस प्रकार का आरोपण करें। मैं इसे दोषारोपण तो नहीं कहना चाहता। कोई ऐसा हेतुवाद और अहेतुवाद सामने लाकर बात करें या किसी तरह एक दृष्टि से ही देखना चाहें तो जिरह नहीं करूंगा उनसे। पर जहां तक निष्पक्ष होकर इसके उद्देश्य को देखें तो स्पष्ट ही लाखों काश्तकार, जो उप कृषक हैं, शिकमी हैं, कानून की मर्यादा के ज़रिये बंधे हुए हैं उनको अपने आप कृषकों के अधिकार प्राप्त हो जावें और उन्हें उस किसी प्रकार की प्रक्रिया में से होकर न गुज़रना पड़े जो बड़ी दुरूह, कष्टसाध्य एवं व्ययसाध्य है, तो यह व्यवस्था इस संशोधन में मिलेगी। राज्य सरकार स्वयमेव उनके अधिकार मान रही है।

अब छोटी-मोटी बातों में मैं नहीं जाऊंगा, उन पर विचार किया जा सकता है और उनके अनुसार छोटी-मोटी शुद्धियां की जा सकती हैं। मैं यह नहीं कहता कि इनकी

(श्री जनार्दनराय नागर)

गुंजाइश नहीं है। खामियां हो सकती हैं और उन्हें दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन सभापति महोदय, आपके जरिये मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल जो हमारे सामने आया है उसके महत्व को हम हल्के तौर पर न लें।

यह कोई एक शब्द, प्रावधान या वाक्यांश को दूर करने का बिल नहीं है, यह जिस प्रकार की सिद्धांतवृत्तियां हमारे सामने आई हैं उनके बारे में मैं समझता हूं कि सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। सरकार यदि चाहती तो बहुत जोर शोर से और एक प्रचारात्मक तरीके से इस संशोधन को ला सकती थी, क्योंकि आज जितने भी भारतवर्ष में राज्य हैं, उन सभी राज्यों में आज राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक कृषक क्रान्ति हो रही है। जहां लाखों कृषकों को कृषकों के अधिकार स्वयंमेव राज्य की ओर से दिये जा रहे हैं। चाहे वह कृषक यह अधिकार चाहे अथवा नहीं चाहे, लेकिन फिर भी उसको कृषक अधिकार दिये जा रहे हैं। भारत के अन्य राज्यों में कई ऐसे राज्य हैं जो अपने आप को प्रगतिशील मानते हैं, उन प्रगतिशील राज्यों में भी ऐसे कदम भूमि के सम्बन्ध में नहीं उठाये गये हैं। यदि इस दृष्टि से हम विचार करेंगे तो हम इसके महत्व को जान पायेंगे। इसके अलावा जो छोटी मोटी बातें हैं, उनकी ओर हमें नहीं देखना चाहिए। इस बिल का जो महत्व है, यदि वह सदन के सामने स्पष्ट नहीं है तो मैं यह मानता हूं कि सरकार को हमें कहना चाहिये कि ऐसा बिल नहीं लायें तो अच्छा है। इसके बाद यदि हम यह स्वीकार करते हैं कि राजस्थान में आज कृषक क्रांति होती जा रही है, यहां धीरे धीरे जो कृषक क्रान्ति की जा रही है, उसको जमाने के लिए और उसको सुदृढ़ करने के लिए यह संशोधन यदि आवश्यक है, तो इसका हमें एक अलौकिक दृष्टिकोण से साथ देना चाहिए। इस संशोधन का एक राजनैतिक और सामाजिक महत्व है और जबकि इसका राजनैतिक और सामाजिक महत्व है, तो इस सदन के सभी माननीय मित्रों को इससे परिचित होना चाहिये। हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् नवोदित राजस्थान के उदय के बाद जो हमने सबसे बड़ी बात की है वह है हमारे राजस्थान राज्य की कृषि क्रांति और इस दिशा में आज हम शीघ्र ही सीलिंग लाने की स्थिति में पहुंच गये हैं। जरा आप निगाह दौड़ाइये। जब से कृषि सुधारों की प्रक्रिया हमारे राज्य में आरम्भ हुई, उसको पूरी तरह मिलाकर देखें तो आपको स्वयंमेव इस बात का अन्दाजा हो जायेगा कि राज्य ने इस प्रकार का संशोधन लाने में देरी की है। मैं तो इस बात का हामी हूं कि कृषकों को इस प्रकार के अधिकार देने की बात सन् १९५५ में ही कर देनी चाहिये थी। १९५५ में जो एक्ट बना और उसके अनुसार सब-टिनेन्ट्स को खातेदारी अधिकार मिल जायेंगे, लेकिन राज्य ने इस मामले में देरी की और आज जब १९५८ आधा बीत गया है, तो राज्य सरकार की ओर से ऐसा संशोधन लाया जा रहा है, इसके लिए मैं समझता हूं कि सरकार हमारी सहानुभूति और अभिनन्दन की पात्र है। मैं यह मानता हूं कि संशोधन विधेयक के द्वारा राज्य सरकार ने इस इरादे को स्पष्ट पेश कर दिया है। हम राजस्थान के किसान को जमीन का अधिकारी मानते हैं और उसके फलस्वरूप आज हम केवल यह मान लें कि ये ये उलझनें बढ़ जायेंगी। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि इसका जो सामाजिक महत्व है, वह देरी से सही, वह भारी परिणाम में हमारे सामने आयेगा और यह

(श्री जनार्दनराय नागर)

इस बात का प्रतीक है कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद हम इस स्थिति में होंगे कि सीलिंग का कानून शीघ्र अपने राज्य में ला सकेंगे, जिसके परिणामस्वरूप हजारों और लाखों बीघा जमीन कृषकों के पास आ जावेगी और यह हमारा दृढ़तापूर्वक कदम है। कोई इसके लिए बड़ा भारी प्रचार नहीं किया जा रहा है, कोई लम्बे-चौड़े पोस्टर्स नहीं लगाये गये हैं, तो जितनी हल्की-फुल्की तरह से यह चीज़ लाई गयी है, वह उतनी हल्की-फुल्की हमें नहीं समझना चाहिये। यह एक ऐसी छोटी रासायनिक औषधि है, जिसका परिणाम भारी है। यह राजस्थान के बदलते हुए समाज की आगे की कूच के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कदम है।

श्री गिरधारीलाल : यह तो ठीक है, लेकिन 'मुआवजा' शब्द क्यों रखा ?

श्री जनार्दनराय नागर : मैंने पहले ही अर्ज किया कि मुआवजा मुझे ज्यादा मालूम होता है। अच्छा हो मुआवजा जैसी चीज ही नहीं रखी जाये। यहां के कृषक हजारों और सैकड़ों वर्षों से जमीन जोत रहे हैं, भूमि के सच्चे अधिकारी तो वे ही हैं। यह तो हमारा और आपका दुर्भाग्य है कि हमारे भारतीय विधान में मुआवजे की शर्त रख दी गई है, इसलिए हमारा विधान के प्रति वफादार रहना भी कर्तव्य है। अगर व्यक्तिगत वस्तु लें, तो मैं तो निश्चिततः इस मत का हूं कि मुआवजे का प्रावधान होना ही नहीं चाहिये था। अगर मेरा वश चले तो जागीरदारों को मुआवजे का एक पैसा भी नहीं दूं, राजाओं को प्रिवीपर्स का एक पैसा भी नहीं दूं। लेकिन यह तो वक्त की बेबसी है। इसलिये सभापति महोदय, मुझे ज्यादा नहीं कहना है। मैं आपके जरिये अपने मित्रों को यही बताना चाहता हूँ कि इसके धोखे में नहीं आना चाहिए, यह एक मजबूत कदम है और आप कल्पना कीजिये इससे लाखों किसानों को खातेदारी अधिकार मिलेगा और वह कृषक घोषित कर दिया जायेगा और खातेदारी अधिकार उनको दे दिये जायेंगे। साथ ही इससे हमारी कृषि क्रान्ति भी पूरी हो जायेगी।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री श्रीभानसिंह।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय सभापति महोदय,......

श्री हरिप्रसाद यादव : सभापति महोदय, जो फिफ्थ अमेन्डमेन्ट बिल........

श्री सभापति : आप श्रीभानसिंह हैं क्या ?

श्री सोहनलाल भटनागर : थोड़ा सा समय इनको दे दिया जाय, बड़े उत्सुक हैं।

श्री सभापति : (श्री हरिप्रसाद यादव की ओर संकेत करते हुए) आपको भी समय मिल जायेगा।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) **:** माननीय सभापति महोदय, जो प्रस्ताव इसे प्रवर समिति में भेजे जाने के बारे में आया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूँ। अभी जैसा पिछले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे राजस्थान में कृषि क्रान्ति होने वाली है। जहां तक यह समस्या है कि सब टिनेन्ट्स को टिनेन्सी राइट्स दिये जाने चाहिए या खातेदारी राइट्स दिये जाने चाहिए, वहां तक मैं समझता हूं कि कोई दो राय नहीं हो सकती। मगर किस तरह से

(श्री श्रीभानसिंह)

उनको खातेदारी राइट्स दिये जाने चाहिए, उस पर दो मत-भेद हो सकते हैं और उसी मत-भेद पर बोलने के लिए कि किस तरह से मत-भेद हो सकते हैं, मैं अपने कुछ विचार सदन के सामने रखूंगा। सब-टिनेन्ट्स हमारे राजस्थान में थे और जब हमने टिनेन्सी लॉ बनाया या जागीर रिजम्पशन बिल बनाया, उस समय सब-टिनेन्ट्स को खातेदारी के राइट्स दे सकते थे, मगर हमने बड़ा सब्स्टेन्शिल डिस्टिंक्शन कर दिया और जो लोग खुदकाश्त जमीन में नहीं आये उनको तो खातेदारी राइट्स दे दिये और जो लोग खुदकाश्त जमीन में रहे उनको सब-टिनेन्ट्स कर दिया। तो यह पहले से ही डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्टेशन बनाया और उसमें इसको इन्ट्रोड्यूज किया। उस डिस्क्रिमिनेशन का यह हुआ कि जितने भी जागीरदारों की खुदकाश्त नहीं थी उसमें वह खातेदार टिनेन्ट्स हो गए और खातेदारी टिनेन्ट्स हुए, जब कि उनके पहले के राइट्स एक्वायर करने के लिए जागीरदारों को नहीं देना पड़ा या लैण्ड लॉर्ड्स को नहीं देना पड़ा। दूसरी तरफ जो खुदकाश्त रखे, उसके जो टिनेन्ट्स थे उनको सब-टिनेन्ट्स कर दिया या खुदकाश्त टिनेन्ट्स कर दिया। अब उन सब-टिनेन्ट्स या खुदकाश्त टिनेन्ट्स को खातेदारी राइट्स एक्वायर कराने के लिए यह प्रोविजन लाये हैं। उनको जरूर खातेदारी राइट्स देने चाहिए, मगर जो खुदकाश्त हैं या सब-टिनेन्ट्स हैं, १० टाइम्स या २० टाइम्स रेन्ट का लॉफुल्ली चार्ज करते हैं उसको पे करके खातेदारी राइट्स एक्वायर कर लें। बिल का जो मूलभूत सिद्धांत है, वह यह है कि १० टाइम्स या २० टाइम्स रेण्ट का जो लॉफुल्ली चार्ज करते हैं, उसका खातेदारी राइट्स एक्वायर करें। इसे हमको देखना है कि एक तरफ जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह लैण्ड लॉर्ड्स को बेनिफिट नहीं करता है, लेकिन मुझे यह निश्चित है कि यह लैण्ड लॉर्ड्स को बेनिफिट करता है। एक तरफ राजस्थान सरकार ने उनको कम्पेन्सेशन दे दिया, दूसरी तरफ-उनको जो हमने खुदकाश्त की क्लॉज रखी टिनेन्सी एक्ट के अन्दर वह इतनी वाइड और इतनी विस्तृत रखी है कि किसी चीज को भी यानी सीर, हवाला और पता नहीं किस किस के अन्दर वह दर्ज है। जमीन उसको अपनी खुदकाश्त में क्लेम कर सकता है। उस समय की स्थिति को देखिये कि जागीर एरिया में कोई रेकॉर्ड नहीं था, रेवेन्यु ऑफिसर्स नहीं थे। जब जागीर एक्ट राजस्थान असेम्बली में डिसक्स हो रहा था या जागीर एन्क्वायरी कमीशन हो रहा था तभी जागीरदारों ने यह प्रबन्ध कर लिया कि १५—१५ और २०—२० हजार बीघा जमीन अपनी खुदकाश्त में दर्ज करा ली और दर्ज कराई है अपने ही रेकार्ड के अन्दर। जब इतनी दर्ज करा ली खुदकाश्त में और उसके जितने भी सब टिनेन्ट्स हैं उन पर यह कर सकते हैं, तब उसके ध्यान के अन्दर कितने सब टिनेन्ट्स हो सकते हैं? जहां इतने बड़े-बड़े एरियाज जागीर के खुदकाश्त के अन्दर हैं, जैसे कि राजस्थान के डैजर्ट एरियाज हैं, बाड़मेर, जालौर, पाली, नागौर इत्यादि, वहां तक चुरू और बीकानेर जितने भी जागीर एरियाज है डैजर्ट एरिया के, वहां पर सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट देखते हैं, तो वहां पर जो नॉन ऑनर्स का कल्टिवेशन हम देखते है, वह सब से ज्यादा है। वहां पर ऑनर्स कल्टिवेशन की पर्सेन्टेज राजस्थान के अन्दर है, यह ऑनर कल्टिवेशन की पर्सेन्टेट उन एरियाज के अन्दर प्रिडोमीनेट नहीं करती है। वहां पर सब-टिनेन्सी उस एरिया के अन्दर बहुमत के अन्दर है। आगे हम चलते हैं तो जहां पर कन्सन्ट्रेशन ऑफ

(श्री श्रीभानसिंह)

पोपुलेशन ज्यादा है, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में। इन जगहों की पर्सेन्टेज को देखते हैं तो नॉन ऑनर्स की कल्टिवेशन जिनको कि बिल्कुल आइडिल कहा जाय, उनकी वहां पर इतनी पर्सेन्टेज ज्यादा है, लैण्डलैस लेबरर्स की पर्सेन्टेज ज्यादा है। मतलब यह है कि यहां पर सब-टिनेन्ट्स की पर्सेन्टेज राजस्थान में सबसे ज्यादा है। इतनी राजस्थान के अन्दर एग्रिकल्चर क्रान्ति आई हैं, मगर एग्रिकल्चर क्रान्ति ने, जो डैजर्ट एरिया में और उस एरिया के अन्दर टिनेन्ट्स और सब-टिनेन्ट्स रहे, उनको इफेक्ट नहीं किया और प्रिडोमीनेट लैंण्डलैस लेबरर्स रहे उनको एग्रिकल्चर क्रान्ति ने इफेक्ट नहीं किया। एग्रिकल्चर क्रान्ति उनके लिए कहीं इस बिल के जरिये से आई और इस बिल के जरिये से जब क्रान्ति आई है, तो जागीर एरिया में खुदकाश्त दर्ज नहीं थी...

श्री सभापति : (राज्य पक्ष की ओर से शोरगुल होने पर) ऑर्डर ऑर्डर प्लीज।

श्री श्रीभानसिंह ? उनको आपने बिना पैसे के खुदकाश्त राइट्स दिये और बिना पैसे के खातेदारी राइट्स देते तो राजस्थान के अन्दर एग्रिकल्चर क्रान्ति आती, और राजस्थान का किसान जागरूक होता, और राजस्थान का किसान आज दिन भी कोई बड़ा आदमी सरकारी ऑफिसर पहुंच जाय, तो उसके सामने राजस्थान का किसान दोनों हाथ में रुपया धर कर नजर नहीं करता। राजस्थान के अन्दर आज भी जो परम्परा स्लेवरी की चली आ रही है, उससे मालूम होता है कि वह क्रान्ति नहीं आई है और हमारा लेजिस्लेशन कुछ कम रहा है। अब जो क्रान्ति लाना चाहते हैं तो बिला कम्पेन्सेशन के खातेदारी राइट्स एक्वायर करने के लिए इसको बिल्कुल हटा देना चाहिए।

दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कहीं कहीं राजस्थान सरकार ने सैटलमेंट की दरें कायम की हैं और जो कम्पेन्सेशन के आंकड़े, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में दिये जाते हैं, वहां हम २०टाइम्स रख रहे हैं, तो २० टाइम्स किस प्रकार रख रहे हैं ? जहां पर सब-टिनेन्सी हैं वहां पर लोग बाग काइन्ड रेन्ट चार्ज कर रहे हैं, कहीं केश रेन्ट भी चार्ज कर रहे हैं, तो सब-टिनेन्ट पर कितना बर्डन पड़ेगा उसको लेने के लिए। उस बर्डन का क्या किया है कि वह बहुत कम रुपये के अन्दर अपने राइट्स एक्वायर कर ले। कहीं पर जो अगर सैटिल्ड है, वहां पर शायद सैटलमेंट की रेट्स कम हों। पर जो लॉफुल्ली चार्ज करते हैं, वह सैटलमेंट रेट्स से २०-३० टाइम्स ज्यादा होता है, तो वह इस ३०टाइम्स का २०टाइम्स पे करके राइट्स एक्वायर करें। वह सब-टिनेन्ट जो आज तक इकोनोमिकली एक्सप्लोयटेड रहा है, तो उसके साथ में जस्टीफिकेशन नहीं रहेगा।

राजस्थान गवर्नमेंट ने कम्पेन्सेशन की स्कीम रखी, it was a charge upon the consolidated fund of Rajasthan. जहां तक कम्पेन्सेशन देने का सवाल था, उसको राजस्थान गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि राजस्थान का किसान जागीरदारों को कम्पेन्सेशन पे करने के भार को बियर नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ हम यह सिद्धान्त रखते हैं कि जितने भी जागीरदारों के सब-टिनेन्ट्स हैं, वे सब-टिनेन्ट्स अपने राइट्स एक्वायर करने के लिए उनको कम्पेन्सेशन पे करें, और वह पे करें ८ से १० इयर्स के अन्दर। यह सिद्धांत जब आप मानकर चलें कि जितने भी जागीर एरियाज के काश्तकार

(श्री श्रीमानसिंह)

है वे उसको बियर नहीं कर सकते हैं -कम्पेन्सेशन के बर्डन को । यहां पर यह मानना पड़ेगा कि सब-टिनेन्ट्स को जब खातेदारी राइट्स एक्वायर करने के लिए जो बर्डन आयेगा उस बर्डन को बियर नहीं कर सकते हैं । एक उदाहरण यू० पी० गवर्नमेंट का आपको दूं । यू० पी० गवर्नमेंट ने कम्पेन्सेशन की स्कीम रखी, और उस कम्पेन्सेशन की स्कीम में उन्होंने यह भी प्रावधान रखा कि जो सीरदार और आदिवासी हैं, जिनके लिए यू० पी० गवर्नमेंट ने जमींदारी एबोलिशन की है, वे पे करके अपने भूमिदारी राइट्स एक्वायर कर लें । नतीजा क्या होता है कि आज तक भी वह जितना भी प्रावधान यू० पी० गवर्नमेंट ने रखा है उसको देखते हुए कम रखा है,लेकिन फिर भी किसी सीरदार या आदिवासी ने भूमिदारी राइट्स एक्वायर नहीं किये हैं । जो कम्पेन्सेशन यू० पी० गवर्नमेंट ने रखा है और उसी तरह का प्रिन्सिपल यहां मानेंगे कि गवर्नमेंट के फन्ड्स से पे नहीं कराये जायं, और खुदकाश्त का कम्पेन्सेशन जो होता है, जागीर के सब-टिनेन्ट्स को टिनेन्सी राइट्स एक्वायर करने के लिए जो कम्पेन्सेशन होता है, वह अपने आप काश्तकार से पे कराया जाय, उसकी एक साइकल बन जाय कि इस इस टाइम में वह लैण्ड लॉर्डस के पास पहुँच जाय । यू० पी० गवर्नमेंट इस चीज में सक्सेसफुल नहीं रही तो वही स्कीम यहां पर इन्ट्रोड्यूस करें,तो दो दो तरह की स्कीमों के अन्दर कहां तक राजस्थान गवर्नमेंट सक्सेसफुल हो सकती है, तो मुझे इनिशियली डाउट होता है कि यह पे नहीं कर सकते हैं ।

फिर इस एक्ट के अन्दर यह दिखाया जाय कि खातेदारी राइट्स जो हम सब-टिनेन्ट्स को दे रहे है वह कब से हों ? वह 'फ्रोम दी डे ऑफ दी कमेन्समेंट ऑफ फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट' से है और उसके अन्दर वह एक डिस्टिंक्शन रख दिया है कि नोटीफाइड बाई दी स्टेट गवर्नमेंट, तो डिफरेन्ट डेट्स को नोटीफाई करेंगे कि कम्पेन्सेशन पे करके सब-टिनेन्सी राइट्स ले सकते हैं । जो इसके अन्दर सब से ज्यादा डिफिकल्टी है, यह कहना ठीक है कि आपने कम्पेन्सेशन के राइट्स भी रखे है, आपने खातेदारी के राइट्स भी दे दिये, वह यह है कि वह 'फ्राम दी डे आफ दी कमेन्समेंट आफ दी फिफ्थ एक्ट है' । मगर जो खातेदार आज राइट्स एक्वायर नहीं करना चाहता है, आज कम्पेन्सेशन की निर्धारित रेट्स है, वह इतनी हेवी है कि वह पे नहीं करना चाहता है, तो किस तरह से आप उसको डिसपजेस कर सकते हैं खातेदारी राइट्स से । इसके अन्दर या तो आज फ्लोलेस एक्ट बनाना था, तो यह रखना चाहिए था कि जब कि कम्पेन्सेशन का प्रोविजन रखा है, कि सब-टिनेन्ट इतना कम्पेन्सेशन खातेदारी राइट्स एक्वायर करने के लिए पे नहीं कर देगा 'विद इन १० इयर्स' तब तक खातेदारी राइट्स उसको नहीं मिलेंगे । मगर जो प्रोविजन रखा है, उसके अनुसार खातेदारी राइट्स एक्रू हो जायेंगे, जिस रोज से एक्ट एन्फोर्स होगा और १० इयर्स के अन्दर वह कम्पेन्सेशन पे करेगा । जो सब-टिनेन्ट अनविलिंग है कम्पेन्सेशन पे करने के लिए, उसको खातेदारी राइट्स एक्रू होंगे या नहीं होंगे, इसके अन्दर, इस एक्ट के अन्दर यह क्लियरली नहीं है । ये एनोमोलीज हैं इस एक्ट के अन्दर ।

मैं चाहता हूं कि यह ठीक है कि यह सिद्धांत जो राजस्थान गवर्नमेंट ने अब इतनी देर से जाकर स्वीकार किया है कि एक तरफ के

(श्री श्रीमानसिंह)

टिनेन्ट्स होने चाहिए, सब-टिनेन्ट को भी खातेदार टिनेन्ट्स बनाना चाहिए और खातेदारी राइट्स देना चाहिए। यह सिद्धांत बहुत अच्छा और क्रान्तिकारी सिद्धान्त है और काश्तकारों की भलाई के लिए है। इसके कारण से आज दिन तक जो टिनेन्सी के कई प्रॉब्लम्स हैं वे बहुत से टिनेन्सी के, पॉब्लम्स हल हो जायेंगे। टिनेन्सी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी और वह व्यवस्था तभी हो सकती है जब कि हम उनको एट पार ट्रीट करें, उन टिनेन्ट्स को जिनको ऑलरेडी खातेदारी राइट्स दिये गये हैं और जिनको अब दिये जा रहे हैं, और एट पार ट्रीट करने का मतलब यही है कि जो कम्पेन्सेशन हो, उस कम्पेन्सेशन की रेट्स रखनी पड़ेगी और वह वे रेंट्स रखने पड़ेंगे जिसको कनेक्ट करना पड़ेगा लैण्ड रेवेन्यु से। लैण्ड रेवेन्यु से भी नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि लैण्ड के प्रोडक्शन से कनेक्ट करना चाहिए।

२ म० प०

अगर सब-टिनेन्ट की यह लैंड है, उसका इतना प्रोडक्शन है, इतना छोड़ने के बाद इतना सरप्लस रहता है जिससे बिना पिन्च और बिना हर्ट के वह कंपेन्सेशन लैंड लॉर्ड को दे सकता है। जब तक हम प्रडक्शन और कंपेन्सेशन को एक बराबर नहीं करेंगे, उसको टेली नहीं करेंगे तब तक यह नहीं कह सकते कि सब-टिनेन्ट्स को लैंड देने में जस्टिस करते है, यह नहीं कह सकते कि सब-टिनेन्ट से २० गुना चार्ज करते हैं तो अधिक करते हैं। आप उनको आगे ले जाना चाहते हैं। आप उनकी तरक्की करने के लिये उनसे कहते है कि कम्पेन्सेशन पे करके राइट ले लीजिये, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि ऐसे कितने हैं जो इसे एफोर्ड कर सकेंगे? ऐसे कितने लोग हैं जो इसके लिये तैयार हो जायेंगे, आधे या ज्यादा? लेकिन मेरी मान्यता है कि अभी मेजोरिटी ऑफ काश्तकार्स इतनी पूअर है कि जो आप यहां पर प्रावधान करना चाहते हैं, उससे फायदा नहीं उठा सकेंगे। तो मूलभूत आधार भले ही वह हो, कम्पेन्सेशन का उसमें हमें परिवर्तन करना है और वहां तक परिवर्तन करना है कि जो हमारी मंशा है खातेदारी राइट एक्वायर करने की, वह पूरी हो सके। जब गजट में नोटिफाई हो, इसे जब इम्प्लीमेन्ट करें, उसके विदिन वन इयर सब टिनेन्सी के राइट को छोड़कर खातेदारी राइट एक्वायर करें।

कॉन्स्टीट्यूशन का हवाला देकर कहा गया कि कंपेन्सेशन जस्टीफाइड है, लेकिन मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। खुदकाश्त जागीरदारों की प्राइवेट प्रोपर्टी नहीं है। प्राइवेट प्रोपर्टी का जो सैलियेन्ट फीचर है, उसकी तारीख में यह नहीं आ सकता, उससे यह गवर्न नहीं कर सकता। यह गवर्न करता है जागीरदारी एबोलिशन एक्ट से और जब इससे गवर्न होता है तो 'दे आर नोट दी सोल ऑनर्स ऑफ दी खातेदारी लैंड' और जहां तक वे लैंड को इन्टरप्रेट करते हैं, बहुत से मित्र पूछते हैं वाट इज खातेदारी? 'खातेदारी इज ए राइट देट इज टू युटिलाइज दी लैंड' और जो राजस्थान के अन्दर जागीरदार यह समझते हैं कि हमारी पर्सनल प्रोपर्टी है और पर्सनल इन्टरेस्ट के लिये है। लेकिन आप लैंड के ट्रस्टी के रूप में है उसको हम बढ़ा नहीं सकते और पोपुलेशन बढ़ रही है और जब तक आप सोशियल ट्रस्टी के रूप में नहीं समझेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। जो लोग जमीन का मिस युटेलाइजेशन करते है उनके बारे में सरकार को राइट है कि वह उन्हें

(श्री श्रीमानसिंह)

सोसाइटी के इन्ट्रेस्ट के लिये युज़ करने के लिये कंपेल करे। जब इस प्रकार की जमीन युटेलाइजेशन एक्ट और जागीर एबोलिशन एक्ट से गवर्न करती हैं और जब क्रोप और प्रोडक्शन तक को रेगुलेट कर सकते हैं तब तक यह कभी नहीं माना जा सकता कि यह जागीरदारों की प्राइवेट प्रोपरटी है और प्राइवेट प्रोपरटी होने के नाते कॉन्सटीट्यूशन से गवर्न होती है और जब यह प्राइवेट प्रोपरटी नहीं है तो राजस्थान गवर्नमेंट के लिये यह जरूरी नहीं है कि उन्हें कम्पेन्सेशन दे। यह कंपलसरी नहीं है कि उनको डिसपोज़ेस करने के लिये कम्पेन्सेशन देना चाहिये। तो कान्सटीट्यूशन की दलील है वह यों ही हैं, वे समझते होंगे कि शायद कॉन्सटीट्यूशन का नाम ले लेंगे तो काम बन जायगा। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि वे गवर्नमेन्ट को इस बात के लिये एनकरेज करें कि वे प्रोग्रेसिव स्टेप लें उन लोगों के लिये जो दबे हुए हैं और एक्सप्लोइट हुए है उनको एक्सप्लोइट होने से रोक दें। इसलिये मैं फिर मंत्रीजी से कहूंगा कि कॉन्सटीट्यूट वगैरह की कोई अड़चन नहीं है। इन सब बातो के रहते हुए इसे सिलेक्ट कमेटी में जरूर भेजा जाना चाहिये।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति: अब जरा श्री हरिप्रसादजी को थोडी देर के लिये सुन लें।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर): सभापति, महोदय राजस्थान टिनेन्सी (पांचवां संशोधन) विधेयक, १९५८ चल रहा है उसके विषय में अभी मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि लगान की दर से बीस गुना जो दिया जा रहा है वह ज्यादा है, उन मानीय सदस्य को क्या भार पड़ेगा जब कि आप किसान नहीं हैं...

श्री सभापति: जरा भाषा का ध्यान रखिये।

श्री हरिप्रसाद यादव: माननीय सभापतिजी मैं इस विषय में पांचवां संशोधन विधेयक है उस पर बोल रहा हूँ जो जमीन से संबंधित है, मैं जमीन के विषय में आपको यह बता रहा था....

श्री भीमसेन: कौन सी जमीन के विषय में?

श्री हरिप्रसाद यादव: जो खातेदारी काश्तकार और शिकमी काश्तकार है, एक काश्तकार के पास ५० बीघा जमीन है और उसमें शिकमी काश्तकार करता है उसके विषय में विचार किया जा रहा है। इस सदन में अभी मावली से आने वाले सदस्य ने बताया कि बीस गुना से कम कर दिया जाय। एक आदमी को एकेडेमी, संस्था और मठ के नाम से कुछ मिला और एक जागीरदार, जागीरदारी का नाम कर लिया जाय और राजस्थान में कइ बड़े बड़े किसान हैं जिन्होंने २० हजार रुपये काश्त पर लगाये, कुए बनाये, नाड़ियां बनाई और एक तरफ आज 'अधिक अन्न उपजाओ' अभियान, रबी अभियान आदि चलाना चाहते हैं और दूसरी तरफ मठाधीश बना कर लाखों रुपये लेना चाहते हैं (करतल ध्वनि,) एक तरफ किसानों को दबाना चाहते है और दूसरी तरफ गवर्नमेन्ट को चलाने वाले सदस्य कहते हैं कि परिवार नियोजन करो (करतल ध्वनि) वे अपने खुद तो संयम नहीं रखते हैं और जिनको दो दो लाख किसानों, मजदूरों ने

(श्री हरिप्रसाद यादव)

चुनकर भेजा है उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं, सभापति महोदय, मैं आपके जरिये उन सदस्यों तक और माल मंत्रीजी तक पहुँचाना चाहता हूं। माल मंत्रीजी ने कहा था कि हजारों बीघा जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है। मेरे क्षेत्र में भी यह देखने को मिला है कि २ बीघा जमीन पर नाजायज कब्जा था...

श्री सोहनलाल भटनागर : सभापति महोदय,....

श्री सभापति : बीच में हस्तक्षेप मत करिये वरना भूल जायेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : मैं...

श्री सभापति : इन्हें बोलने दीजिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : हजारों बीघा जमीन गंगा नहर और राजस्थान में हजारों बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है तो मैं कहना चाहता हूं कि नाजायज कब्जा की हुई जमीन का लगान राजस्थान गवर्नमेन्ट के कलेक्टर्स और कमिश्नर्स या रेवेन्यु सेक्रेटरी ने वसूल क्यों नहीं किया, जब कि मेरी तहसील में हजारों हरिजनों को और किसानों को डराया गया, धमकाया गया। उनके घर की सांकली बन्द करके बच्चे-बीबी को बन्द किया गया (करतल ध्वनि) इस तरह से एक नागरिक को पददलित करना कहां तक सही है। जिस तरह से एक माननीय सदस्य ने कहा कि २० गुना लगान मिल जाय तो उन सदस्य महोदय के परिवार के नाम से, पत्नी के नाम से लाखों रुपयों की बावड़ी है, उनको २० लाख रुपये मिल सकते हैं। (करतलध्वनि) लेकिन उन्होंने देखा कि मुझे कम हिस्सा मिलेगा तो भी २ लाख रुपये मिल सकते हैं (करतल ध्वनि) इसलिये मैं सभापति महोदय मैं पांचवें संशोधन पर यह बताना चाहता हूं कि हमारे सदन में ऐसे मठाधीश है जो माननीय किसानों की तरफ से चुने हुए जो मेम्बर्स आये हैं उनको दबाना चाहते हैं....

श्री भैरोंसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ, ऑर्डर सर, यहां पर बोलने वाले सदस्य को व्हिप दबाने की चेष्टा करते हैं, पार्टी का डिसिप्लिन हाउस के बाहर हो सकता है, लेकिन अन्दर नहीं हो सकता।

(हंसी)

श्री सभापति : वे दबाने वाले नहीं है।

(अनेक माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री सभापति : माननीय हरिप्रसाद।

श्री आबिद अली : On a point of order Sir. There should be no personal remarks and the speech should not be vindictive. पर्सनल रिमार्क्स नहीं होने चाहिए कि मावली से आने वाले सदस्य ने ऐसा कहा, ऐसा नहीं। मैं समझता हूँ यह असेम्बली की परम्परा के अनुकूल नहीं है।

श्री सभापति : उनके भाव बुरे नहीं हैं, शुद्ध भावना से कह रहे हैं।

श्री आबिद अली: But there should be no personal remarks.

श्री सभापति : थोड़ा सा ध्यान रखिये भाषा के बारे में।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सभापति, गवर्नमेंट चलाने वाले मंत्री हैं, वे भी धड़ाधड़ बोलते हैं, प्रश्न के उत्तर देते हैं। (करतल–

(श्री हरिप्रसाद यादव)

ध्वनि) मैंने गत असेम्बली के सैशन में प्रश्न पूछा था कि बल्लभनगर और भोपाल-सागर, दो तहसीलें, जिनसे गवर्नमेंट को ५० लाख रुपये की नेट इनकम मिलती है। वहां राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोला जाय, वहां काफी किसान और मजदूर रहते हैं और गवर्नमेंट को चलाने के लिये ५० लाख रुपये की इनकम हम किसान, व्यापारी और मजदूर वर्ग देते हैं। तो फिर हमारे माननीय उप-माल मन्त्रीजी ने उसका यह जवाब दिया कि तुम्हारे यहां राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड कैसे खोला जाय, जमीन खराब हैं...

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय-सभापति...

श्री हरिप्रसाद यादव ; जमीन पर आ रहा हूं....नहीं....उन्होंने यह कहा कि तुम्हारे यहां कैसे खोला जाय। (करतल-ध्वनि) माननीय उप-माल मन्त्री को ज्ञान नहीं था। कि भोपाल सागर (वंटी) एक २० लाख रुपये का तालाब बना हुआ है....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री हरिप्रसाद यादव : १० हजार बीघा जमीन में चावल की खेती होती है और वहां पर शक्कर का कारखाना है, शुगर फैक्ट्री है। अब माननीय सभापति महोदय, मैं आपको इस संशोधन के बारे में, जो किसानों और मजदूर वर्ग के लिए बनाया है और जो किसानों और मजदूर वर्ग से चुन कर माननीय सदस्य आये हैं, उनको और माल मन्त्री जी को सुनाऊंगा...

श्री सभापति : वह बाद में सुनाइये।

(हंसी)

श्री हरिप्रसाद यादव : जो मालिक हैं भोपाल सागर के, उनको तीन हजार बीघा जमीन दे रखी है और इसमें सरकार के नियमों के अनुसार खेती नहीं होती है। बड़े-बड़े रेवेन्यु के ऑफिसर्स पर दबाव डाला जाता है और जो भूमिहीन किसान हैं, वे भूमिहीन रह जाते हैं।

(करतल-ध्वनि)

एक तरफ हमारी सरकार खाने-पीने के लिए तरस रही है और दूसरी तरफ पूंजीपति

(करतल-ध्वनि)

हजारों बीघा जमीन लिये बैठे हुए हैं। हमारी सरकार सीलिंग लगाने जा रही है, एक तरफ सीलिंग की बात कह कर, कॉग्रेस के नेताओं को सरकार बताती है, कि सीलिंग के ऊपर चलना चाहते हैं, हम गांधीवादी हैं, लेकिन दूसरी तरफ पूंजीवादी हैं, उनको दो दो हजार बीघा जमीन क्यों दी गई है।

(करतल-ध्वनि)

इसलिए माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन में जो २० गुना मुआवजा रखा है, जो किसानों ने अपने खेत के लिए कुआ बनाया है, तालाब बनाया है, नाड़ी बनाई है, उसके लिए उसे बीस गुना मुआवजा मिलना चाहिए।

(करतल-ध्वनि)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़ ! माननीय राजस्व मन्त्रीजी उत्तर दे दें, यह पास हो जाय। जैसी भी सदन की इच्छा हो।

('ठीक है, ठीक है' की ध्वनि)

(तत्पश्चात् कुछ व्यवधान पर) अभी सदन काफी दिनों तक चलेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय,.........और कोई साहब बोलना चाहते हैं ?......

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सभापति महोदय, इस किस्म अमेन्डमेन्ट बिल पर, जो टिनेन्सी एक्ट का है...

(कुछ सदस्यों के पुन: खड़े होने पर)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य जो कोटा डिस्ट्रिक्ट से आये हुए हैं, ने प्रस्ताव पेश किया है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय, इस पर माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं, खासकर एक-आध स्पीच बहुत दिलचस्प हुई है ।

(हंसी)

चाहे वह इस बिल से सम्बन्धित न हो, मगर माननीय सदस्यों ने काफी दिलचस्पी ली है । मगर यह बिल जो है, यह जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, एक महत्वपूर्ण बिल है । यह बात नहीं है कि इसको आज पहली दफा सरकार ने महसूस किया हो कि सब-टिनेन्ट, टिनेन्ट जो खुद काश्तकार हैं, उनको खातेदारी अधिकार मिलने चाहिये । इस सिद्धान्त को हमने उस समय, जब टिनेन्सी एक्ट बना था, महसूस कर लिया था और दफा १९ के अन्दर इस बात का प्रावधान है कि जो खुद-काश्त टिनेन्ट हैं और शिकमी काश्तकार हैं उनको खातेदारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है । १५ अक्टूबर, १९५५ को जब टिनेन्सी एक्ट फोर्स में आया उस वक्त जितने किसान थे, जो जमीन पर काबिज़ थे, उनको अधिकार मिल गये थे खातेदारी के, लेकिन वे लोग रह गये जो शिकमी काश्तकार हैं, या खुदकाश्त किसान हैं, उनको अलग रखने का कारण यह था कि वे जमीन के अधिकारी नहीं होते और शिकमी काश्तकार और खुद-काश्त, काश्तकार ने काश्त करने के लिए जमीन ले रखी थी, इसलिये इस लेजिस्लेशन में यह प्रावधान रखा गया है कि वे खातेदारी अधिकार ले सकते हैं, मगर मुआवजा देना पड़ेगा । ठीक है कि टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के बाद यह ख्याल था कि खुद-काश्त और शिकमी काश्तकार को काफी तादाद के अन्दर अधिकार मिलेंगे और वे अधिकार लेंगे, मगर तजुर्बे ने बताया कि वास्तव में जितने लोग हैं, काश्तकार हैं, शिकमी काश्तकार हैं, उनको अधिकार नहीं मिल सके । कारण यह था कि जो प्रोविजन्स है वे टिनेन्सी एक्ट के अन्दर, इतने कॉम्प्लीकेटेड हैं कि हर एक व्यक्ति को दर्ख्वास्त देनी पड़ेगी अदालत में, दर्ख्वास्त इस बात की देनी पड़ेगी कि उसको खातेदार बनने का हक दिया जाय, उसके ऊपर सब डिवीजनल ऑफिसर को कम्पेन्सेशन असेस करना पड़ेगा, एतराजात सुनने पड़ेंगे । मतलब यह है कि खुदकाश्त काश्तकार राजस्थान में है, वे अदालत में उतनी दर्ख्वास्त नहीं दे सके, जितनी देनी चाहिए । इसलिए वे इस अधिकार को पाने से महरूम रहे । पहले टिनेन्सी एक्ट में इसको एक साल की मियाद रखी गई थी। इस मियाद में किसान अधिकार हाँसिल नहीं कर सके, इसलिए दो साल की गई, फिर तीन साल की गई । मियाद बढ़ाने पर देखा कि नान रिज्यूम्ड एरिया है, उस पर खुदकाश्त सब-टेनेन्ट अपने खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सके और इस बीच बहुत कम दर्ख्वास्त इस तरह की पेश हुई । प्लानिंग कमीशन ने भी राज्य सरकार को सलाह दी कि इस प्रकार का प्रावधान रखा जाय कि खुदकाश्त काश्तकार को, सब-टिनेन्ट को आसानी से ओटोमेटिकली खातेदारीदारी राइट प्राप्त हो

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जाय और उनको दरख्वास्त देने की आवश्यकता न हो। वास्तव में यह जरूरी है कि जो सब टिनेन्ट हैं या खुदकाश्त काश्तकार हैं, उनको अधिकार देना चाहते हैं तो ऐसा प्रोसीजर रखना चाहिए जिससे उनको ऑटोमेटिकली अधिकार मिल जायें। इसके साथ ही जरूरत इस बात की है कि जो मुआवजा खुदकाश्त होल्डर या टिनेन्ट को मिलना चाहिए उसका प्रावधान रखा जाय और उनको महरूम न रहने दिया जाय। इसलिए दफा १९ है उसमें अमेंडमेंट पेश किया है, उसका सीधा मतलब यह है कि सब-टिनेन्ट या खुदकाश्त काश्तकार को इस बात की जरूरत न रहे कि वह दरख्वास्त पेश करे, सब डिविजनरल ऑफिसर को कि १५ अक्टूबर, १९५५ को जब टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ था, उस समय खातेदार बन गया था और जो जमीन देता है, जो खुदकाश्त होल्डर है, टिनेन्ट है, उनका अधिकार है और पहले था और अब भी है, फर्क इतना किया है कि अब दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं है, उसे अपने आप खातेदार मान लिया जायगा, तहसील के अन्दर जो रेकॉर्ड है, उसकी बिना पर कर दिया जायगा। वह खातेदार बन जायगा। इसमें बजाय इसके कि काश्तकार दरख्वास्त दे, खुद काश्तकार होल्डर या टिनेन्ट ने जिस सब टिनेन्ट को अधिकार दिया है वह सब डिविजनल ऑफिसर को दरख्वास्त पेश करके जमीन का मुआवजा तय करवा लें और खातेदारी राइट्स करवा लें। इसके लिए प्रोविजन रखा गया है। जो खुदकाश्त, काश्तकार या सब-टिनेन्ट दरख्वास्त देगा, उस पर सब डिवीजनल ऑफिसर नोटिस देगा और एतराजात को सुनने के बाद खुदकाश्त को कायम करेगा और कम्पेन्सेशन-असेस करेगा। इसमें एक पॉइन्ट यह है और दूसरा पाइंट मुआवजे का है। पहले जो कम्पेन्सेशन का तरीका रखा गया था टिनेन्सी एक्ट के अन्दर, वह कॉम्प्लीकेटेड है, उसे वर्क आउट करने में कलेक्टर को बहुत दिक्कतें महसूस हुई अपने अपने जिलों में, उन्होंने सुझाव दिये। क्योंकि २० साल से किसान पैदावार कर रहे है, लेकिन कोई डीड नहीं है कोई रिकार्ड किसी तहसील या सरकारी दफ्तर में नहीं मिल सकता। २० साल के अन्दर जमीनों का किस किस भाव से मोर्टगेज हुआ है, किस किस भाव से सेल हुआ है, यह कलेक्ट करने में उनको डिफिकल्टी मालूम नहीं हो, क्योंकि जो फार्मूला पहले दिया था उससे जमीनों की कीमतें मालूम करवा लें सीधा सा फार्मूला निकालने की जरूरत है जिससे कम्पेन्सेशन का असेसमेंट आसानी से हो जाय, टिनेन्ट है उसको कम्पेन्सेशन मिल जाय और सरकारी अधिकारियों को दिक्कत और मुसीबत न हो। जितना रेंट है उसका २० मल्टीपल हमने इसमें रखा है, जो रेंट खुदकाश्त होल्डर चार्ज करता है। जो सैटलमेंट की असेसड रेट्स हैं उनकी असेसड रेवेन्यु का मल्टीपल दिया जाय तो ४० गुना हो सकता है। कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं कि रेवेन्यु का मल्टीपल रखा जाय तो उस पर विचार किया जा सकता है और भी कई सुझाव दिये हैं। पहले मैं जमीनों के लिये कम्पेन्सेशन दिये जाने का प्रोसेस था, इसके लिये और नाल बन्ट के लिये भी प्रोसेस था उसको ठीक किया गया है और यह सब कुछ सब किसानों के लिये किया गया है। हो सकता है कि सिलेक्ट कमेटी में इस पर विचार करके इसे अच्छे फोर्म में पेश कर सकें पर जिस प्रकार का यह बिल है इसमें ज्यादा देर नहीं की जा सकती। इसे सैशन में जब तक कि यह सैशन खत्म हो उससे

Page No.76

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पहले पहले यानी ८ या १० दिसम्बर तक तो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश हो जानी चाहिये, इस समय के अन्दर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ जाय इस शर्त पर कोटा डिविजन से आये हुए माननीय सदस्य इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (फिफ्थ अमेंडमेंट) बिल, १९५८ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(१) श्री दामोदरलाल व्यास, मिनिस्टर इन्चार्ज।
(२) श्री सोहनलाल भटनागर
(३) श्री तेजाराम गहलोत
(४) श्री भीमसेन
(५) श्री मूलचन्द डागा
(६) श्री पुरुषोत्तमलाल
(७) श्री नारायणसिंह डिग्गी
(८) श्री रावत राम चौमू
(९) श्री घासीराम यादव
(१०) श्री बी० एन० जोशी
(११) श्री गोपाललाल
(१२) श्री गनपतलाल
(१३) श्री श्रीनिवास शारदा
(१४) श्रीमती सतवन्त कौर
(१५) श्री धन्नालाल हरित
(१६) श्री शिवनाथसिंह
(१७) श्री विद्यासागर
(१८) राजा श्री मानसिंह
(१९) श्री गिरधारीलाल
(२०) श्री बेनाराम
(२१) श्री तनसिंह
(२२) श्री भैरोंसिंह विभाजन सं० १४
(२३) श्री रामनारायण
(२४) श्री मोगजी भाई

वह अपना प्रतिवेदन १० दिसम्बर, १९५८ तक पेश करेगी।

डॉ० बहादुरसिंह : प्रस्तावक श्री दयाकृष्ण हैं, उसका नाम नहीं है।

श्री सभापति : कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री तनसिंह : माननीय सभापति महोदय, जो एग्रीड लिस्ट थी उसमें कुछ रद्दोबदल हो गया है, श्री रघुवीरसिंहजी का नाम रह गया है।

श्री हरिदेव जोशी : सभापति महोदय, नाम के बारे में कोई बात है तो अभी मालूम कराके निवेदन कर दें।

(लगभग दो मिनिट के लिये विराम व इसी बीच अनेक माननीय सदस्यों के सदन के भीतर आवागमन पर)

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order, Sir, the House is conducting its business. If the Hon'ble members want to add or substitute any name, the Hon'ble Member may get up and address.

श्री हरिदेव जोशी : It is being done.

श्री श्रीभानसिंह : I think the House is not conducting any business.

श्री हरिदेव जोशी : It is conducting, सभापति महोदय, मैं श्री रघुवीरसिंहजी का नाम और बढ़ाने के लिए प्रस्ताव करता हूं। सदन की अनुमति हो तो और बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री रघुवीरसिंह जी का नाम इसमें और बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

उक्त सूची में श्री रघुवीरसिंह जी का नाम और बढ़ा दिया गया।

सदन की कार्यवाही दिनांक २४-११-५५ के ११ बजे प्रातःकाल तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही २.२८ म० प०, दिनांक २४ नवम्बर, १९५८ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

———

Page No.78

संक्षिप्त विवरण

(शुक्रवार, २१ नवम्बर, १९५८)

स्कम्भ   स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

सांचौर विकास खण्ड की बैठकें।

देवली में बिजली की व्यवस्था।

जैसलमेर-आगरा सड़क।

छीपा बड़ौद के शरणार्थियों को निवास हेतु जमीन।

सर्किट हाउस, डाकबंगला व रेस्ट हाउस का किराया।

दौसा-रामगढ़-पचवारा मोटर रूट।

डीडवाना में हिन्दुस्तानी मदरसे को ग्रान्ट-इन-एड।

कपास उत्पादन क्षेत्र।

राजस्थान नहर के उद्घाटन पर व्यय।

गवर्नमेन्ट हाई स्कूल, लालसोट में अध्यापक।

कोटपुतली-बहरोड रोड।

करनपुर ब्लॉक के मिल्क टैस्टर क गुम हो जाना।

भाखरा-नांगल योजना पर व्यय।

कोटा-बारां रोड व बारां-शाहबाद रोड की पुलियें।

महाराजा किशनगढ़ मिल्स के बन्द होजाने से बेकार मजदूरों के लिए दूसरे उद्योग।

३३६३ भ्रष्टाचार विरोधी परिषदों की स्थापना।

पशुओं को उन्नति।

दरबार इन्टर कॉलेज, किशनगढ़।

बोंली-जिस्टाना सड़क।

मोतीकटला, हाई स्कूल द्वारा फर्नीचर की खरीद।

मानपुर-सिकराय सड़क।

माइनिंग विभाग की ठेकेदार के जिम्मे बकाया रकम।

बांध मंडावरी में आ गये मकानों व जमीन का मुआवजा।

किशनगढ़ सब-डिविजन में मक्का की फसल को क्षति।

ग्राम कालानाड़ा में डकैती।

बारां में बुनकरों की सहकारी समितियां।

पुरातत्त्व दृष्टि से सुरक्षित राष्ट्रीय संपत्ति।

भरतपुर जिले में बाढ़।

टौंक बस सर्विस।

बालकों द्वारा जिलों का भौगोलिक अध्ययन।

तिलवाड़ा चैत्री मेला।

मल्टी पर्पज़ हायर सेकेन्ड्री स्कूल,

Page No.79

बारां में छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति।

भरतपुर शहर की गिर्द की सड़क की मरम्मत।

डीग से जनूथर तक मोटर बस की व्यवस्था।

हिन्दी साहित्य समिति, भरतपुर को सरकारी सहायता।

राजस्थान मोटर गैरेज़ के ड्राईवरों को अलाउन्स।

बालोतरा में शिवबाड़ी की जमीन के किराये की वसूली।

झुंझुनूं में दरी, कार्पेट व निवार का कारखाना।

अतारांकित प्रश्नोत्तर ३४५०

प्रथम एवं द्वितीय योजना के अन्तर्गत जिलेवार व्यय।

राजस्थान में अम्बर चर्खा परिश्रमालय।

सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं को सहायता।

पशु चिकित्सालय।

बस चलाने के पर्मिट–जयपुर-अजमेर–कोटा रूट।

भरतपुर जिले में ईंट के भट्टे।

सांचौर पशु मेले में पानी का प्रबन्ध।

जिला जालौर में मेड़-बन्दी।

प्रथम एवं द्वितीय योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण एवं विस्तार।

जिला भरतपुर में बस चलाने के पर्मिट।

ट्रैक्टर खरीदने हेतु तकाबी।

ट्रैक्टर, बैल इत्यादि खरीदने के लिए ऋण।

प्रथम योजना काल में वृक्षारोपण।

सब-इन्सपेक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए इन्टव्यु।

बिजली घरों में इन्जन्स व टर्बाइन्स।

राजस्थान नहर योजना में जमीन का वितरण।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान में भाग लेना ३४६८

श्री अध्यक्ष ने उपरोक्त विषयक निर्णय अगले सप्ताह तक स्थगित किया।

दैनिक 'नवयुग' में प्रकाशित समाचार सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रश्न ३४६६

श्री श्रीमानसिंह द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया गया :

"That this House do now consider the breach of privilege committed by the Editor of 'Navyug' daily

Hindi of Jaipur, in its article of the 10th April, 1958, by commenting on the motion of inquiry into the conduct of Shri Tikaram Paliwal, then Hon'ble member of this House, then pending for decision before the Hon'ble Speaker."

नाथद्वारा के महन्त से जेवरात इत्यादि पुलिस द्वारा कब्जे में लेने विषयक स्थगन प्रस्ताव पर गृह मंत्री का वक्तव्य ३४७५

श्री रामकिशोर व्यास, गृह मन्त्री ने नाथद्वारा के महन्त श्री के पास से पुलिस द्वारा पकड़े गये जेवरात आदि से संबन्धित एक वक्तव्य दिया ।

विधायी कार्य

१. राजस्थान भू-धारण (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १९५८ ३४७७

(अग्रेतर खण्डश: विचार-विमर्श एवं पारित)

उपरोक्त विधेयक पर आज भी खण्डश: विचार जारी रहा ।

खण्ड १० संशोधित रूप में तथा खण्ड ११, १२ व १ आदि बिना संशोधन के स्वीकार किये गये । तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

२. राजस्थान भू-धारण (पांचवाँ संशोधन) विधेयक, १९५८ ३५०३

(प्रवर समिति को)

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, के इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय श्री दयाकृष्ण विजय ने यह संशोधन प्रस्तुत किया कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय । श्री दयाकृष्ण विजय का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द इस आदेश के साथ किया गया कि समिति अपना प्रतिवेदन १० दिसम्बर, १९५८ तक प्रस्तुत करे । प्रवर समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :

१. श्री दामोदरलाल व्यास, प्रभारी मंत्री
२. श्री सोहनलाल भटनागर
३. श्री तेजाराम गहलोत
४. श्री भीमसेन
५. श्री मूलचन्द डागा
६. श्री पुरुषोत्तमलाल
७. श्री नारायणसिंह (डिग्गी)
८. श्री रावतराम (चौमू)
९. श्री घासीराम यादव
१०. श्री बी० एन० जोशी
११. श्री गणपतिलाल वर्मा
१२. श्री गोपाललाल
१३. श्री श्रीनिवास शारदा
१४. श्रीमती सतवन्तकौर
१५. श्री धन्नालाल हरित
१६. श्री शिवनाथसिंह

Page No.81

स्कम्भ

१७. श्री विद्यासागर

१८. राजा श्री मानसिंह

१९. श्री गिरधारीलाल

२०. श्री बेनाराम

२१. श्री तनसिंह

२२. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर)

२३. श्री रामनारायण

२४. श्री भोगजी भाई

२५. श्री रघुवीरसिंह

स्कम्भ

सोमवार, दिनांक २४ नवम्बर, १९५८ की कार्य-सूची

(१) राजस्थान बिक्री कर विधेयक, १९५८ (पारित)

(२) राजस्थान जनरल क्लॉजेज़ (संशोधन) विधेयक, १९५८ (पारित)

(३) मोटर विहिकल्स (बम्बई संशोधन) निरसन (संशोधन) विधेयक, १९५८ (पारित)

(४) राजस्थान वाद मूल्यांकन विधेयक, १९५८ (पारित) ।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६७६ का उत्तर देखिये)

विकास समिति की बैठकों में जिला विकास अधिकारी की उपस्थिति की सूची।

क्रमांक १	विकास समिति की बैठक की तारीख २	क्या जिला विकास अधिकारी उपस्थित हुए ३
१.	२३–२–५८	जी हां।
२.	१६–३–५८	जी नहीं।
३.	१६–४–५८	,, नहीं।
४.	१६–५–५८	,, नहीं।
५.	१२–७–५८	,, नहीं।
६.	२३–८–५८	,, नहीं।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६८० का उत्तर देखिये)

राजस्थान में निर्माण विभाग, भवन व पथ के अधीनस्थ डाक बंगलों व रेस्ट हाउसों की सूची

जयपुर सर्किल, जयपुर:

१. चाकसू २. फुलेरा ३. सांभर ४. दूदू ५. सीकर ६. भरतपुर ७. डीग ८. नगर ९. कामा १०. बैर ११. धौलपुर १२. दौसा १३. मंडावर १४. करोली १५. गंगानगर १६. हिन्डौन १७. महुआ १८. शाहजहांपुर १९. पावटा २०. बैराठ २१. शाहपुरा २२. नीम का थाना २३. झुंझुनूं २४. अलवर २५. जमवा रामगढ़।

जोधपुर सर्किल जोधपुर :

१. जैसलमेर २. फलौदी ३. शैरगढ ४. लाठी ५. पोकरन ६. बालोतरा ७. सिन्दरी ८. गढरा ९. चितलवाना १० बारमेर ११. तिलवाडा १२. सिवाना १४. पाली १५. बर १६. सोजत १७, जोडन १८. सोजत रोड १९. मारवाड जंकशन २० ढोला २१ सांडेराव २२. बाली २३. देसूरी २४. जालौर २५. भीनमाल २६. सांचौर २७. सिरोही-रोड शिवगंज २८. अनादरा २९. मंडावर ३०. सनवारा ३१. भानपुर कोठी आबूरोड ३१. मीलकोठी आबू-रोड ३३. ग्रेन्जकोठी माउन्टआबू ३४. मिडस्ट कोठी माउन्ट आबू ३५. जोधपुर वकालत हाउस माउन्ट आबू ३६. किशनगढ़ वकालत हाउस माउन्ट आबू ३७. देलवाड़ा बंगला ३८, आलिया हाउस आलिया ३९. बीकानेर ४०. कोलायत ४१. डेह ४२ रतनगढ़ ४३. चुरू ४४, सरदारशहर ४५. राजगढ ४६. तारानगर ४७. सुजानगढ ४८. दडीबा ४९. भादरा ५०. नोहर. ५१. जोधपुर ५२. नागौर ५३. बिलाडा ५४. डीडबाना ५५. मेड़ता सिटी ५६. परबतसर ५७. मकराना ५८. नावां।

कोटा सर्किल कोटा :

१. सवाई माधोपुर २. टोंक ३. अलीगढ़ ४- कोटा जंकशन ५, झालावाड ६. बारां ७. छबड़ा ८, सुलतानपुर ९ दरां १०- मोडक ११. अटरू १२, गंगधर १३. शाहबाद १४, छत्रपुर १५. भंवानी मंडी १६. चोमहलां १७ डग १८. अकलेरा १९. मनोहरपुर थाना २०. रायपुर २१. ब्यावर २२. बरल २३. नसीराबाद २४. गोयला २५. देवली २६. मंगलिया-वास २७. मदनगंज किशनगढ़।

Page No.84

उदयपुर सर्किल उदयपुर :

१, उदयपुर २. मेनार राजसमन्द ४, नाथद्वारा ५. केलवाड़ा ६. कोटड़ा ७ पानखा ८ सोम ६ सलूम्बर १०. जयसमन्द ११. भीम १२. छापली १३ जैसा खेड़ा १४. परसाद १५. खेरवाड़ा १६. ब्रारापाल १७, डूंगरपुर १८. सांगोड़ा १६. आसपुर २०. भीलवाड़ा २१. शाहपुरा २२. चित्तौड़गढ़ २३. प्रतापगढ़ २४. बांसवाड़ा २५ गंगापुर २६. निम्बाहेडा २७, भीचौंर २८. आमलहेरा ।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६८४ का उत्तर देखिये)

	छात्र संख्या	अध्यापक
१९५३–५४	५५	श्री समाउद्दीन श्री सुरेश कुमार
१९५४–५५	७५	श्री समाउद्दीन श्री सुरेश कुमार श्री मो० रसीद
१९५५–५६	१३०	श्री समाउद्दीन श्री सुरेश कुमार श्री लल्लानूर श्री तुलसीराम
१९५६–५७		श्री समाउद्दीन श्री सुरेश कुमार श्री अल्लानूर श्री तुलसीराम श्री जमाउद्दीन
१९५७–५८	१४१	श्री ओमप्रकाश श्री बालचन्द श्री इब्राहिम श्री जकाउद्दीन

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६८५ का उत्तर देखिये)

तालिका

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	कपास का उत्पादन (गांठों में) १९५३-५४	१९५४-५५	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८
१.	उदयपुर	८४,१४५	५४,७८२	५३,६४३	६६,५२३	९८,१६१
२.	गंगानगर	५२,२३५	२८,३८७	६७,१९९	७५,६३९	८४,६५०
३.	टोंक, जयपुर	७,७०३	९,४९९	५,९८९	५,७०४	४,२०६
४.	झालावाड़	२९,६५९	२१,०९०	१४,७८५	१४,६८१	२२,४३३
५.	बांसवाड़ा—डूंगरपुर	३,३६०	४,९८९	७,१९१	४,७३६	५,८२४
	कुलयोग	१,७७,१०२	१,१८,७४७	१,४८,८०७	१,६७,२८३	२,१५,२७४

————

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६८ का उत्तर देखिये)

सन् ५६-५७ की खरीद का विवरण

क्रम सं०	विवरण	नग	दर	कुल रुपया	नाम दूकानदार जिससे खरीदा गया
१.	लोह की फोल्डिंग कुर्सियां	८०	६-१-०	५६५-०-०	बापू मेटल इन्डस्ट्रीज, जयपुर
२.	पट्टे लकड़ी के	१०३	४-०-०	४१२-०-०	जनरल सप्लाई स्टोर्स, जयपुर

प्रश्न १ के 'ख' भाग का उत्तर
सन् ५७-५८ की खरीद का विवरण

१.	बैंत की हत्थेदार कुर्सियां।	५	११-०-०	५५-०-०	राज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, जयपुर
२.	लकड़ी बिना हत्थेदार कुर्सियां	१०	६-८० न० पै०	६८-०-०	स्टूडेंट ब्रॉदर्स एन्ड कम्पनी, भरतपुर
३.	विज्ञान कक्षा के लिये स्टूल	५०	८-००	४००-०-०	न्यू इंडिया फर्नीचर वर्क्स, जयपुर
४.	लेक्चरार स्टेन्ड	२	२६-०-०	५२-०-०	जनरल फर्नीचर वर्क्स, जयपुर
५.	अलमारी	८	११६-७५न०पै०	९३४-०-०	,, ,, ,,
६.	कुर्सी एवं मेज का सेट	१०	४५-००	४५०-००	,, ,, ,,
७,	बैंत की बिना हत्थेदार कुर्सियां।	६	१४-००	८४-००	,, ,, ,,
८.	मेज विज्ञान कक्षा के लिये :-				
	फिजिक्स······	१	६७५-००	६७५-००	अरुना ब्रॉदर्स, जयपुर
	केमेस्ट्री······	१	५६५-००	५६५-००	,, ,, ,,

अलमारी

१. जनरल फर्नीचर वर्क्स ,जयपुर	११६–६५ न० पै०	न्यूनतम
२. सेठी फर्नीचर वर्क्स, जयपुर	१२५–०–०	
३. पंजाब न्यू फर्नीचर वर्क्स, जयपुर	१३५–०–०	

कुर्सी एवं मेज का सेट

१. जनरल फर्नीचर वर्क्स, जयपुर	४५–०–० प्रति सेट	न्यूनतम
२. सेठी भंडार, जयपुर	५०–६–० ,,	
३. पंजाब न्यू फर्नीचर वर्क्स, जयपुर	५०–०–० ,,	
४. सेठी फर्नीचर वर्क्स, जयपुर	४८–१२–० ,,	

बिना हत्थे की बेंत की कुर्सियां

१. जनरल फर्नीचर वर्क्स, जयपुर	१४–०–०	न्यूनतम
२. पंजाब न्यू फर्नीचर वर्क्स, जयपुर	१६–०–०	
३. सेठी फर्नीचर वर्क्स, जयपुर	१५–०–०	

विज्ञान की कक्षा की मेजें

	फिजिक्स	केमिस्ट्री	
१. अरूना ब्रादर्स ,जयपुर	६७५–०–०	५६५–०–०	न्यूनतम
२. पंजाब वर्क्स, जयपुर	७७५–०–०	६६०–०–०	
३. जनरल फर्नीचर वर्क्स, जयपुर	६८०–०–०	५७०–०–०	
४. सेठी फर्नीचर वर्क्स, जयपुर	८७०–०–०	६८०–०–०	

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७०७ का उत्तर देखिये)

LIST OF MONUMENTS OF NATIONAL IMPORTANCE.

DISTRICT ALWAR

1.	Gumbad Khan-i-Khana	Alwar
2.	Shiva Temple	Alwar

DISTRICT BANSWARA

3.	Neel Kantha Mahadeva's Temple	Banswara
4.	Shiva Temple and Ruins	Arthuna
5.	Sun Temple	Tal wara

DISTRICT BHARATPUR

6.	Akbar's Chhatri	Bayana
7.	Ancient Fort with its Monuments	-do-
8.	Brahmabad Idgah.	-do-
9.	Islam Shah's Gate	-do-
10.	Jahangir's Gateway	-do-
11.	Jhajri	-do-
12.	Lodhi's Minar	-do-
13.	Sarit Said-Ul-Lah	-do-
14.	Usha Mandir	-do-
15.	Chaurasi Khanba temple	Kama
16.	Colossal Image of Yaksha	Noh
17.	Deeg Bhawans (Palaces)	Deeg
18-	Looted Gun	-do-
19.	Marble Jhoola	-do-
20.	Delhi Gate	Bharatpur fort (outside)
21.	Fateh Burj near Anah Gate	Bharatpur
22.	Jawahar Burj and Ashtadhatu Gateway ...	Bharatpur fort (outside)
23.	Lal Mahal	Rupbas

DISTRICT BIKANER

24.	Bhandasar Jain Temple	Bikaner
25.	Fort Bhatner	Hanumangarh
26.	Jain Temple, Sarswati Goddess	Morkhana village
27.	Pallu Jain Sculptures	Pallu (Bikaner)

DISTRICT BUNDI

28.	Wall Paintings of Hadoti School in Palace ...	Bundi

DISTRICT DHOLPUR

29.	Jogni Jogna Temple	Dholpur
30.	Sher Garh Fort	-do-

DISTRICT DUNGARPUR

31.	Jain temple inscription	Baroda
32.	Somnath temple	Dev Somnath

DISTRICT JAIPUR

33.	Banjaron ki Chhatri containing two pillars similar to the railing pillars of Bharhur stupa	Lalsote
34.	Baori	Abaneri
35.	Harsat Mata-Ka-Mandir	-do-
36.	Baories Old	Todaraisingh
37.	Kala Pahar temple	-do-
38.	Kalyanraiji's temple	-do-
39.	Laxmi Narainji's temple	-do-
40.	Pipaji's temple (near dispensary)	-do-
41.	Bisal Deoji's temple	Bisalpur
42.	Fresco painting in the Amber Palaces (personal property of the Maharaja)	Amber
43.	Harshnath temple	Harshnath-Sikar
44.	Jama Masjid	Amber
45.	Laxmi Narainji's temple	-do-
46.	Shri Jagat Siromaniji temple	-do-
47.	Sun temple	-do-

48.	Hathi Batha	Kakore
49.	Inscription in Fort	Nagar
50.	Mand Kila tal inscription	-do-
51.	Yupa pillars in Bichpuria temple	-do-
52.	Inscriptions	Panwar
53.	Jain temple	Alanpur, Sawai Madhopur
54.	Persian inscription in a Baori	-do-
55.	Punderikjiki Haveli-Paintings in a room Bhrahmpuri	Jaipur.
56.	Ranthambhore fort.	Ranthambhore
57.	Temple containing Fresco paintings	Gultaji, Jaipur
58.	Yupa pillars recovered from mounds	Barnala

DISTRICT JAISALMER

59.	Fort including ancient temple	Jaisalmer

DISTRICT JHALAWAR

60.	Buddhist Caves	Hathiagor
61.	Buddhist Caves, Pillars, Idols	Kelvi (Dag)
62.	Buddhist Caves and Pillars	Binnayaga (Dag)
63.	Caves of Naranjani, etc.	-do-
64.	Old temple near the Chandrabhaga	Jhalrapatan

DISTRICT JODHPUR

65.	Fort	Mandore

DISTRICT KARAULI

66.	Wall paintings in the palaces of Maharaja Gopal Lal	Karauli

DISTRICT KOTAH

67.	Old temples, statues and inscriptions	Shergarh
68.	Siva temple and two unpublished Gupta inscriptions	Charchoma
69.	Temple (12th Century)	Baran

70.	Temple fort wall and statues	Dara or Mukandra
71.	Yupa pillars	Badava
72.	Temple with inscriptions	Kanswa

DISTRICT UDAIPUR

73.	Fort of Chitor as a whole	Chitor
74.	Fort of Kumbhalgarh as a whole	Kumbhalgarh
75.	Maha Kal and two other temples	Bijholi
76.	Rock inscription (12th Century)	Bijholi
77.	Sas Bahu temples	Nagada

DISTRICT ALWAR

1.	Ancient remains	Pandrupol
2.	Ancient site	Bhangadh

DISTRICT BANSWARA

3.	Ancient remains	Vithal Deva

DISTRICT BHARATPUR

4.	Ancient Mound	Malah
5.	-do-	Noh

DISTRICT BIKANER

6.	Ancient Mound	In the neighbourhood of Suratgarh town	Badopal
7.	-do-		Bhadrakali
8.	-do-		Bhanvar Theri
9.	-do-		Dhokal
10.	-do-		Manak
11.	-do-		Peer Sultan
12.	-do-		Munda
13.	-do-		Rang Mahal
14.	Ancient Mounds (3)		Kalibanga
15.	Ancient Mound		Pilibanga
16.	Ancient Mound		Baror (Anupgarh Tehsil)

17.	Ancient Mound (2)	Binjor (Anupgarh Tehsil)
18.	Ancient Mound	Chak 86 -do-
19.	Ancient Mounds (2)	Mathula -do-
20.	Ancient Mound	Tarkhanewala Dear -do-

DISTRICT BUNDI

21.	Ancient Mounds	Nainwa, Lakheri & Keshwarai Patan

DISTRICT JAIPUR

22.	Ancient Mound	Abaneti
23.	-do-	Bundwali-Doongri
24.	-do-	Gariagarh (Mewai)
25.	-do-	Maheshra
26.	-do-	Nagar
27.	-do-	Rainwal
28.	-do-	Sikrai
29.	Devapura Borodia mounds	Jhalai
30.	Excavated Site	Nagar
31.	-do-	Rairh (Newai)
32.	Excavated Sites	Bairat & Sambhar

DISTRICT JAISALMER

33.	Ancient Site	Lodruva Patan

DISTRICT JHALAWAR

34.	Ancient Ruins	Dalsagar. Ganga Dhar
35.	-do-	Dudhalia (Dag)

DISTRICT KOTAH

36.	Ancient ruins & structural remains	Krishna vilas
37.	Ruins of Temples	Alwar or Ganesh Ganj

DISTRICT UDAPIUR

38.	Ancient Ruins	Kalyanpur
39.	-do-	Nagari
40.	-do-	Bodoli

LIST OF ANCIENT MONUMENTS & SIRES DECLARED PROTECTED UNDER SECTION 3 OF THE ANCIENT MONUMENTS PRESERVATION ACT, 1904.

S. No.	Name of Monument Site	Place
	JAIPUR CIRCLE.	
	DISTRICT JAIPUR	
1.	Yajnashala Column on Varadrajjiki-Dungri	Jaipur.
2.	Chhatris on Station Road behind Mr. B. L. Dhama's house	—do—
3.	Astronomical Observatory	—do—
4.	Dilaram Bagh	Amber
5,	City Wall (Amber Town)	—do—
6.	Kund of Panna Mian	—do—
7.	Sarai Panna Mian	—do—
8.	Chhatris of past rulers of Amber-Jaipur	—do—
9.	Amber palaces and fort	—do—
10.	Mandir Ram Keshwarji	—do—
11.	Dargah Ghari Bullah Shah	—do—
12.	Rajawatan palaces	—do—
13.	Buildings of No-Lakha Gardens	—do—
14.	Buildings of Khalsa Gardens	—do—
15.	Mandir Harshnath Bhairon	—do—
16.	Mandir Narsinghji	—do—
17.	Bala Bai-ki-Sal	—do—
18.	Mandir Batak Bhaironji	—do—
19.	Sarai Aidyan	—do—
20.	Durgah of Manna Bibi	—do—
21.	Mahals of Habi Raniji	—do—
22.	Tomb of Momin Salzadi	—do—
23.	Mahal & Gardens of Rai Badaran	—do—
24.	Garden of Kunjgali Badaran	—do—
25.	Gaitore Chhatris, Brahmpuri	Jaipur
26.	Gargah of Bajazed pir	Amber
27.	Fort	Jamwaramgarh

28.	Small Ancient Temple near Mata's temple	Jamwa Ramgarh

DISTRICT DAUSA

29.	Brick Temple infront of School Building	Dausa
30.	Fort	—do—
31.	Bhaumoaji's Palace & Ancient ruins around it	—do—
32.	Banjaron-ki-Chhatri No. 2	Lalsote
33.	Tomb-stone of some European Gentlemen near the Dak Bungalow	—do—
34.	Hans Mahal (Moghul Sarai)	Bugla-Jatwara

DISTRICT SAMBHAR

35.	Rajaji-ka-Mahal	Moazamabad
36.	Rajaji ka-kua	—do—
37.	Marble Cenotaph of Rani Kankavatiji of Maharaja Mansingh I	—do—
38.	Temple of Mahadevji	—do—
39.	Mansagar Ghat	—do—
40.	Tripolia Gate	Naraina
41.	Bhojrajji-ki-Chhatri	—do—
42.	Jame-l-Masjid	—do—
43.	Fort	—do—

DISTRICT TORAWATI-JHUNJHUNU

44.	Brick Temple at the Foot of Bhimji-ki Dungri.	Bairat
45.	Asokan Rock Edict at the foot of Bhimji-ki-Dungri	—do—
46.	Swetambara Jain Temple in the town	—do—
47,	Ancient Mound. near Pilani	Narhad

DISTRICT MALPURA

48.	Hadi Rani-ka-Mahal	Todaraisingh
49.	Sri Kalyanji's Temple	Diggi

DISTRICT GANGAPUR

50.	Ancient Pillared Hall at Jagar	Hindaun
51.	Horse Statue near Banega	Wazirpur

DISTRICT ALWAR

52.	Chhatri of Moosi Maharaniji	Alwar
53.	Fateh Jung Burj near Rly. Station	—do—

JODHPUR CIRCLE

DISTRICT JODHPUR

54.	Jaswant Memorial (Deokund Thara)	Jodhpur
55.	Buildings and Gardens at Sursagar	—do—
56.	Fort	—do—
57.	Heroes Hall	Mandore
58.	Cenotaphs	—do—
59.	Cenotaphs of Ranis at Panchkund	—do—
60.	Sachia Mata Temple	Osian
61.	Surya Temple	—do—
62.	Harihar Temple	—do—
63.	Vishnu Temple	—do—
64.	Shiv Temple	—do—
65.	Pipla Devi Temple	—do—
66.	Vishnu Sheshasai Temple	—do—

DISTRICT NAGAUR

67.	Rao Amarsingh's Chhatri	Nagaur
68.	Mosque at Gindani Tank	—do—
69.	Mosque at Shams Tank	—do—
70.	Dargah of Tarkin	—do—
71.	Appaji-ki-Chhatri	—do—
72.	Fort	—do—
73.	Shiv Temple	Pih Thanwla

DISTRICT BARMER

74.	Temples	Kiradu
75.	Fort	Jalore
76.	Top Khana	—do—
77.	Baradari	Sadri

DISTRICT MERTA

78.	Badshahi Mosque	Merta
79.	Malkot Fortress	—do—

LIST OF PROTECTED MONUMENTS IN RAJASTHAN.

JODHPUR,			Tehsil
1.	Temple.	Arna.	Jodhpur
2.	Mata-ki-sal & Khaka Deval	Ghatiyala	—do—
3.	Khokri Mata Temple.	Tinwari	—do—
4.	Shiva-Parvati Temple	Buchkala.	Bilara
5.	Peplad Mata Temple	Pipar.	—do—
6.	Shiv Temple	Bhundanva.	—do—
7.	Brahmin Goddess & Jaina Temple	Phalodi.	Phalodi
8.	Kaiwas Mata Temple.	Kin Saria	Parbatsar
9.	Hindu Mosque Temple	Didwana	Didwana
10.	Dadhamati Mata Temple	Goth. Manglod	Nagaur
11.	Ranchhod Temple.	Khed	Pachpadra
12.	Ancient Site.	Bhinmal.	Jaswantpura
13.	Shiv & Jaina Temple	Ratanpura	—do— (Sundha Hill)
14.	Sundha Mata Temple	Bhirmal.	—do—
15.	Shiv Statue & Shiv Temple	Ramsin Nadol	Desuri
16.	Jaina Temple.	Narlai	—do—
17.	Shiv Temple	Bithu.	Pali
18.	Goddess Temple.	Bali	Bali
19.	Laxmi Narain Temple (Mahavir Temple)	Nana.	—do—
20.	Nilkanth Temple	Nana.	—do—
21.	Laxmi Narain Temple.	Nana.	—do—
22.	Bharuand Saraswati Temple	Bharund.	—do—
23.	Mahavir Temple.	Sewri.	—do—

24.	Shiv Temple.	Kekinda	Bali
25.	Makal Mata Temple	Bali.	—do—
26.	Somnath Temple (Shiv)	Pali	Pali
27.	Anand Karug Vishnu Temple	Pali	—do—
28.	Varah Temple	Sadri	Desuri
29.	Ranpura Surya Temple	Ranpur	—do—
30.	Ancient Site	Hathundi (Bijapur)	Bali
31.	Shiv Temple	—do—	—do—
32.	Ratas Mahavir	—do—	—do—
33.	Mahavir Temple	Sanderao	—do—
34.	Mahavir Temple & Laxminath Temple	Ghanerao.	Desuri

BIKANER

35.	Dev Kund	Bikaner	Bikaner
36.	Cenotaphs of Rulers	Bikaner	—do—
37.	Eighteen Armed Images.	Nagalchiji	—do—

SIROHI STATE

38.	Vishnu Temple	(Ur) Or	Sirohi
39.	Parsvanath Jain Temple	—do—	—do—
40.	Vithalji's Temple	—do—	—do—
41.	Sedheshwara Temple	Datani	Reodar
42.	Surya & Parsvanath Temple	Nitora	Pinewara
43.	Sambhunath & Parasram Temple	Kojra	—do—
44.	Mahavirji's Temple	Bamanvarji	—do—
45.	Temple ruins & Sculptures	Hathal-Hathaladi	Reoder
46.	Inscriptions .	Dhandapur	—do—
47.	Temple ruins	Udrat	—do—
48.	Temple Ruins	Jolpur	—do—
49.	Jaina Temple	Jeraval	—do—
50.	Shiv Temple	Verman	—do—

UDAIPUR.

51.	Ancient Ruins and Fort	Rani Mallia	Lasadia

52. Ancient Ruins	Javar	Girwa
53. Rishabhadesji's Temple	Dhulev	Kherwara
54. Jaganathji's Temple	Udaipur	Girwa
55. Eklingji's Temple	—do—	Nathdwara
56. Bandh	Kan Karauli Khamnor	Rajasamad
57. Jagniwas Bagh & Buildings	Udaipur	Girwa
58. Ancient Site	Bansi	Lasadia
59. Ancient Site (magri) Apad (near Udaipur City)	Abad-Udaipur	Girwa

DUNGARPUR & BANSWARA

60. Jain Temple	Sagwara
61. Ancient Ruins	Varriat
62. Ancient Buins	Mjhara
63. Jain Temples	Upergaon.
64. Memorial Script	Devla
65. Battle Field	Velpan
66. Autri Jain Temple of Shantinath	Autri
67. Vijyamata-ka-Temple	Madpur
68. Brahma, vishnu & Mahadeva Temple	Baneswara
69. Temple	Boreswara
70. Temple	Gamdi
71. Tank	Punpur
72. Jaina Temple	Aspur.
73. Temple & Fort	Gibya Kot.
74. Bhuwareshwata Temple	Naroli
75. Nil Kantha Temple	Hathod.
76. Sidhnath Mahadeo Temple	Jhakarda
77. Shiva Temple	Devki Gamdi
78. Jaina & Vaishnava Temple	Dungarpur.
79. Nawa Dera Temple	Nawa Dera
80. Old Temple	Surpur

JAHALAWAR.

81.	Temple of Padmanathji.	Jhalrapatan	Jhalrapatan
82.	Temple of Shantenathji	—do—	—do—
83.	Shankhadharee Ancient site.	—do—	—do—
84.	Shiv Temple,	Kalamandi Kalash	—do—
85.	Pepa ji-ka-Bagh Temple	Manpura (Jhalawar)	—do—
86.	Old Naseyaaji Jaina Temple	Jhalrapatan	—do—
87.	Shiv Temple	Pachpahra	Pachpahra
88.	Ancient Site	Kotda Village	—do—
89.	Temples.	rod.	—do—
90.	Temple of Annapurna of Mataji	Misroli	—do—
91.	Kaya Verneswar (Shivaji's Temple)	Kiyasra.	Dag
92.	Sri Nageswar Temple	Unhel Gangadhar	Gangadhar

[AIPUR.

93.	Nahargarh Fort	Jaipur	Jaipur
94.	Hawa Mahal	Jaipur	—do—
95.	Jain Tempie & Baori	Sanganer	—do—
96.	Pillar & Shiv Lingam in Deswalon-ki-Mosque	Chatsu	—do—
97.	Laxshmi Narainji's Temple	Chatsu	—do—
98.	Gurgali Beg-ki Chhatri	Chatsu	—do—
99.	Shiv Dungri Monuments	Chatsu	—do—
100.	Step Well (Baori)	Chatsu	—do—

LIST OF PROTECTED FORTS OF RAJASTHAN.

1. Ancient Fort with its monuments, Bharatpur.
2. Sher Garh Fort, Dholpur.
3. Ranthambhor Fort, Ranthambhor.
4. Mandore Fort (Jodhpur.)
5. Fort of Chittor as a whole, Chittor (Udaipur).

6. Fort of Kumbhalgarh as a whole, Kumbhalgarh (Udaipur).
7. Amber Palace and Fort, Jaipur.
8 Fort Jamwaramgarh. (Jaipur).
9. Fort Dausa (Jaipur).
10. Fort Naraina (Sambhar).
11. Fort Jodhpur.
12. Fort Nagaur.
13. Fort Jalore (Barmer).
14. Malkot Fortress, Merta.
15. Ancient Ruins and Fort Lacadis (Udaipur).
16. Temple and Fort, Cibya Kot (Dungarpur & Banswara).
17. Nahargarh Fort Jaipur.
18. Fort Sawaimadhopur.
19. Sanduki Fort Mohwa Gangapur, Jaipur.
20. Fort Tijara (Alwar).
21. Fort Karauli.
22. Fort Sapotra (Karauli).
23. Fort Mandrol (Karauli).
24 Fort Sapotra (Karauli).
25. Fort Sapotra (Karauli).
26. Fort Arain Kishangarh.
27. Fort Palace Arain Kishangarh.
28. Fort and Chatri Arain Kishangarh.
29. Fort Kishanganj, Kotah.

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७११ का उत्तर देखिये)

पशु मेला तिलवाड़ा, १६५८ में सरकार को आय निम्नलिखित मद पर प्राप्त हुई :

		रु०	न० पै०
१.	रवन्ना	६५,०४८.	५०
२.	दुकानों का किराया	१३,७४८.	००
३.	फेरी वाले	५०२.	००
४.	घासकी दुकानें	१,३००.	२५
५.	बारबादारी	६५३.	००
६.	जुर्माना	६६६.	००
७.	सफेद चिट्ठी	३२६.	७५
८.	कैटल पाऊंड	७३.	००
	कुल	१,१२,३२३.	५० न० पै०

पशु मेला तिलवाडा, १६५८ में जनता के सुविधा हेतु सरकार का निम्नलिखित मद पर खर्च हुआ :

		रु०	न० पै०
१.	रोशनी	१,८७२.	३४
२.	पशु पारितोषिक	१,०६६.	००
३.	सेनिटेशन	१,१४१.	७७
४.	देवस्थान	८१.	५६
५.	फर्राशखाने का सामान	२,१२७.	५८
६.	लाउड स्पीकर	१७५.	००
७,	पैट्रोल और लूबरीकेन्ट	६६७.	२८
८.	स्टेशनरी छपाई और पब्लिसिटी	१,२१६.	६८
६.	मुतफरकात	३,६३७.	७८
१०.	बैंकिंग	२४७.	३५
११.	पानी का इन्तजाम	५००.	००
	कुल	१२,७६६.	१४

———

परिशिष्ट ८

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर देखिये)

ESTIMATED DISTRICT WISE EXPENDITURE ON VARIOUS SCHEMES INCLUDED IN THE FIRST FIVE YEAR PLAN.

S. No.	Name of District.	Name of Schemes (Rs in lakhs).											
		Agr. & Animal H. & V.Sc.	C. D. & N. E. S. & Local Development.	Co-operation.	Irrigation,	Power.	Roads.	Education.	Water Supply (Urban)	Water Supply (Rural)	Medical and Public Health.	Low Income Group Housing.	Total Exp.
1.	2.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Alwar	9.33	18·38	0·68	15·59	4·20	47·03	13·57	13·06	2·42	—	4·22	128·48
2.	Bikaner	6·07	1·48	0·04	—	17·50	5·49	15·38	4·63	8·54	—	6·00	65·[illegible]3
3.	Banswara	4·32	3·19	—	14·24	—	15·47	6·94	0·96	2·10	—	—	47·22
4.	Bharatpur	16·49	13·92	0·74	68·27	4·04	33·34	12·82	5·84	2·30	—	2·68	161·44
5.	Barmer	1·60	4·29	—	0·18	—	7·46	7·79	2·25	3·32	—	—	26·86
6.	Bhilwara	4·47	1·14	0·07	91·92	2·60	25·88	8·85	1·27	2·17	—	3·30	140·67
7.	Bundi	5·79	1·28	—	58·24	—	8·33	3·55	—	2·03	—	—	79·22
8.	Churu	0·30	1·90	—	—	—	11·32	5·51	—	8·46	—	—	27·49
9.	Chittorgarh	3·88	2·03	0·01	31·74	—	21·91	7·02	2·01	2·19	—	0·50	71·29
10.	Ganganagar	26·32	17·62	0·17	2268·65	5·74	29·32	6·53	6·12	5·94	—	1·38	2367·69
11.	Jhunjhunu	1·72	2·96	—	—	—	6·36	4·16	—	5·51	—	—	20·71
12.	Jodhpur	7·55	3·60	0·19	2·77	13·70	35·07	48·70	2·14	6·96	—	4·47	425·15
13.	Jalore	1·68	2·14	0·01	0·14	—	5·98	6·49	0·38	3·52	—	—	20·34
14.	Jaisalmer	—	3·47	—	—	—	7·66	—	1·26	2·42	—	—	14·81
15.	Jhalawar	6·15	1·25	0·01	7·65	2·12	8·74	5·04	0·43	2·00	—	—	33·44
16.	Jaipur	24·22	24·86	4·05	40·39	26·54	48·48	2·72	13·89	3·77	34·48	21·22	255·00
17.	Kotah	8·26	31·61	0·86	204·90	1·53	28·68	12·93	3·64	3·96	—	4·00	300·37
18.	Nagaur	11·03	13·74	0·01	1·60	—	18·22	11·66	4·85	7·17	—	0·25	68·65

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19.	Pali.	1·62	27·15	—	128·93	—	19·81	7·77	2·51	1·94	—	—	189·72
20.	Sawai Madhopur.	5·86	28·99	0·02	51·95	1·41	20·20	7·23	0·76	1·75	—	—	118·17
21.	Sikar	1·79	3·53	—	—	1·00	12·37	5·91	—	4·91	—	0·15	29·66
22.	Sirohi	1·77	2·28	—	15·95	—	8·31	3·68	1·28	1·40	—	—	34·67
23.	Tonk	2·76	2·99	—	24·03	3·36	5·90	5·65	1·06	2·36	—	—	52·11
24.	Udaipur	15·77	35·04	0·22	79·64	—	50·60	23·23	14·88	3·77	*5·17	13·23	24·55
25.	Dungarpur	3·92	21·49	—	13·58	0·99	13·31	4·22	—	1·31	—	—	59·22
	Total:—	172·71	270·33	7·08	3120·36	94·73	499·60	237·41	84·27	92·22	39·60	61·40	4679·11

*This is inclusive of expenditure on N. M. C. P. in district Jalore also.

Note:—The expenditure figures are based on broad estimates and are provisional.

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर देखिये)

राजस्थान राज्य में प्रमुख अम्बर परिश्रमालयों की सूची

संस्था का नाम जिनके द्वारा परिश्रमालय चलाये जाते हैं	चल रहे अम्बर परिश्रमालयों के स्थान
१. राजस्थान खादी संघ, खादी बाग, चौमूं-जयपुर	१. जयपुर २. दौसा ३. चाकसू ४. रींगस ५. सोजत नगर ६. देवगढ़ मदारिया ७. अलवर ८. खैरथल ९. बहरोड १०. बानसूर ११. मौजपुर १२. निवाई १३. राजगढ़ १४ टौंक।
२. राजस्थान खादी विकास मंडल, गोविन्दगढ़	१. श्री माधोपुरा २. परवतसर सिटी ३. दायरा ४. बसावा ५. डुन्डलोद ६. गजेशपुरा ७. लादिडिया केड़ ८. बेसवा (झुंझुनू)।
३. केन्द्रीय सर्वोदय संघ, जयपुर	१. शाहपुरा २. बैराठ ३. विलवाडी ४. वागावास ५. मेड ६. खिलचीपुर ७. भगवान गढ़ ८. जयपुर ९. आमेर।
४. नव निर्माण संघ, उदयपुर	१. छोटी सादड़ी २. घटियावाद ३. घनेश घाटी ४. रेलमगरा ५. वल्लभनगर ६. बंदेला ७. क्षेत्रीय कारागार गृह, उदयपुर।
५. उद्योग मंदिर, जयपुर	१. जयपुर २. जीसो ३. प्रागपुरा ४. किशनगंज ५. कस्बा थाना ६. नाहरगढ़ ७. पामपुरा ८. रेनवाल ९. भावता १०. निवाई।

६ ग्राम सेवा मंडल. करोली	१. गंज की गली, अलवर २. गंगापुर ३- करोली ।
७. खारी तट सर्वोदय संघ, शाहपुरा, भीलवाडा	१. शाहपुरा २. बनेडा ३. किशनगढ़ ४. सरवाड ५. दतोव ६. गैंगा का खैंडा ७. पुर ८. कोटडी ९. खजुरी १०. जहाजपुरा ११. आसींद १२. बदनर १३. रायला १४. मांडल १५. गंगापुर १६. गुलाबपुरा १७. बडल्यास १८. मंगरोप १९. काछोला ।
८. समग्र ग्राम सेवा समिति, मंडौर, जोधपुर	१. ओसियां २. रामोहल्ला ३. पंजेला ४. मियाली ५. नेवारा ६. विकमकोर ।
९. खादी प्रतिष्ठान, बीकानेर	१. चूरू २. बिसाऊ ३. महेदसर ४. रामगढ़ ५. फतेहपुर ६. लक्ष्मणगढ़ ७. सीकर ८. देवीपुरा ।
१०. मारवाड खादी संघ, जोधपुर	१. पाली २. बाडमेर ३. रणसीगांव ४. समारिया ५. सांवनिया
११. ग्रामोद्योग समिति, मुकुन्दगढ़ (झुंझुनूं)	१. मुकुन्दगढ़ २. पनाना ३. बैसवा ४. चूडी अजीतगढ ५. मंडावा
१२. ग्राम सेवा मंडल, किशोरपुरा (झुंझुनूं)	१. सुल्ताना २. चनाना ३. चिड़ावा ४.जडयां बडागांव
१३. मरुथर विकास मंडल, खीचन, जोधपुर	१. फलौदी २. लैडियां ३. खींचन ४ धान मंडी ५. लाडनूं ६. बारा गुवाड ७. खींचन ८. रकालसिंह का डेरा ९. बस्तावाली १०. हरिजन बस्ती देश नोख ।
१४. अजमेर राज्य सहकारी समिति, अजमेर	१. बिजयनगर २. अजमेर ३. ब्यावर ४. जुनियां ५. बघेरा ।
१५. अजमेर मेरवाडा ग्राम सेवा मंडल, अजमेर	१. अजमेर २, गोविन्दगढ़ ३. पिसांगन ४. गंगवाना

१६. खैराड ग्रामोद्योग संघ, सावर	१. सावर २. पिपलाज ३. महंसकला ४. पारा ५. देवली ६. पनवाडा ७. टिकड ८. सहारा ६. दूधरी १० कालेडा कृष्ण गोपाल ।
१७. ग्राम विकास सेवा मंडल, ब्राह्मणों की सरेरी (भीलवाडा)	१. सरेरी २. मोह का निम्बाहेडां ३. पालडी ४. लादोडा ।
१८. सेवा सदन, भीलवाड़ा	१. भीलवाडा २. हमीरगढ़ ३. सांगानेर ४. भगवानपुरा ।
१६. बांसवाडा जिला सेवा संघ, परतापपुरा	१. शेरगढ़ २. परतापुर ३. गढी ।
२०. राजस्थान सेवा संघ, डूंगरपुर	१. डूंगरपुर २. गोश्रा कलारीया ।
२१. हिन्डौन खादी उत्पादक लि०, हिन्डौन	१. हिन्डौन २. महुआ ३. टोडाभीम ४. श्री महावीर जी
२२. सर्वोदय केन्द्र, खीमेल	१. रानी २. खीमेल ।
२३. ग्रामोद्योग समिति, बांसवाड़ा	१. बांसवांडां।
२४. खादी मंदिर, बीकानेर	१. लाडनूं २. डीडवाना ३. रतनगढ़ ४. पांचू ५. गंगानगर ६. बीकानेर ।
२५. हाडौती खादी ग्रामोद्योग संघ, बारां (कोटा)	१. बारा २. कोटा ।

————

परिशिष्ट १०

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर देखिये)

JAIPUR DISTRICT.

1.	Jaipur	H
2.	Dausa	H
3.	Chaksu	H
4.	Jamuva Ramgarh	D
5.	Bairath	D
6.	Bandikui	D
7.	Sikarai	D
8.	Phagi	D
9.	Bassi	D
10.	Lalsot	D
11.	Phulera	D
12,	Naraina	D
13.	Jaipur North	D
14.	Dudu	D
15.	Amarsar	D
16.	Kotputli	D
17.	Baswa	D

SAWAI MADHOPUR DISTT.

1.	Sawai Madhopur	H
2-	Karauli	H
3.	Hindaun	H
4.	Gangapur	H
5.	Khandar	D
6.	Mahuwa	D
7.	Malarna	D
8.	Bananwas	D
9.	Nadoti	D
10.	Toda Bhim	D

11.	Surwal	D
12.	Bonli	D
13.	Sapotra	D

BHARATPUR DISTRICT.

1.	Bharatpur	H
2.	Dholpur	H
3.	Deeg	H
4.	Bayana	H
5.	Nagar	D
6.	Adbai	D
7.	Bari	D
8.	Kumbher	D
9.	Pahari	D
10.	Uchain	D
11.	Kaman	D

SIKAR DISTRICT,

1.	Sikar	H
2.	Nim ka thana	H
3.	Reengus	D
4.	Srimadhopur	D
5.	Lachmangarh	D
6.	Fatehpur	D
7.	Danta Ramgarh	D

JHUNJHUNU DISTRICT.

1.	Jhunjhunu	H
2.	Khotri	H
3.	Chirawa	D
4.	Gorir	D
5.	Nawalgarh	D
6.	Udaipurwati	D

DUNGARPUR DISTRICT.

1.	Dungarpur	H
2.	Sagwara	D
3.	Aspur	D

KOTAH DISTRICT.

1.	Kotah	H
2.	Baran	H
3.	Ramganj Mandi	D
4.	Kishanganj	D
5.	Similia	D
6.	Mandana	D
7.	Sangod	D
8.	Siswali	D
9.	Chhipabared	D
10.	Magrol	D
11.	Indergarh	D
12.	Shahbad	D
13.	Atru	D
14.	Irawa	D
15.	Anta	D
16.	Barod	D

JHALAWAR DISTRICT

1.	Jhalawar	H
2.	Khanpur	H
3.	Eklera	D
4.	Bhawani Mandi	D
5.	Dug	D
6.	Bakani	D
7.	Sunel thapa	D
8.	Manoharthana	D
9.	Gangdhar	D

BUNDI DISTRICT.

1.	Bundi	H
2.	Nainwa	H
3.	Talera	D
4.	Tindoli	D
5.	Patan	D

JODHPUR DISTRICT.

1.	Jodhpur	H
2.	Rilara	H
3.	Phalodi	D
4.	Shergarh	D
5.	Khejerla	D
6.	Bap	D
7.	Osian	D

JAISALMER DISTRICT.

1.	Jaisalmer	H
2.	Pokaran	D
3.	Ramgarh	D

JALORE DISTRICT.

1.	Jalore	H
2.	Sanchore	D
3.	Bhinmal	H
4.	Jaswantpura	D
5.	Ahore	D

BARMER DISTRICT.

1.	Barmer	H
2.	Balotra	D
3.	Shiv	D
4.	Siwana	D
5.	Chohtan	D

NAGAUR DISTRICT.

1.	Nagaur	H
2.	Merta	H
3.	Makrana	H
4.	Didwana	H
5.	Parbatsar	H
6.	Ladnuh	H
7.	Nawa	D
8.	Kuchaman city	D
9.	Jayal	D
10.	Degana	D
11.	Mundwa	D
12.	Kuchera	D

PALI DISTRICT

1.	Pali	H
2.	Sojat	H
3.	Bali	H
4.	Jaitaman	H
5.	Desure	D
6.	Sumerpur	D
7.	Sadri	D
8.	Marwar Jn.	D

SIROHI DISTRICT.

1.	Sirohi	H
2	Pindwara	D
3.	Mt. Abu	H
4.	Reodor	D

BIKANER DISTRICT.

1.	Bikaner	H
2,	Nokha	D
3.	Lunkaransar	D

4.	Kolayat	D

CHURU DISTRICT.

1.	Churu	H
2.	Ratangarh	H
3.	Sujangarh	D
4.	Dungargarh	D
5.	Sardarshar	D
6.	Taranagar	D
7.	Sadulpur	D

GANGANAGER DISTRICT.

1.	Bhadra	H
2.	Nohar	H
3.	Anopgarh	D
4.	Sangaria	D
5.	Suratgarh	D
6.	Ganganagar	H
7.	Hanumangarh	H
8.	Raisingnagar	H
9.	Padampur	D
10.	Vijaynagar	D
11.	Karanpur	D

AJMER DISTRICT.

1.	Ajmer	H
2.	Beawer	H
3.	Pushkar	H
4.	Nasirabad	H
5.	Kishangarh	H
6.	Kekri	H
7.	Pisangan	H
8.	Kharwa	D
9.	Masuda	D
10.	Jawaja	D

11.	Bhinai	D
12.	Safwar	D
13.	Bijainagar	D
14.	Srinagar	D
15.	Arain	D
16.	Roopangarh	D

ALWAR DISTRICT.

1.	Alwar	H
2.	Rajgarh	H
3.	Tijara	H
4.	Behror	D
5.	Bansur	D
6.	Laxmangarh	D
7.	Thanagaxi	D
8.	Malakhera	D
9.	Ramgarh	D
10.	Govindgarh	D
11-	Khataumber	D
12.	Mandhan	D
13.	Kishangarh	D
14.	Harsoli	D
15.	Kotkasim	D

UDAIPUR DISTRICT.

1.	Udaipur	H
2.	Rajsamand	D
3.	Salumber	D
4.	Kherwara	D
5.	Bhim	D
6.	Kanore	D
7.	Khumbhalgarh	D
8.	Iasadia	D
9.	Nathdwara	D

10.	Jadol	D
11.	Deogarh	D
12.	Amer	D
13.	Bhopalsagar	D

CHITTORGARH DISTRICT.

1.	Chittorgarh	H
2.	Pratapgarh	H
3.	Nibahera	H
4.	Kapasin	D
5.	Chhotisadri	D
6.	Begun	D
7.	Acchnera	D
8.	Kanera	D
9.	Nhensrolgarh	D
10.	Badi Sadri	D

BANSWARA DISTRICT.

1.	Banswara	H
2.	Kushalgarh	D
3.	Garhi	D
4.	Ghatol	D
5.	Bgagidora	D

BHILWARA DISTRICT.

1.	Bhilwara	H
2.	Shahpura	H
3.	Asind	D
4.	Gulabpura	D
5.	Jabazpur	D
6.	Gangapur	D
7.	Mandalgarh	D
8.	Karera	D
9.	Raipur	D
10.	Banera	D

TONK DISTRICT.

1.	Tonk	H
2.	Diggi	H
3.	Malpura	H
4.	Todaraising	D
5.	Niwai	D
6.	Dooni	D
7.	Uniara	D
8.	Aligarh	D

Key Village Schemes.

1. Alwar
2. Bassi
3. Nagaur
4. Kotah
5. Beawer
6. Kekri
7. Masuda
8. Jodhpur
9. Sanchore
10. Mahajan
11. Bikaner

STATE A. I. CENTRE.

1. Jaipur

NORMALISED BLOCKS.

1. Didwana
2. Sumerpur
3. Rajasamand
4. Baran
5. Dungarpur
6. Kishanagarh bas
7. Raisinghnagar

8. Deeg (Nagar)
9. Pisangan
10. Hindon
11. Kushalgarh
12. Phulera

LIST SHOWING THE PLACES OF MORILES VETERINARY DISPENSARIES IN RAJASTHAN.

1. Pali.
2. Dungarpur.
3. Jaisalmer,
4. Bharatpur.
5. Jalore.
6. Udaipur.
7. Ajmer.
8. Bikaner.
9. Sikar.

LIST SHOWING THE PLACES OF MASS IMMUNISATION UNITS IN RAJASTHAN.

1. Zhalawar
2. Banswara.
3. Bhilwara
4. Nagaur
5. Kotah
6. Sirohi
7. Ajmer.

LIST OF AIDED GAUSHALS 1957 & 1958

S. No.	Name of Gaushala.	Place.
1.	Shri Krishan Gaushala	Baran.
2.	Shri Ghandi Vidhiya Mandir Gaushala.	Sardarshar.
3.	Luxman Garh Gaushala	Luxman Garh.
4.	Gaushala Mertacity	Merta City.
5.	Gaushala	Deedwana.
6.	Sita Gaushala	Ajmer.
7.	Krishan Gaushala	Chirawa.
8.	Sarvjanik Gaushala	Alwar.

LIST OF AIDED GAUSHALAS 1956 & 1957.

1.	Shri Gurukik Gaushala	Chittorgarh.
2.	Shri Puskar Gan Audi Gaushala	Ajmer.
3.	Steejarti Gaushala	Beawar.
4.	Sumer Gaushala	Barmer.
5.	Durga Pura Gaushala	Durgapura.
6.	Ganga Nagar Gaushala	Ganga Nagar.

परिशिष्ट ११

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर देखिये)

'क'

LIST OF OPERATORS WHO WERE GRANTED TEMPORARY PERMITS ON JAIPUR—AJMER ROUTE IN 1957.

1. Shri Deeda Ram Murlidhar.
2. Shri Malik Ram.
3. Shri Kanhiya lal Gajanand.
4. Chandumal & Bros.
5. Shri Prem Chand & Company.
6. Shri Hari Ram Govind Narain.
7. Capt. Ummed Singh (Existing operator.)
8. Ramniwas Chripal.
9. Sultan Singh.
10. Shri Udaimal Lodha.
11. Sohan Bai.
12. Noor Mohammed.
13. Amreek Singh.
14. Bhagwat Singh.
15. Balabux Gheesalal.
16. Rasool Bux.
17. Umer Mohammad.
18. Bhuran Bux.
19. Udaimal Lodha.
20. Udaimal Lodha.
21. Udaimal Lodha.
22. Udaimal Lodha.
23. Udaimal Lodha.
24. Hotchand.
25. Abdul Rehman.
26. Hazi Abdul Gani.
27. Lalta Prasad Harnam Singh.

28. Sekh Heera Hazi Raheem bux.
29. Edul ji.
30. Rosan Bux Radheylal.
31. Harijan Yatayat.
32. Noratanmal.
33. General Motor Bus, Tonk.
34. Derumal.
35. Alamchand Khem chand.
36. Wali Mohammed.
37. Mrs. A. C. Malhotra.
38. Rasool bux.

LIST OF GRANTEES WHO HAVE BEEN GRANTED TEMPORARY PERMITS ON JAIPUR-AJMER ROUTE DURING THE YEAR 1958.

1.	Harijan Yatayat Semanya.	1 permit.
2.	Harnam Singh Lalta Pd.	-do-
3.	Abdul Rehman Mohd. Geni.	-do-
4.	Nizamuddin.	-do-
5.	Hazi Ajmeri Abdulgani.	-do-
6.	Smt. Sohan Bai.	-do-
7.	Wali Mohammad.	-do-
8.	Noor Mohammad.	-do-
9.	Capt. Umaid Singh.	-do-
10.	Sultan Singh.	-do-
11.	S. Baljeet Singh.	-do-
12.	Idul ji.	-do-
13.	Mohammad Umar.	-do-
14.	Rasool Bux.	-do-
15.	Roshan Bux.	-do-
16.	Burhan Bux.	-do-
17.	Shekh Keerji Hazi Rahim Bux.	-do-
18.	S. Amrik Singh.	-do-
19.	Ramchandra Balabux.	-do-
20.	Vijai Singh Rathore.	-do-
21.	The Pratap Singh Rathore & Sons.	-do-
22.	Sardarmal Dasot.	-do-
23.	Asiatic Bus Service.	-do-
24.	Premchand & Co.	-do-
25.	Chuhar Mal Lalwani, Tonk.	-do-
26.	General Motor Bus Service, Tonk.	-do-
27.	Deeda Ram Murli Dhar.	-do-
28.	Tolaram Bros.	-do-
29.	Daulat Ram Badlani.	-do-
30.	Bhoongra mal.	-do-

31.	Darumal Gennumal.	-do-
32.	M. S. Mehta.	-do-
33.	Udaimal Lodha.	5 permits.
34.	Automobile Transport Raj. Private.	2 permits.
35.	Anil Bus Service.	1 permit.
36.	Ex-Soldiers Transport Co-operative Society.	-do-
37.	Malikram.	-do-
38.	Kalra Transport Co.	-do-
39.	Ramrattan Tikkiwal, Tonk.	-do-
40.	Prabhunarain Jugalkishore.	-do-
41.	Rajasthan Motor Workers Trpt. Co-op. Society.	-do-
42.	Tarachand Sapra.	-do-
43.	Raja Trpt. Co.	-do-
44.	Moola Ram, Jaipur.	-do-
45.	Rajasthan Transport Service, Jaipur.	-do-
46.	Jawaharmal Naraindas.	-do-

Total :- 51 Permits.

'ख'

LIST OF GRANTEES WHO WERE GRANTED STAGE CARRIAGE PERMITS (PERMANENT ON JAIPUR-TONK-DEOLI ROUTE IN THE YEAR 1957.

1. Tilok Chand Dula Ram.	1 permit.
2. Gobind Ram Hundomal.	-do-
3. Ramprakash S/o. Ram pal.	-do-
4. Man Mohan Ladha.	-do-
5. General Motor Bus Service, Tonk.	5 permits.
6. Revail Singh Chug S/o. Lachhman Singh.	1 permit.
7. Malikram S/o. Ganeshdas.	2 permits.
8. Rijhumal Mewaldass Jiwatram.	1 permit.
9. Ajeetsingh Gopal Singh.	-do-
10. Mohandass Rattandass.	-do-
11. Santoshkumar Badlani	-do-
12. Dass & Bros.	-do-
13. Dwarkadass Banomal.	4 permits.
14. Jaipur Line Ways.	1 permit.
15. Arjunlal Buchra.	-do-
16. Vassumal Boolchand.	-do-
17. Kamal chand Bhagwandass.	-do-
18. Tikamdass Kotumal.	-do-
19. Chintamanlal Dulichand.	-do-
20. Hanuman Todwal Niwai,	-do-
21. Rastriya Transport Service, Tonk.	-do-
22. Aildass Moolchand.	-do-
23. Sujanmal Bhanwarlal.	-do-
24. Sobhraj S/o. Odharmal.	-do-
25. Rijhumal Bachoomal.	-do-
26. Ramanlal Gupta.	-do-
27. Radheyshyam, Jaipur.	-do-
28. Mahmoodkhan, Tonk.	2 permits.
29. Daulatram Ratabsingh.	1 permit.

30. L. M. Thakur.	ermits.
31. Mrs. K. K. Wadhwani.	-do-
32. Chuharmal Lalwani.	-dc-
33. Suganchand Mithanlal.	-do-
34. Hari Ram Gobindram.	-do-
35. Lekhraj Lakhwani.	-do-
36. Jashanmal Nekumal.	-do-
37. Tirathdass Pethumal.	-do-
38. Newaldass Ramchand.	-do-
	Total 48 Permits.

'ग'

LIST OF PERSONS FROM THE PERMIT HOLDERS WHO ARE RESIDENTS OF TONK CITY AND WERE GRANTED PERMITS IN JAIPUR-AJMER ROUTE IN THE YEAR 1958.

1. Sardar Mal Dasot.
2. Chuharmal Lalwani.
3. General Motor Bus Service.
4. Ramrattan Tikkiwal.

Jaipur-Tonk-Deoli route - 1957.

1. M/s. General Motor Bus Service, Tonk.
2. Ramprakash S/o Rampal.
3. M/s. Rastriya Transport Service, Tonk.
4. Sujanmal Bhanwar Lal, Tonk.
5. Mahmood Khan, Tonk.
6. Chuharmal Lalwani, Tonk
7. Likhraj Lakhwani, Tonk.

परिशिष्ट १२

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर देखिये)

List of Brick Kilns of Bharatpur District.

S. No.		Name of Kilns Owner.	Tehsil
1.	M/s	Vidya Dhar Gopal Prashad	Bharatpur.
2.	,,	Indra Prakash Padam Singh.	—do—
3.	,,	Agrawal Company.	—do—
4.	,,	Subhas Brick Factory.	—do—
5.	,,	Jaghina Brick Factory.	—do—
6.	,,	Matoli Ram Subhas Chand Brick Factory.	—do—
7.	,,	Brjendra Brick Factory.	—do—
8.	,,	Ram Swroop Rajendra Prashad.	—do—
9.	,,	Bharatpur Brick Field,	—do—
10.	,,	Suraj Bhan Brick Fields.	—do—
11.	,,	Jagannath Brick Factory.	—do—
12.	,,	Chiranji Lal Mahavir Prashad	—do—
13.	,,	Bishamber Dayal Brick Factory.	—do—
14.	,,	Suresh Brick Factory.	—do—
15.	,,	Shrinath Prashad Hal Shankar,	—do—
16.	,,	Latocr Singh Brick Factory.	Bhpratpur (S. T. Kumher)
17.	,,	Krishana Brick Factory.	Tehsil Deeg.
18.	,,	Jagannath Brick Factory.	—do—
19.	,,	Fateh Chand Suresh Kumar.	Deeg.
20.	,,	Ashok Brick Factory.	Nagar.
21.	,,	Brij Brick Factory.	—do—
22.	,,	Yagga Priya Arya Brick Field.	Bayana.
23.	,,	Raj Narain Dube Brick-Factory.	Bayana.
24.	,,	Sukh Ram Omprakash Rudawal.	Rupbas
52.	,,	Agrawal Brick Field Uchain.	—do—

26.	,,	Vidya Virit Shathri Brick Factory.	Nadbai.
27.	,,	Ghan Shyam Das Agarwal Brick Factory.	—do—
28.	,,	Bishambar Brick Factory.	—do—
29.	,,	Bharat Brick Factory.	—do—
30.	,,	Shatish Chand Gupta Brick Factory.	Rajakhera.
31.	,,	Mohan Lal Lachman Prashad.	Bharatpur
32.	,,	Brij Brick Field.	—do—
33.	,,	Madhav Rao & Co.	—do—
34.	,,	Padam Singh Chotoo Singh.	Deeg.
35.	,,	Kishan Brick Factory.	Kaman,
36.	,,	Nanak Singh Shalama Bad.	Bari.

List of the Brick Klins Owners in Bharatpur District in the year 1955.

1. M/s Hanuman Brick Kilns., Bharatpur.
2. ,, Suraj Bhan Brick Factory, Bharatpur.
3. ,, Jagannath Brick Factoty, Bharatpur.
4. ,, Bharat Brick Factory, Bharatpur.

List of the Brick Kilns Owners in Bharatpur Dictrict in the year, 1956.

1. M/s Suraj Bhan Brick Factory, Bharatpur,
2. ,, Brijendra Brick Field, Bharatpur.
3. ,, Jagannath Brick Factory, Bharatpur.
4. ,, Bishambar Dayal Brick Factory, Bharatpur.
5. ,, Fateh Chand Suresh Kumar, Deeg.
6. ,, Matoli Ram Subhas Chand Brick Factory, Bharatpur.

List of the Brick Kilns Owners in Bharatpur District in the year, 1957.

1. M/s Suraj Bhan Brick Factory. Bharatpur.
2. ,, Jagannath Brick Factory, Bharatpur,
3. ,, Brijandra Brick Factory, Bharatpur.

4.	,,	Bishamber Dayal Brick Factory, Bharatpur.
5.	,,	Vijay Brick Factory, Bharatpur.
6.	,,	Matoli Ram Subhas Chand Brick Factory, Bharatpur.
7.	,,	Bharatpur Brick Factory, Bharatpur.
8.	,,	Ram Swarcop Rajendra Prashad Brick Factory, Bharatpur.
9.	,,	Agrawal Brick Factory, Bharatpur.
10.	,,	Shri Nath Prashad Hari Shankar, Bharatpur.
11.	,,	Fateh Chand Suresh Kumar, Deeg.
12.	,,	Agarwal Co., Uchain.

Statement showing brick kilns running under proper sanction in Bharatpur District.

S. No.		Name of kiln Owner.	Tehsil.
1.	M/s	Vidya Dhar Gopal Prasad.	Bharatpur.
2.	,,	Indra Prakash Padam Singh.	—do—
3.	,,	Ram Swarup Rajandra Prashad.	—do—
4.	,,	Suraj Bhan Brick Field.	—do—

————

परिशिष्ट १३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर देखिये)

जालौर जिले के निम्नलिखित ग्रामों में मेड़बन्धी का कार्य किया गया है:

क्रमांक	नाम ग्राम	मेड़बन्धी का क्षेत्रफल
१.	सन्कर	१,०४५ बीघा
२.	टिटाव	४१० ,,
३.	हाडिया	१५० ,,
४.	इजरोल	५० ,,
५.	बावरला की ढानी	५० ,,
६.	छागरा	२,२४७½ ,,
७.	झाला	१,००० ,,
८.	इन्टोडा	६२७½ ,,
९.	चिंतल वाना	१,११० ,,
१०.	अम्बाली	१,२०० ,,
११.	छावल	१,२५० ,,
१२.	हिंदवाड़ा	५०० ,,
१३.	रतनपुर	८०० ,,
१३.	सन्वारा	६५० ,,
१५.	रानोदर	१,०५० ,,
१६.	गुनाटन	६२५ ,,
१७.	योद्धा	१२५ ,,
१८.	सरनाऊ	५०० ,,
१९.	हादेतर	२५० ,,
२०.	धनियारा	२,२०० ,,
२१.	काराला	१,६०० ,,
२२.	लाछदी	५०० ,,
२३.	सिदि	६०० ,,
२४.	कमलपुरा	८०० ,,
२५.	पालना	८०० ,,

२६.	पालदी	२०० बीघा			
२७.	तानिपल	५००	,		
२८.	घुतुरा	६००	,,		
२९.	निनिवाज	३००	,,		
३०.	भानवर	१२५	,,		
३१.	रीड़का	१,५००	,,		
३२.	भीमपुरा	१,१००	,,		
३३.	भावतरा	९००	,,		
३४.	नौरादर	८००	,,		
३५.	अकोडिया	७००	,,		
३६.	जाखल	९००	,,		
३७.	हरियाली	१,०००	,,		
३८.	गुडाखेमा	७००	,,		
३९.	गरया	१००	,,		
४०.	जसदा	२५०	,,		
४१.	बीजली	३५०	,,	१४०	एकड़
४२.	अवा	४८५	,,	१९४	,,
४३.	घना	२६५	,,	१०६	,,
४४.	रीवाड़ा	१३०	,,	५२	,,
४५.	भारदा	८४५	,,	२३८	,,
४६.	चूंदा	३६३¾	,,	१४५½	,,
४७.	किशनगढ़	७५०	,,	३००	,,
४८.	किमला	२२२½	,,	८९	,,
४९.	मोहीवाड़ा	९०५	,,	३६२	,,
५०,	रुएडमल की ढानी	१,५४०	,,	६१६	,,
५१.	मालगढ़	९०५	,,	३६२	,,
५२	केन्डेली	१३७½	,,	५५	,,
५३.	नाखां	१७५	,,	८०	,,
५४.	बाला	५१२½	,,	२०५	,,
५५.	कराना	१२५	,,	५०	,,

५९.	भादरपुरी	१४७½ बीघा	५९ एकड़
५७	गोबिन्डली	२७५ ,,	११० ,,
५८.	राभा	२१२½ ,,	८८ ,,
५९.	चन्द्राई	५९२½ ,,	२३७ ,,
६०.	अकरडिया	२९० ,,	११६ ,,
६१.	रोध	२२२½ ,,	४९ ,,
६२	गाडिया	१७७½ ,,	७६ ,,
६३.	नालाना	२२२½ ,,	८९ ,,
६४.	बादफरा	३७ ,,	१५ ,,
६५.	अहोर	१५ ,,	६ ,,
६६.	सनवारा	९७½ ,,	३६ ,,
६७.	कारां	६० ,,	३६ ,,
६८.	धारड़ी	१०० ,,	४० ,,
६९.	धोपरेवारा	६० ,,	२४ ,,
७०.	वालदूरा	२२½ ,,	८७ ,,
७१.	मलेवा	६२५ ,,	२२५ ,,
७२.	सरवाड़ा	६७½ ,,	२७ ,,
७३.	सान्सड़ा	४५ ,,	१८ ,,
७४.	पांचौला	१५ ,,	६ ,,
७५.	मोसरा	१,३८८½ ,,	५५३ ,,
७६.	कोरड़ा	५३७½ ,,	२१५ ,,
७७.	हूडिया	४७½ ,,	१९ ,,
७८.	भीरव	२५६० ,,	१०२४ ,,
७९.	अइपुरा	१,९०२½ ,,	७६१ ,,
८०.	रामफल	१५७७½ ,,	६३१ ,,
८१.	लादा	१४७½ ,,	७१ ,,

८२.	घटाडी	४२७½ बीघा	१७१ एकड़
८३.	खारा	८०२½ ,,	३२१ ,,
८४.	उमेदपुर	६३७½ ,,	२५५ ,,
८५.	आक्रोसी	२½ ,,	१ ,,
८६.	बागरा	२½ ,,	१ ,,
८७.	काग	१० ,,	४ ,,
८८.	पूळाज	१५० ,,	६० ,,

परिशिष्ट १४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर देखिये)

STETEMENT SHOWING DISTRICTWISE BREAKUP OF ROAD MILEAGE IN RAJASTHAN AS ON 31 March, 1958.

Name of District	Conrent Concrete	Painted	Metalled	Cravelled	Fair Weather	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Jaipur.	—	246/3	254/6½	—	223/2	724/3½
2. Sawai Madhopur	—	42/5	222/1	4/4	201/3	470/5
3. Tonk	0/6	91/6	156/2	22/0	47/0	317/6
4. Jhunjhunu	—	21/4	78/2	—	134/4	234/2
5. Sikar	—	20/6	64/0	—	226/4	311/2
6. Alwar	8	202/7	289/7	—	212/6	713/4
7. Bharatpur	0/3½	246/1½	393/6	14/0	283/3	937/6
8. Kotah	7/1½	73/7	394/6	11/4	509/7½	997/2
9. Bundi	2/2	65/4	146/5	—	220/0	434/3
10. Jhalawar	4/1	63/2	187/0	—	229/3	483/6
11. Jodhpur	0/½	245/5½	93/3	564/0	84/4	969/5
12. Nagour	—	66/4	39/0	684/6	23/0	813/2
13. Pali	—	139/4	132/5	242/0	135/4	649/5
14. Jalore	—	—	37/0	87/0	156/4	280/4
15. Sirohi	—	63/4	161/6	11/3	143/4	380/1
16. Barmer	—	—	—	505/3	34/0	539/3
17. Jaisalmer	0/3	63/2	0/4	135/1	183/6	383/0
18. Bikaner	—	123/4	100/2	6/0	233/0	467/6
19. Gangaragar	—	58/7	46/3	—	46/0	151/2
20. Churu	—	70/9	216/2	—	104/6	392/1
21. Udaipur	—	120/6	134/7	418/6	680/1	1,354/4
22. Chittor	—	13/4	169/0	43/4	221/ ½	447/ ½
23. Bhilwara	—	7/3	165/0	31/4	397/0	582/7
24. Banswara	—	9/0	92/3	13/2	188/4	313/1
25. Dungarpnr	—	14/0	74/2	175/2	97/0	360/4
26. Ajmer	—	306/1½	246/4	9/0	290/2	851/7½
	2,3/1½	2,377/3½	3,896/4½	2,960/7	5,303/4	14,561/4½

Name of District	Roads Constructed During First Five Year Plan: Copent :Concrete	Painted	Metalled	Gravelled	Fair Weather	Total	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Jaipur.	—	112	--	7	—	119	
2. Sawai Madhopur	—	4	30	—	66	100	
3. Tonk.	0/3	81	16	12	—	109/3	
4. Jhunjhnu.	—	15	46	—	—	61	
5. Sikar.	—	24	—	—	2	26	
6. Alwar.	3	65	105	—	—	173	
7. Bharatpur	—	147	35	4	64	250	
8. Kotah.	—	50	—	27	77	154	
9. Bundi.	—	7	16	—	—	23	
10. Jhalawar	—	12	21	—	—	33	
11. Jodhpur	—	165	53	—	—	218	
12. Nagour.	—	19	53	88	8	168	
13. Pali.	—	76	—	69	—	145	
14. Jalore.	—	—	26	63	85	174	
15. Sirohi	—	55	21	8	—	84	
16. Barmer.	—	—	—	185	10	195	
17. Jaisalmer	—	43	10	63	—	116	
18. Bikaner.	—	99	10	6	239	354	
19. Ganganagar	—	37	4	—	96	137	
20. Churu.	—	20	20	—	104	144	
21. Udaipur.	—	130	23	99	39	291	
22. Chittor.	—	1	52	6	—	59	
23. Bhilwara	—	3	72	—	25	100	
24. Banswara	—	5	30	17	—	52	
25. Dungarpur	—	1	—	118	40	159*	
	3/3	1,171	643	772	855	3,434/3	

NEW ROADS IN SECOND FIVE YEAR PLAN.

S. No.	Name of District	1956—57					1957—58					1958—59					1959—69					Total					Upto date New constructed roads in second five year plan.
		Painted	Metalled	Gravalled	Fair Weather	Total	Painted	Metalled	Gravelled	Fair Weather	Total	Painted	Metalled	Gravelled	Fair Weather	Total	Painted	Metalled	Gravelled	Fair Weather	Total	Painted	Metalled	Gravelled	Fair Weather	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Jaipur.	—	43	—	—	43	—	28	—	—	28	—	30	—	—	30	—	58½	—	—	58½	—	159½	—	—	159½	71
2.	Sawai Madhopur.	—	8½	—	—	8½	—	20½	—	—	20½	—	12	—	—	12	—	9	—	—	9	—	50	—	—	50	19½
3.	Tonk.	—	12	—	—	12	—	10	—	—	10	—	21	—	—	21	—	22	—	—	22	—	65	—	—	65	21
4.	Jhunjhunu.	—	3	—	—	3	2	9	—	—	11	—	20	—	—	20	9	23	—	—	32	11	55	—	—	66	11
5.	Sikar.	—	34½	—	—	34½	—	33½	—	—	33½	—	35	—	—	35	—	77	—	—	77	—	180	—	—	180	65½
6.	Alwar.	—	21	—	8	29	—	16½	—	—	16½	—	14½	—	—	14½	—	39	—	—	39	—	91	—	8	99	37
7.	Bharatpur.	—	14	—	4½	18½	—	6½	—	2	8½	—	8	—	2	10	—	30	—	—	30	—	58½	—	8½	67	28½
8.	Kotah.	—	—	4	—	4	—	5½	2	—	7½	—	2	1	—	3	—	7	2	—	9	—	14½	9	—	23½	5
9.	Bundi.	—	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	14	—	—	14	—	19	—	—	19	4
10.	Jhalawar.	—	2	8	—	10	—	2	1	—	3	—	2	2	—	4	—	—	1	—	1	—	6	12	—	18	11
11.	Jodhpur.	—	—	—	—	—	—	—	5½	—	5½	—	—	10	—	10	—	—	60	—	60	—	—	75½	—	75½	2½
12.	Nagaur.	—	14	9	—	23	—	1	34½	—	35½	—	—	23	—	23	—	8	26	—	36	—	23		—	117½	53½
13.	Pali	—	2¾	16¾	—	19½	—	2¼	4	—	6¼	—	3	—	—	3	—	6	14¼	—	20¼	—	14	35	—	49	22½
14.	Jalore.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	95	—	95	—	—	97	—	97	—
15.	Sirohi.	—	6	—	—	6	—	1	—	—	1	—	3	—	—	3	—	14	2	—	16	—	24	2	—	26	6
16.	Barmer.	—	—	11½	—	11½	—	—	4	—	4	—	—	9	—	9	—	—	88	—	83	—	—	112½	—	112½	15½
17.	Jaisalmer.	—	—	14	—	14	—	—	8	—	8	—	—	5	—	5	—	—	17	—	17	—	—	44	—	44	23
18.	Bikaner.	—	¾	—	—	¾	—	4	—	—	4	—	4	—	—	4	1	42½	—	—	43½	1	51	—	—	52	6¾
19.	Ganganagar.	15	3½	—	—	18½	14½	9	—	—	23½	9	6½	—	—	15½	21	24	—	—	45	59½	43	—	—	102½	40½
20.	Churu.	8½	10	—	—	18½	16	5	—	—	21	7	2¼	—	—	9¼	11	23	—	—	34	½	40¼	—	—	82¾	21½

परिशिष्ट १५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर देखिये)

List of permit holders.

S. No.	Name of operetor.	Route on which bus plying.
1.	Shri Devi Prasad Babulal.	Bayana-Bhusawar-Mandawar
2.	Shrimati Pritam Kaur W/o Ramesh Swami.	—do—
3.	Shri Mahendra Kumar S/o Shri Bejnath.	—do—
4.	Shri M/s. Kishorilal Pooran Mal.	—do—
5.	Shri Girraj Pd. Goswami.	Bharatpur-Paheri.
6.	Shri Pritam Singh.	—do—
7.	Shri Ram Chandra S. Nankani.	—do—
8.	Shri Gopal Das Goel S/o Badri Prasad.	—do—
9.	Shri Smt. Partap Kaur.	—do—
10.	Shri Kr. Jagmohan Singh.	—do—
11.	Shri Jagmohan Singh.	—do—
12.	Shri Veernarain Raghuvir Singh.	—do—
13.	Shri Kr. Jagmohan Singh.	—do—
14.	Shri Sawal Parshad Chaturvedi.	—do—
15.	M/s Devi Parashad Babulal.	—do—
16.	M/s Baboolal Bhoramal.	—do—
17.	M/s Deep Chand Chhuttanlal.	—do—
18.	Uma Shankar Agrawal Faqir Chand.	—do—
19.	M/s Chandan Singh. Partep Singh	—do—
20.	Shri Chhatar Singh.	Bharatpur-Nadba
21.	Shri Giasi Ram.	—do—

Page No.137

22.	Shri Heeralal.	Deeg-Nadbai.
23.	Motor Workers Coop. Society.	—do—
24.	Shir Boobulal Gupta.	Bharatpur-Bhuswar.
25	Shri Hari Ram Gopal das.	—do—
26.	Shri Ram Chandra Kedarnath.	—do—
27.	Shri Ram Ratan Sharma.	—do—
28.	Shri Hari Shankar Gurdayal.	Bharatpur-Bayana.
29.	Shri Devi Parsad Baboolal.	—do—
30.	Dr. Sarwan Singh.	—do—
31.	Shri Manoharlal.	—do—
32.	M/s. Jain Transport & General Trading Company.	Mathura-Kama-Koshi.
33.	Shri Brijlal.	Mathura-Kama-Koshi.
34.	Shri Deep Chand.	—do—
35.	M/s. Janta Coop. Tpt. Society.	—do—
36.	Shri Sarad Kumar.	Bayana-Roopbas.
37.	Shri Lalta Parsahad.	—do—
38.	Shri Suresh Chrndra Raghubir Pd.	Deeg-Nagar-Sikar.
39.	Shai Chandra Shekhar.	—do—
40.	Mittan Lal Niranjanlal.	Bharatpur-Roopbas.
41.	Shri Gopaldass Radharaman.	—do—
42.	Shri Kishorilal.	Bayana-Bhuswara, upto Mandawar.
43.	Shri Yogesh Chandra Pari.	—do—
44.	Shri Pritam Kaur.	—do—
45.	Shri Mahendra Kumar.	—do—
46.	Shri Niranjanlal.	Bharatpur-Karauli.
47.	Shri Kamal Singh.	—do—
48.	Shri Tej Singh.	—do—

49.	Shri Chhatarpal Singh.	—do—
50.	Shri Madhoprasad.	—do—
51.	Shri Pooran Chand Govind Ram.	—do—
52.	Shri Deen Dayal Sharma.	—do—
53.	Shri Verma Motors.	—do—
54.	M/s Frinds Bus Service.	Bharatpur-Mathura.
55.	Shri Nathulal Sharma.	—do—
56.	Shri Hiralal,	—do—
57.	Shri Sampat Singh Lila Ram.	—do—
58.	Shri Mool Chand.	—do—
59.	Shri Lalta Parshad.	Bharatpur-Goverdhan.
60.	Shri Prakash Chand Bansal.	—do—
61.	M/s Kamal Singh Pritam Chand.	Bharatpur-Nagar Via Deeg.
62.	Shri Ram Prasad.	—do—
63.	Shri Ramesh Chand.	—do—
64.	Shri Man Mohanlal.	—do—
65.	Motor Workers Cooperative Society.	—do—
66.	Shri Laxmi Kaur.	—do—
67.	Shri Beni ram.	—do—
68.	Shri Dhani Ram.	—do—
69.	Shri Baboolal Gupta.	—do—
70.	Shri Girraj Prasad.	—do—
71.	Shri Sampuran Singh.	—do—
72.	Shri Nanek Chand Ramesh Chand.	—do—
73,	Shri Jagmohan Singh.	—do—
74.	—do—	—do—
75.	Shri Ranjit Singh.	—do—

76.	Shri Beli Ram.	Nagar-Nadbai.
77.	Shri Harppari Devi.	—do—
78.	M/s Young Mens Association.	—do—
79.	Shri Prem Singh.	Bharatpur-Kathumar.
80.	Shri Ishwar Singh.	—do—
81.	Shri Basantilal.	Alwar-Bharatpur.
82.	Shri Komal Prasad.	Bharatpur-Jaipur.
83.	Shri Mangal Ram Vaid.	—do—
84.	Shri Jamuna Prasad.	—do—
85.	Shri Premnath Santilal.	—do—
86.	Shri Goswami Girraj Prasad.	—do—

परिशिष्ट १६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ११ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF PERSONS TO WHOM TACCAVI LOANS FOR TRACTOR WERE GRANTED DURING THE PERIOD 1947-57.

DISTRICT BHARATPUR

Sl. No.	Name of the Tehsil.	Name of the loanee	Date of payment	Amount of loan.	Total land under posession Acres	Contributed or not by the loanee	Maker of the Tractor	Purchase price Tractor	Purchase price Implements	Verifying officer	Instalments paying regularly or not	Action taken	Whether tractor sold or not.
				1950–1951									
1.	Bharatpur	Sh. Ghamandi Singh	27-12-50	3912-12-0	262	Not	Ferguson	2912-12-0	—	Tehsildar	Paid in full	—	Not sold
2.	Weir	Sh. Sher Singh	23-2-51	4800/-/-	338	Yes	—do—	7300/-/-	—	—do—	Paying reg.	—	—do—
3.	Nadbai	Shrimati Ajay Kunwar W/o Raja Man Singh	27-3-51	14150/-/-	53	Not	—do—	7300/-	6850/-	—do—	Principle paid int. outstanding	Action being taken	—do—
4.	Bayana	Sh. Parasram Singh	27-3-51	15,000/-	342	—do—	—do—	7300/-	7700/-	—do—	Not paying	—do—	—
				1951–52									
5.	Kaman	Sh. Gurbachan Singh	11-6-51	5,000/-	10	Yes	—do—	7300/-	—	N. T. Pahari	Paying reg.	—do—	—do—
6.	—do—	,, Girraj Singh	18-2-52	5,000/-	53	—do—	Lanz	11975/-	—	—do—	—do—	—	—
7.	Bharatpur	,, Shyam Lal Jat	17-11-51	5,000/-	74	—do—	Ferguson	6900/-	919/-	Tehsildar	—do—	—	—
8.	—do—	,, Pushkar Singh	19-12-51	5,000/-	46	—do—	Jetar	7300/-	2700/-	—do—	Paid in full	—	—
9.	—do—	,, Sahib Singh	11-1-52	5,000/-	61	—do—	Ferguson	7300/-	2700/-	—do—	—	—	—
10.	—do—	,, Laxman Singh	16-2-52	7500/-	288	—do—	—do—	7300/-	7700/-	—do—	—	—	—
11.	—do—	,, Bharat Singh	19-2-52	10,000/-	157	—do—	—do—	7100/-	5000/-	—do—	Paying reg.	—	—
12.	—do—	,, Mahesh Chandra	19-2-52	5,000/-	38	—do—	F. Marshal	10500/-	1361/-	—do—	—	—	—
13.	Weir	,, Gajendra Singh	14-11-51	18,700/-	233	Not	Ferguson	7300/-	11400/-	—do—	—	—	—
14.	Nadbai	,, Ghamandi Lal	15-11-51	5,000/-	Not purchased, amount refunded.								
15.	—do—	,, Ghan Shyam	29-11-51	11,578/-	79	Not	Ferguson	7100/-	4649/-	—do—	Not reg.	—	Recovery under progress.
16.	Bayana	,, Sardar Indar Singh	20-11-51	10,600/-	233	Not	—do—	7300/-	3300/-	—do—	Reg.	—	Not sold
17.	Rupbas	,, Lal Singh	15-3-52	5,000/-	288	Yes	Fordson	10000/-	8000/-	—do—	all repaid	—	—
18.	—do—	,, Radha Kishan	29-11-51	9,400/-	205	Not	Ferguson	7100/-	2789/-	—do—	Not reg.	—	Recovery under progress.
19.	Deeg	,, Kaloo Ram	24-2-52	5,000/-	180	Yes	—do—	7300/-	1375/-	—do—	Reg.	—	—

परिशिष्ट १७

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर देखिये)

DISTRICTWISE LIST OF AREAS PLANTED DURING THE 1st FIVE YEAR PLAN.

S. No.	District	Tehsil	Location	Area planted in acres. 1954-55	Area planted in acres. 1955-56	Total	Expenditure incurred 1954-55	Expenditure incurred 1955-56	Total.
1.	Bharatpur	Bharatpur.	Khanpura	5	100	105	1,014	3,346	3,360
2.	,,	Deeg	Govardhan	—	6	6	75	1,478	1,553
3.		Dholpur.	Sagarpara	—	5	5	—	1,135	1,135
4.	Alwar.	Alwar.	Bankhera.	—	12	12	251	989	1,250
5.		-do-	Bhugore.	5	18	23	81	1,223	1,354
6.		Tijara	Tijara	—	7	7	—	591	591
7.		Bahrod.	Barod.	—	25	25	—	1,350	1,250
8.		Thana Ghazi.	Sariska.	—	25	25	—	2,194	2,164
9.		-do-	Bendi Pul	—	6	6	750	786	1.516
10.		Raj Garh.	Dabkan.	—	7	7	—	1,943	1,943
11.		Laxman Garh.	Noujpur.	—	10	10	773	1,365	2,028
12.	Jaipur.	Jaipur.	Adarshnagar. (Road side).	10	—	10	4,520	—	4,520
13.		-do-	Laxman Dungri.	—	20	20	—	2,605	2,605
14.		—do—	T. B. Sanitorium.	—	107	107	—	8,221	8,221
15.		—do—	Anani shab Hele	—	10	10	—	1,748	1,748
16.		—do—	Kale Mahadev.	—	10	10	—	2,020	2,020
17.		—do—	Jal Mahel.	—	50	50	—	3,000	3,000
18.		—do—	Jamroli Bir.	—	80	80	—	1,304	1,304

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
19.		Jamwa Ram Garh.	Khora.	—	15	15	502	580	1,082
20.		—do—	Ramyawala.	—	20	20	—	1,512	1,512
21.		Bairath.	Bijak ki Pahari.	—	15	15	—	1,674	1,674
22.		Kajwala.	Dogarh Bani. (Kaji wala.)	—	20	20	1,207	825	2,632
23.	Jhunjhunu	Khetri	Gandhi	—	10	10	—	364	364
24.	,,	-do-	Bundhu.	—	20	20	298	339	637
25.	Sawai Madhopur	Sawai Madhopur.	Bodel	—	50	50	1,427	384	2,411
26.	-do-	Khandar	Glai sagar Dam.	—	30	20	—	367	367
27.		-do-	Hanotia Bir.	—	30	30	1,150	521	1,671
28.		Toda Bhim	Menhidipur.	—	25	25	—	410	410
29.	Ajmer Distt.	Kishan Garh.	Nandabari.	—	30	30	300	2,558	2,858
30.		,,	Tikhalie	—	40	40	300	1,492	1,792
31.		,,	Silora	—	30	30	—	1,951	1,951
32.		,,	Rani Dungari.	—	50	50	—	1,015	1,015
33.		Sarwar.	Jagapura.	—	10	10	—	1,233	1,233
34.		,,	Anthumbir (Gheri)	—	40	40	—	2,681	2,681
35.	Tonk	Tonk	Sohela.	—	35	35	—	3,303	3,303
36.		,,	Bharni.	—	55	55	—	2,185	2,185
37.	Bhilwara.	Shahpura.	Thani Bir.	25	35	60	1,723	3,776	5,499
38.		Asind.	Gangla.	—	60	60	—	4,665	4,665
39.	Bundi Distt.	Bundi	Bye.Pass.	40	—	40	397	—	397
40.			Mangli.	—	25	25	—	3,230	3,230

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
41.			Cobrakirodi.	—	25	25	—	485	485.
42.			Ganesh Bagh (khatlad.)	—	2	2	—	63	63
43.		Nainwa.	Dai.	—	50	50	—	2,766	2,766
44.		Hindoli.	Chitur Ganj.	6	25	31	172	1,384	1,556
45.			Datunda.	24	—	24	183	—	183
46.	Kotah	Ladpura.	Panchor Bir.	40	50	90	—	10,128	10,128
47.			Chambal Ravine.	—	74	74	—	7,736	7,736
48.		Kishan Ganj.	Hirapura-	25	50	75	554	4,285	2,820
49.			Lalapura.	25	40	65	339	5,089	5,428
50.			Bislai.	—	10	10	457	1,125	1,582
51.			Beni Hera.	—	25	25	—	3,193	3,193
52.			Balaji wala Sunda.	—	10	10	475	458	933
53.		Chhabra.	Chhabra.	—	5	5	720	892	1,512
54.		Chhipabarod.	Phool Berod.	25	10	35	1,257	934	2,201
55.		Sironj	Ali Ganj.	—	10	10	—	2,028	2,028
56.		Latori	Ari Rab.	—	60	60	—	93	93
57.	Jhalawar	Aklera.	Gujri ki Bardi.	—	10	10	—	1,457	1,457
58.		Jhalawar Patan.	Bijlia Blarak.	—	10	10	—	1,630	1,630
59.			Lothia Jhir.	—	5	5			
60.		Asnawar	Mundari.	—	15	15	—	375	375
61.		Bekani.	Rinchelwa.	—	20	20	—	1,112	1,112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62.	Jhalawar.	Pirawa.	Guradia.	—	5	5	—	200	200
63.		Khanpur.	Kamolerradi.	—	20	20	—	1,259	1,259
64.	Chittorgarh.	Chittorgarh.	Sargpole.	5	25	30	422	2,100	2,522
65.	Udaipur.	Girwa.	Bordi.	50	50	100	3,221	4,333	7554
66.		"	Thornagra.	—	20	20	—	1,980	1,908
67.	Banswara	Banswara	Shyampura	—	50	50	—	7,130	7,130
68.	Sirohi	Sirohi	Wada Khera.	10	100	110	1,212	10,013	11,225
69.	Jodhpur.	Jodhpur.	Vyaski bori.	50	50	100	—	10,162	10,162
70.	Pali.	Pali.	Palijor.	—	50	50	—	10,492	10,492

———

परिशिष्ट १८

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६६ का उत्तर देखिये)

सूची भूमि अस्थायी वितरण (आरजी काश्त) राजस्थान नहर योजना के अन्तर्गत ग्रामों की, तहसील सूरतगढ़ (सम्वत् २०१४)

नम्बर शुमार	नाम गाँव	तादाद कुल रकबा जो अलॉट किया गया	तहसीलवार विवरण: सूरतगढ़		हनुमानगढ़		रायसिंह नगर		करनपुर		गंगानगर		पदमपुर		अनूपगढ़		कैफियत
			कुटुम्ब संख्या	क्षेत्रफल	कुटुम्ब संख्या	क्षेत्रफल	कुटुम्ब संख्या	क्षेत्रफल	कुटुम्ब संख्या	क्षेत्रफल	कुटुम्ब संख्या	क्षेत्रफल	कुटुम्ब संख्या	क्षेत्रफल	कुटुम्ब संख्या	क्षेत्रफल	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१.	लूढाणा	५,६८१	१४८	५,६५५	—	—	—	—	—	—	—	—	१	२६	—	—	
२.	निहालपुरा रोही	३,३४०	३६	३,१००	४	१९०	—	—	—	—	—	—	१	५०	—	—	
३.	पीलीबंगा	८,७४६	१२८	७,१०६	११	६४३	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
४.	जालडांवाली	१२,८५२	४८५	११,३५२	६०	१,५००	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
५.	पंडितांवाली	१,५९४	१०७	१,५४४	२	५०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
६.	साहूवाला	३,३१६	६०	३,२९२	—	—	—	—	—	—	—	—	१	२५	—	—	
७.	फरीदसर	२,०४२	५५	१,९९२	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	१	५०	
८.	सरदारगढ़	२०,१६७	३८३	१६,९१७	१०	२५०	१७	४२५	१३	३२५	५	१२५	८५	२,१२५	—	—	
९.	मानेवाला	३,५११	७३	८३६	—	—	४२	१,०५०	—	—	—	—	६५	१,६२५	—	—	
१०.	नीरवाना	३,२५५	१५	४५५	—	—	५४	१,३५०	४८	१,२००	—	—	१०	२५०	—	—	
११.	रामपुरा नौला	३,८९०	७७	२,३४०	—	—	१३	३२५	—	—	—	—	४९	१,२२५	—	—	
१२.	कालीबंगा	४,६८२	६१	४,६८२	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
१३.	बड़ोपल	३६,९००	६७१	३४,९००	६१	१,६२५	—	—	—	—	१५	३७५	—	—	—	—	
१४.	सरदारपुरा	३,२७२	९२	३,२७२	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
१५.	किशनपुरा	५,३०८	१८८	५,३०८	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१६.	रंगमहल	३,६५६	५६	३,६५६	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
१७.	बारेकां	३,०१०	६२	३,०१०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
१८.	ताखड़ांवाली	१,५३०	३४१	१,५३०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
१९.	कस्बा सूरतगढ़	५,३१८	१४५	५,३१८	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
२०.	बीड़ सूरतगढ़	१७६	५	१७६	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
२१.	घमंडिया	४,१९२	७३	३,८७१	—	—	—	—	—	—	—	—	६	३२१	—	—	
२२.	सिधूवाला	१,५७१	३८	१,५७१	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
२३.	सरदारपुर बीका	४,६११	६१	४,६११	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
२४.	लालपुरा	१००	२	१००	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
२५.	शौपुरा	७६०	१२	७६०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
२६.	अमरपुरा जाटान	२८४	५	२८४	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
२७.	मानकसर	८८	२	८८	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
२८.	मोहमदाबाद	३८२	१५	३८२	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
२९.	जानकीदासवाला	२९२	११	२९२	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
३०.	मैरूंपुरा	२,९२३	१३	२,९२३	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
३१.	मानकथेड़ी	३,३३६	५६	३,३३६	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
३२.	सरामसर	१४८	३	१४८	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
३३.	चक रतनसर	८१	४	८१	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
३४.	टीलांवाली	१,६१९	३२	१,६१९	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
३५.	ढाढ़िंयांवाली	१,६००	५६	१,६००	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
३६.	न्यांगलियां	१,५५७	४०	१,५५७	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
३७.	ठेठार	३,००७	४७	३,००७	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
३८.	जैसा भट्टी	६१५	१७	६१५	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
३९.	कानौर	३,४२४	२७	३,४२४	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
४०.	भोजेवाला	४,६४६	६१	४,६४६	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
४१.	करनीसर	१,८४३	३६	१,८४३	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
४२.	संगीता आगुणा	२,३५१	४६	२,३५१	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
४३.	संगीता अथूणा	२,३३२	५१	२,३३२	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
४४.	हरदासवाली	४,०१६	८७	४,०१६	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
४५.	सरदारपुरा लडाना	२,५१७	५६	२,५१७	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
४६.	राजपुरा पिपेरान	१,८७६	४८	१,८७६	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
४७.	पदमपुरा	१,०५१	३६	१,०५१	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
४८.	रघुनाथपुरा	३,६४६	७८	३,६४६	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
४९.	बीदासरी	३,०५७	७६	३,०५७	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
५०.	सुखचैनपुरा	२,५५७	५६	२,५५७	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
५१.	सुखचैनपुरा चक नं० १	८३६	१८	८३६	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
५२.	सुखचैनपुरा चक नं० २	२,७४१	४६	२,७४१	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
५३.	गुडली	२,६४१	६३	२,६४१	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
५४.	गोइन्दसर	१,१५१	२६	१,१५१	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
५५.	बखतावरपुरा	१,४२५	३२	१,४२५	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
५६.	उदयपुर मुसलमानान	१,६३५	३६	१,६३५	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
५७.	हरिसिंहपुरा	१,४६०	३८	१,४६०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
५८.	बीरमाना	८,०२२	१६२	८,०२२	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
५९.	लालगढ़	२,३०८	४७	२,३०८	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
६०.	गोपालसर	३,६८०	७८	३,६८०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
६१.	हिंजरासर	१,५६३	३७	१,५६३	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
६२.	भोपालपुरा	३,१८५	६४	३,१८५	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
६३.	सुरजनसर	६३०	१८	६३०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
६४.	अरजनोतपुरा	१५३	३७	१५३	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
६५.	सोमासर	३,४७९	६९	३,४७९	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	मीजान :	२,२८,६६१	४,६४४	२,१३,८६१	१५२	४,२५८	१२६	३,१५०	६१	१,५२५	२०	५००	२२१	५,६४७	१	५०	

राजस्थान केनाल में आने वाले ग्रामों के सं० २०१४ में दी गई सूवो की फ़ह्रिस्त, तहसील बीकानेर

नम्बर शुमार	नाम गांव भूमि अलॉट हुई	नाम आसामी जिसको भूमि दी गई	तादाद रकबा बीघा—बिस्वा		विशेष विवरण
१	२	३	४		५
१	भानीपुरा	राजू/नवला कुम्हार	५०	—	
२	मोतीगढ़	मांगेखां/जहांगीरखां कोरी	२५	—	
३	,,	माजीखां/अलाबगस	३०	—	
४	,,	बचना/मोती मेघवाल	३०	—	
५	,,	नाजमोहम्मद/जणोरखां	२०	—	
६	,,	मेघसिंह/उदयसिंह राजपूत	२०	—	
७	कंकराला	जवालेखां/लालखां	३०	—	
८	राणवाला	समेदखां/दीनखां	२५६	६	
९	सतासर	बस्ताराम/चन्दाराम	५६	६	
१०	,,	दल्ला/काम्स	५०	—	
११	थारुसर	मोडाराम/मंगलाराम नायक	५०	—	

१	२	३	४		५
१२	थारुसर	गंगाराम/चूहड़ाराम मेघवाल	२५	—	
१३	”	बीकाराम/लाखाराम	५०	—	
१४	”	रवीराजराम/मालू	२५	—	
१५	”	दीराराम/पीराराम	२०	—	
१६	”	धनरूप/लाभूराम	५०	—	
१७	”	मोडाराम/जैसाराम	५०	—	
१८	”	पीथाराम/गंगाराम	५०	—	
१९	”	तेजाराम/चूहड़राम	७०	—	
२०	”	आसूराम/किसनाराम	२५	—	
२१	”	मोडाराम/लखमाराम	२०	—	
२२	”	मुकनाराम/पुरखाराम	३०	—	
२३	”	भेराराम/रकताराम मेघवाल	२५	—	
२४	”	बुधराम/भलाराम मेघवाल	५०	—	
२५	”	सुरजाराम/थारुराम	६०	—	
२६	”	मेवाराम/कानाराम	२५	—	
२७	”	आसुराम/कानाराम	२५	—	
२८	”	बुधाराम/लाखुराम	५०	—	

१	२	३	४	५
२६	मोतीगढ़	भीरु/जालु मेघवाल	४० —	
३०	,,	रामसिंह/मानसिंह	२० —	
३१	कंकराला	थारुखां/जागीरखां	१०० —	
३२	,,	बालु/हेमा मेघवाल	१० —	
३३	,,	मघा/पन्ना नायक	२५ —	

सम्वत २०१५ में दी गई भूमि की सूची तहसील, बीकानेर

१	२	३	४	५
१	सताउर		१० —	
२	,,	खेरुखां मुसलमान	४० —	
३	,,	रमजान वगैराह	६५ —	
४	,,	अखवर ,,	२५ —	
५	,,	गुलाममोहम्मद ,,	७५ —	
६	,,	मोती ,,	७५ —	
७	,,	रमजान ,,	३५ —	
८	राणेवाला	फकीरा मुसलमान	५० —	
९	,,	कमरदीन ,,	७५ —	
१०	,,	रमजान ,,	४० —	
११	,,	खाजु ,,	५० —	
१२	,,	बुठन ,,	७५ —	
१३	,,	जलाल ,,	२० —	
१४	,,	लालाराम ,,	५० —	

१	२	३	४		५
१५	राणेवाला	गोलू मुसलमान	२०	—	
१६	सियासर चोगान	जिन्दो	४०	—	
१७	,,	ऊमरखां	३७	२	
१८	,,	मोहम्मद	३०	—	
१९	,,	दीन	४१	१०	
२०	,,	अलाबख्श	५०	—	
२१	,,	फतेमोहम्मद वगैरह	२०	—	
२२	,,	अलाबगनू	३०	—	
२३	पूगल	सफीमोहम्मद मुसलमान	५०	—	
२४	,,	मोहम्मद मुसलमान	५०	—	
२५	,,	खुदाबख्श मुसलमान	५०	—	
२६	,,	रामतु मुसलमान	७५	६	
२७	,,	नसखां मुसलमान	५०	—	
२८	,,	बेघला मेघवाल	७५	—	

फहरिस्त उन आसामीयान जिनको सम्वत २०१४ व २०१५ में आराजी काश्त हेतु भूमि अलॉट की गई

१	२	३	४		५
१	खारबारा		१०२	१६	
२	,,	मूलसिंह/रामसिंह राजपूत	३२	—	
३	,,	गिरधारीसिंह/अन्जी राजपूत	२५	—	
४	,,	नोरंग/बिन्शना दरोगा	५६	५	
५	,,	केसरीसिंह/गणपतसिंह राजपूत	७५	—	
६	,,	खूमा/केसा चमार	५०	—	
७	,,	सुगना/केसा मेघवाल	२५	—	
८	,,	हजारी/मोती दरोगा	५०	—	
९	भाएडसर	मानसिंह/जीवराजसिंह	१२	—	
१०	,,	अलादिता/फरीदा राठ	२०	—	
११	,,	रहमत/महम्मदखां राठ	१०	—	
१२	,,	दौलतअली/मोहम्मद राठ	१०	—	
१३	,,	कुशालसिंह/गोपालसिंह	१२	—	
१४	,,	सादुलसिंह/दुलेसिंह	२०	—	

१	२	३	४		५
१५	माण्डसर	बकशा/इलियास	१८	१	
१६	,,	नादर/करीम राठ	१८८	४	
१७	,,	बागसिंह/अखेसिंह	४२	६	
१८	,,	किसनसिंह/मेहताबसिंह	११	—	
१९	,,	जीवन/माना चमार	१०	५	
२०	,,	करीमबख्श/इब्राहीम राठ	१५	—	
२१	,,	सिकन्दर/फरीद राठ	१०	७	
२२	,,	नादर/करीमशाह	११	१९	
२३	,,	चेतन/नरायण चमार	११८	३	
२४	,,	हुदायना/नरसा व भांक	३८	१२	
२५	,,	अनोपसिंह/ज्वारा	३४	१४	
२६	,,	फरीद/बांबूं मुसलमान	११	२	
२७	,,	ममना/फरीद राठ	१५	—	
२८	,,	बादर/अलीमोहम्मद राठ	३६	४	
२९	,,	बसका/इलायस	२५	—	
३०	,,	गोधू/रामू चमार	१६	—	
३१	,,	रहमतअली/मोहम्मद राट	१५	१०	

१	२	३	४	५
३२	„	जिन्दा/आलम राठ	२५ ६	
३३	„	जानमोहम्मद/बैददीन राठ	१०७ १२	
३४	„	गुलाम/भाग राठ	४६ ३	
३५	„	मोदा अली/समरदीन राठ	२५ २	
३६	„	गारु/समैया राठ	२३ १८	
३७	„	जोधा/जीवन चमार	४४ १६	
३८	„	गुलाम मोहम्मद/कायम राठ	१७ ७	
३९	„	गोपालसिंह/कानसिंह राजपूत	९२ १६	
४०	„	इलाबख्श/अहमदअली	३३ ८	
४१	„	करीमबख्श/इब्राहीम राठ	१२ १६	
४२	„	खुदाबख्श/तेजा राठ	३८ ७	

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २१ नवम्बर, १९५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३३९४	४	क्लेक्टर्स	कलेक्टर्स
३३९५	३	पम्परा डाली	परम्परा डाली
३४००	अन्तिम से ६	अभियन्तओं	अभियन्ताओं
३४०६	,, ८	उदघाटन	उद्घाटन
३४१२	,, २	कोरे विचार में रख कर	को विचार में रख कर
३४१४	८	श्री पुरुषत्तमलल.शर्मा :	श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा :
३४१७	अन्तिम से ६	श्री नाथूराम मिर्धा :	श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री)
३४१८	२०	श्री रिद्धिचंद पालीवाल	श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल
३४१९	१	(श्री रिद्धिचन्द पालीवाल)	(श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल)
३४३४	६	पत्र्यक्रम में	पाठ्यक्रम में
३४३५	१२	श्री (दौलतराम सारण)	(श्री दौलतराम सारण)
,,	अन्तिम से ३	श्री दौलतराम (सारण)	श्री दौलतराम सारण :
३४३७	१६	श्री धन्नालाल हारित	श्री धन्नालाल हरित
३४३८	अन्तिम से २	श्री पुरुषोत्तममलाल	श्री पुरुषोत्तमलाल :
३४४१	१६	ब्ल्यु. डी.	डब्ल्यु. डी.
,,	२०	श्री नाथूरास मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
३४४३	अन्तिम पंक्ति	एक इसकी एक कमेटी	इसकी एक कमेटी
३४४५	१८	को यह अलॉउन्स	यह अलाउन्स
३४५५	अन्तिम से ५	संगलन है।	संलग्न है।
३४५८	अन्तिम से ५	श्री लक्ष्मीचन्द	७.श्री लक्ष्मीचन्द
३४६२	१५	श्री श्रीभानसिंह	१०. श्री श्रीभानसिंह

Page No.158

१	२	३	४
३४६३	२	श्री श्रीभानसिंह	११. श्री श्रीभानसिंह
,,	६	Bhaiaipnr	Bharatpur
३४७०	८	Prima Eacic	Prima Facic
,,	२२	agaihst the	against the Navyug daily
,,	२३	be refferred	be referred
३४७७	६	कायसूची	कार्य-सूची
३४७८	२७	writtirg	writing
३४८१	१	(श्री नूलचन्द डागा)	(श्री मूलचन्द डागा)
,,	अन्तिम से ८	तो में	तो मैं
३४८२	अन्तिम से ११	प्लार्निग	प्लानिंग
३४८३	२७	कनून	कानून
३४८४	२८	यन्य	अन्य
,,	२६	छुड्डबाई	छुड़वाई
३४८५	१३	कार्यवाहयिां	कार्यवाहियां
३४८८	अन्तिम से ३	to beiieve	to believe
३४६०	अन्तिम से ५	इक्विटी	इक्विटी
३४६२	८	यदि	यही
३४६६	अन्तिम से ७	विथड्रा	विद्ड्रा
३४६७	६	ंशोधन	संशोधन
३४६६	१७	स्थान चार	स्थान पर चार
३५०१	अन्तिम से ५	कन्डिीशन	कन्डीशन
३५०५-३५१०	शीर्ष	राजस्थान भू-धारण (चतुर्थ संशोधन विधेयक, १६५८	राजस्थान भू-धारण (पंचम संशोधन) विधेयक, १६५८
३५०८	२२	तारिख	तारीख
३५१२	६	कास्तकारों	काश्तकारों
३५१६	१	(श्री जनार्द्दराय नागर)	श्री जनार्दनराय नागर
३५३४	अन्तिम से ६	'आधिक	''अधिक

१	२	३	४
३५३८	१	एसमें	उसमें
३५५६	११	१०. बारमेर	१०. बाड़मेर
३५५८	पंक्ति ८ आ० ३	श्री लल्लानूर	श्री अल्लानूर
३५६७	अन्तिम से २	26. Gargah	26. Dargah
३५७३	१५	IAIPUR-	JAIPUR.
३५७५	अन्तिम पंक्ति	कुल १२,७६६.२४	कुल १२,७६६.३४
३५७६-३५७७	६ (स्कम्भ सं०)	1 to 15	1 to 14
३५७६	२	सर्वादय	सर्वोदय
३६०२	१६	१३	१४
३६०३	२०	१५	४५
३६०६	क्र० सं० ११, आइटम ५	564/0	546/0
३६०८	क्र० सं० १६, आइटम २५	1121/2	112½
३६२२	१२ आइटम २	राणवाला	राणेवाला